भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

54 वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT | 2011 - 2012

विजन

निर्यात ऋण बीमा व
व्यापार संबंधी बेहतरीन
सेवाएँ प्रदान करना।

Vision

To excel in providing
export credit insurance and
trade-related services

मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध
स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए
किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी
सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की
सहायता करना।

Mission

To support the Indian Export Industry by
providing cost-effective insurance and
trade-related services to meet the
growing needs of the Indian export
market through the optimal utilisation of
available resources.

ई सी जी सी ECGC

पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वीं मंज़िल, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400 021
REGISTERED OFFICE : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021

कंपनी सचिव COMPANY SECRETARY	नीरज वर्मा Neeraj Verma
नियुक्ती बीमांकक APPOINTED ACTUARY	श्री मयूर अंकोलेकर Shri Mayur Ankolekar

संयुक्त लेखा परीक्षक
JOINT STATUTORY AUDITORS

मेसर्स एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुम्बई M/s. M. B. Agrawal & Co. Chartered Accountants	मेसर्स पी. एम. दलवी एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुम्बई M/s. P. M. Dalvi & Co. Chartered Accountants

बैंकर
BANKERS

कॉर्पोरेशन बैंक Corporation Bank	आई डी बी आई बैंक लि. IDBI Bank Ltd

वेबसाइट / Website: www.ecgc.in

विषय वस्तु
Contents

निदेशक मंडल Board of Directors	4
वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग Senior Management	5
निष्पादन विशेषताएँ - पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	6
अध्यक्ष का संदेश Chairman's Message	9
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	12
प्रबंधन परिचर्चा एवं परिचालन की समीक्षा Management Discussion & Review of Operations	23
कंपनी शासन Corporate Governance	43
राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet	51
वित्तीय विवरण अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	58
महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	73
लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	83
प्रमुख विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	113
प्राप्ति और अदायगी लेखा Receipts & Payments Account	118
वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट Management Report on Financial Statements	123
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	129
लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर Replies to Auditors observations	135
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of CAG	136
सेवा तंत्र Service Network	141

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री एन. शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director

श्री अरविंद मेहता
संयुक्त सचिव, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय
Shri Arvind Mehta
Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry

डॉ. आलोक शील
संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय
Dr. Alok Sheel
Joint Secretary, Ministry of Finance

श्री वी. एस. दास
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
Shri V. S. Das
Executive Director, Reserve Bank of India

श्री टी.सी.ए. रंगनाथन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया
Shri T. C. A. Ranganathan
Chairman and Managing Director
Exim Bank of India

श्री के. आर. कामत
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक
Shri K. R. Kamath
Chairman and Managing Director
Punjab National Bank

श्री अशोक कुमार रॉय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम
Shri Ashok Kumar Roy
Chairman-cum-Managing Director
General Insurance Corporation of India

श्री रफ़ीक अहमद मक्का
अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
Shri Rafeeque Ahmed Mecca
President, Federation of
Indian Export Organisations

श्री वसंत मेहता
मेसर्स वी. रमेश चंद्रा एंड कं.
Shri Vasant Mehta
M/s V. Ramesh Chandra & Co.

श्री हरीश एस. भारतीया
सह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मेसर्स जुबिलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड, नई दिल्ली
Shri Hari S. Bhartia
Co-Chairman and MD
M/s Jubilant Life Science Ltd., New Delhi

वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग / SENIOR MANAGEMENT

बाएं से दाएं बैठे हुए
Sitting Left to right

श्रीमती गीता मुरलीधर, का.नि. Smt. Geetha Muralidhar, ED	श्री एन.शंकर, अ.प्र.नि. Shri N. Shankar, CMD	श्रीमती पद्मावती आर., म.प्र. Smt. Padmavathy R., GM

बाएं से दाएं खडे हुए
Standing Left to right

श्री सेंथिलनाथन एम., म.प्र. Shri Senthilnathan M., GM	श्री रोहित पांड्या, म.प्र. Shri Rohit Pandya, GM	श्री मनोज कुमार, म.प्र. Shri Manoj Kumar, GM
श्री वी.रामचंद्रन, म.प्र. Shri V. Ramachandran, GM	श्री संदीप मुखर्जी, म.प्र. Shri Sandeep Mukherjee, GM	श्री धर्मराजन वी., म.प्र. Shri Dharmarajan V., GM

उप महा प्रबंधक
DEPUTY GENERAL MANAGERS

श्री एम. ए. रुकडीकर	Shri M. A. Rukadikar	श्री दीपक पी.तुंगारे	Shri Deepak P. Tungare
श्री सुनील जोशी	Shri Sunil Joshi	श्रीमती वसंता श्रीनिवास	Smt Vasantha Srinivas
श्री अशोक फडतरे	Shri Ashok Phadtare	श्री एन.राधाकृष्णन	Shri N. Radhakrishnan
श्रीमती तापसी सेन डे	Smt Tapasi Sen De	श्री निर्दोष चोपड़ा	Shri Nirdosh Chopra
सुश्री ज़रीना शेख	Ms. Zarina Shaikh	श्री एम.रामकृष्णन	Shri M. Ramakrishnan
श्री सी.एन.ए अन्बरसन	Shri C. N. A. Anbarasan	श्री बलबीर सिंह मान	Shri Balbir Singh Maan
श्री पी.के.कामत	Shri P. K. Kamat	श्री राजीव मानवी	Shri Rajiv Manavi
श्री पी. एल.ठाकूर	Shri P. L. Thakur	श्री शिवाजी नार्वेकर	Shri Shivaji Narvekar
श्री आर.मोहन	Shri R. Mohan	श्री उदय शेट्टी	Shri Uday Shetty
श्री पी. प्रसाद	Shri P. Prasad		

दस वर्षों की निष्पादन विशेषताएँ
PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़ में)
(₹ in crores)

वर्ष / YEAR	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03
संरक्षित कारोबार मूल्य VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	99,550.01	93,127.40	85,686.85	68,870.85	52,766.57	50,505.03	37,590.19	35,987.01	28,340.00	26,458.00
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	3,90,785.95	3,31,758.29	2,71,273.95	2,61,731.51	1,82,766.16	3,75,260.82	3,96,865.33	3,11,913.73	2,96,870.00	2,37,084.00
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	6,886.48	7,002.65	6,767.51	4,855.11	4,344.09	3,074.95	3,427.36	3,022.53	2,808.00	1,436.00
कुल / Total	**4,97,222.44**	**4,31,888.34**	**3,63,728.31**	**3,35,457.47**	**2,39,876.82**	**4,28,840.80**	**4,37,882.88**	**3,50,923.27**	**3,28,018.00**	**2,64,978.00**
प्रीमियम आय PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	355.89	333.66	289.43	246.71	205.38	192.82	163.27	151.02	123.23	111.75
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	601.82	510.57	486.78	464.18	429.76	396.69	388.42	344.24	302.47	245.37
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	47.12	41.23	36.79	33.79	33.23	28.15	25.79	20.28	19.78	17.53
कुल / Total	**1,004.83**	**885.46**	**813.00**	**744.68**	**668.37**	**617.66**	**577.48**	**515.54**	**445.48**	**374.65**
प्रदत्त दावे CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	87.03	160.90	270.02	217.23	134.15	125.92	118.89	90.78	57.44	66.21
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	626.00	459.63	371.70	234.19	285.86	245.14	257.28	257.72	387.68	370.57
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	10.42	3.78	4.14	0.28
कुल / Total	**713.03**	**620.53**	**641.72**	**451.42**	**420.01**	**372.26**	**386.59**	**352.28**	**449.26**	**437.06**
की गई वसूलियाँ RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	6.31	9.27	16.33	56.97	8.46	5.11	3.78	13.48	11.68	2.37
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	152.59	110.65	110.87	151.29	133.88	151.72	107.56	58.53	50.56	36.97
मध्यम और दीर्घावधि कवर Medium & Long Term Covers	9.74	16.14	6.40	0.32	14.71	53.37	13.91	14.46	0.69	24.07
कुल / Total	**168.64**	**136.06**	**133.60**	**208.58**	**157.05**	**210.20**	**125.25**	**86.47**	**62.93**	**63.41**

वित्तीय वर्ष के दौरान, सार्वभौमिक ऋण संकट के व्यापक प्रभाव, तेल की कीमतों में गति और अधिकांश देशों में भंगुर वृद्धि के कारण वैश्विक वातावरण अनिश्चित बना रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वृद्धि इंजन के रूप में देखी जा रही उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी देखी गई। वैश्विक मंदी और आर्थिक संकट के कारण विश्वव्यापी कई कारोबारी इंटिटियों को हानि हुई।

During the financial year, the Global environment remained uncertain due to the cascading effect of sovereign debt crisis, movement of oil prices and fragile growth in most countries. There was also a slow down in the emerging market economies, which are considered as the growth engines of the world economy. Many business entities world wide suffered losses owing to the global recession.

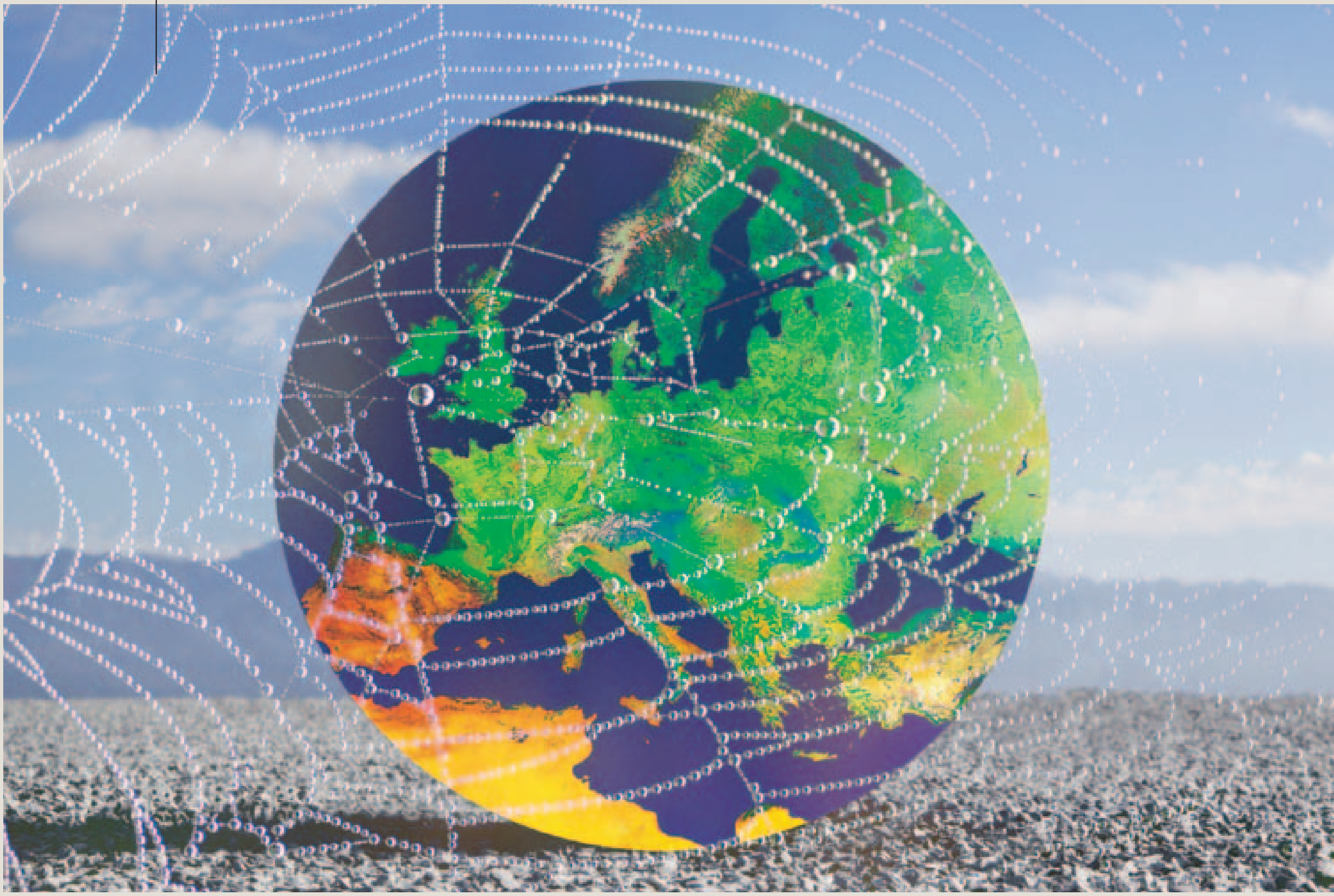

अध्यक्ष का संदेश
Chairman's Message

अध्यक्ष का संदेश / CHAIRMAN'S MESSAGE

देवियों एवं सज्जनों,

1. मैं आप सबका कंपनी की 54वीं वार्षिक साधारण बैठक में सहर्ष स्वागत करता हूँ।

2. वर्ष 2011-12 के लेखों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट प्रचालित की जा चुकी है। मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़ा हुआ मानता हूं।

3. ऐसा उल्लेख किया गया है कि विश्व के व्यापारिक संव्यवहारों के 90% संव्यवहारों में ऋण या बीमा या गारंटी के तत्व निहित होते हैं। अतएव वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, क्षेत्रीय और बहुआयामी बैंक तथा निर्यात ऋण एजेंसियां (ई सी ए) व्यापारिक वित्त पोषण के युग में प्रमुख खिलाड़ी हैं। निर्यात ऋण एजेंसियों ने वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात अपनी भूमिका पर फिर से बल दिया है और प्रतिचक्रीय भूमिका निभाने के लिए स्वयं आगे आई हैं। अनेक निर्यात ऋण एजेंसियां अपने ग्राहकों को सुधारित उत्पाद आफर किए हैं और प्रत्यक्ष ऋण एवं कार्यशील पूंजी गारंटी के कार्य में लगी हैं। निर्यात ऋण एजेंसियां वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यापार और निवेश के वित्त पोषण में प्रतिभागिता के माध्यम से परियोजना वित्त पोषण में प्रमुख खिलाड़ी भी हैं।

4. वर्ष 2011 के दौरान बर्न यूनियन के सदस्यों ने 10% से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापारों का बीमा किया। पिछले वर्ष वृद्धि दर 19% रही, यद्यपि 2011 में दावा का स्तर कम था प्रवृत्ति के बहिर्वेशन पर ऐसी आशा की जाती है कि 2012 में उच्चतर दावे होंगे। ऋण बीमाकर्ता चारों तरफ के आर्थिक और राजनैतिक आघातों की सातत्यता के साथ और अधिक कठिन समय के लिए सुसज्जित हो रहे हैं। ऋण बीमा कंपनियों के सामने विशिष्ट चुनौतियां ऋण सूचना, पुनर्बीमा की उपलब्धता/क्षमता, मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धा, सूचना प्रौद्योगिकी लागत आदि की पहुंच से संबंधित हैं।

5. पिछले दो से तीन वर्षों में अनेक देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुए हैं, और ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में कठिन बने रहेंगे। विश्व व्यापार का आयतन 2011 में 6.6% बढ़ा जो विश्व व्यापार संगठन की 5.8% की भविष्य वाणी से उच्चतर था। जहाँ व्यापार के संकट पूर्व स्तर पर मूल रूप से वापस आने की आशा थी वहीं अरब में गड़बड़ी, जापान में भूकंप, यूरोप में आर्थिक संकट और अमेरिका में धीमी बहाली आदि जैसे वैश्विक आघातों से परिणाम अस्त-व्यस्त हो गए। समूह के रूप में विकासशील देश वैश्विक व्यापार के प्रमुख चालक हैं। एशिया प्रशांत के देश पहले की तुलना में अब आपस में अधिक व्यापार कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ उनके व्यापार घटे हैं।

6. निर्यात क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, क्योंकि यह रोजगार में सहायक होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कुशलता

Ladies and Gentlemen,

1. It gives me great pleasure to welcome you to the 54th Annual General Meeting of the Company.

2. The Annual Report of the Directors, together with the Accounts and Auditor's Report for the year 2011-12, has been circulated and with your permission, I shall take it as read.

3. It is said that as much as 90% of the world's trade transactions involve elements of credit or insurance or guarantee. Hence, commercial banks, insurance companies, regional and multilateral banks and export credit agencies (ECAs) are the key players in the arena of trade finance. ECAs have reasserted their role in the aftermath of the global financial crisis and enjoined upon themselves to play a counter cyclical role. Many ECAs have revamped their product offering to their clients and have embarked upon direct lending and working capital loan guarantees. ECAs are also leading players in project finance through participation in financing of trade and investment by commercial banks.

4. During 2011, Berne Union Members have insured more than 10% of international trade. The growth rate clocked was 19% over the previous year. Though the claim levels in 2011 were low, on extrapolating the trend, it is expected that there will be higher claims in 2012. Credit Insurers are gearing up for more difficult times with economic and political shocks continuing all around. Specific challenges being faced by credit insurance companies relate to access to credit information, reinsurance availability/capacity, pricing competition, IT costs, etc.

5. International trade has been affected in many countries over the past two to three years and is expected to remain difficult over the near future. The volume of world trade for 2011 grew by 6.6%, higher than the WTO forecast of 5.8%. While the trade was originally expected to return to the pre-crisis level, global shocks like the Arab Spring disruption, the earthquake in Japan, the economic crisis in the Euro Zone and the slow recovery in the US, etc. upset the outcome. As a group, developing countries are the major drivers of global trade. The Asia Pacific countries are trading much more with one another now than they did before, while their trade with the US and the EU has declined.

6. The Export sector is one of the most significant components of a country's economy as it supports employment, brings in efficiency

लाता है, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में समर्थ बनाता है आदि। भारत का वाणिज्यिक निर्यात वित्तीय वर्ष 2011-12 में 20.9% की वृद्धि के साथ बढकर 303.70 अरब हो गया। जहाँ 2011-12 की पहली छमाही में निर्यात का निष्पादन बेहतर था वहीं दूसरी छमाही में विशेष रूप से मंदी देखी गई। क्योंकि वैश्विक व्यापारिक स्थितियां खराब हुईं, मुख्य रूप से यूरो जोन के संकट के साथ-साथ वैश्विक मांग कम हुई। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग के सामान, हीरे जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद तथा वस्त्र थे। भारत से यूरोपीय संघ, यू ए ई, यू एस ए, सिंगापुर और चीन को मुख्य रूप से निर्यात किए जाते थे।

7. वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी ने कुल ₹1,364 करोड़ की आय अर्जित किया, जो 16.36% अधिक थी। वर्ष में कंपनी की सकल प्रीमियम में विशेष वृद्धि हुई और ₹1,005 करोड़ तक पहुंच गई। जो पिछले वित्तीय वर्ष से 13.48% अधिक थी। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी के प्रचालन में पहली बार वर्ष में सकल प्रीमियम ₹100 करोड़ से अधिक बढ़ गई है। कंपनी ने प्रीमियम दरों में बिना किसी वृद्धि के यह उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में निवेशों से आय ₹354 करोड़ बढ़ी है जिस पर 8.69% वार्षिक का प्रतिफल मिला है।

8. 2011-12 में भारतीय स्टेट बैंक और इसके कुछ एसोसिएट बैंकों ने बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा योजना के अंतर्गत कंपनी से संपूर्ण टर्न ओवर कवर का विकल्प चुना है। अल्पावधि ई सी आई बी के अंतर्गत प्रीमियम 17.88% बढ़ा है। अभिभावी वैश्विक उथल-पुथल और कंपनी द्वारा सतर्क हामीदारी के संदर्भ में अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत जोखिम मूल्य और प्रीमियम प्रत्येक 7% बढ़ा है। मध्यम और दीर्घावधि क्षेत्रों के अंतर्गत प्रीमियम में 14.65% की वृद्धि हुई है।

9. कंपनी ने वर्ष 2010-11 के ₹85.66 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹225.21 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2011-12 में पहले से अदा किए गए ₹27 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित कुल ₹54 करोड़ के लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव है।

10. कंपनी ने बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से एक बीमांकक नियुक्त किया है तथा जोखिम प्रबंधन के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति कंपनी की जोखिम प्रबंधन गतिविधियां देखती है। कंपनी ने सर्वोच्च ग्राहक व्यथा निवारण समिति (ए सी जी सी) जिसमें कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं, के प्रारंभ से व्यथा निवारण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। कंपनी निदेशक मंडल की पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें भी आयोजित करता है।

in the face of international competition, enables adaptation of new technology etc. India's merchandise exports rose to USD 303.70 bn. during the financial year (FY) 2011-12 with a growth of 20.9%. While exports performed well during the first half of 2011-12, there was significant deceleration in the second half as global trading conditions deteriorated, mainly reflecting the weakening of world demand, inter alia, caused by the Euro-zone crisis. The major commodities exported from India were petroleum products, engineering goods, gems & jewellery, chemicals & allied products and textiles. The major destinations of exports out of India were EU, UAE, USA, Singapore and China.

7. During the FY 2011-12, the Company earned a total income of ₹1,364 crores registering a growth of 16.36%. Gross Premium collection of the Company crossed a milestone and reached ₹1,005 crores for the year, registering a growth of 13.48% over the previous financial year. I am happy to inform that the gross premium income grew by more than ₹100 crores during a year for the first time in the Company's operations. The Company could achieve this without any increase in premium rates. Income from investments increased to ₹354 crores during the FY 2011-12 with a yield at 8.69% p.a.

8. During 2011-12, the State Bank of India and some of its associate banks opted for whole turnover covers from the Company under the scheme of Export Credit Insurance to Banks (ECIB). Premium under Short Term ECIB grew by 17.88%. The risk value and premium under Short Term policies grew by 7% each in the context of prevailing global turmoil and cautious underwriting by the Company. The premium under Medium and Long Term sector has shown a growth of 14.65%.

9. The Company posted profit after tax of ₹225.21 crores for the FY 2011-12 compared to ₹85.66 crores during 2010-11. The total dividend payout in 2011-12 is proposed at ₹54 crores, including the interim dividend of ₹27 crores already paid.

10. The Company has appointed an Actuary with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority and has set up a separate department for Risk Management. The Risk Management Committee of the Board of Directors oversees the Company's risk management activities. The Company has revitalized the grievance redressal mechanism with the commencement of functioning of the Apex Customer Grievance Committee (ACGC) comprising of senior executives of the Company. The Company also holds regular meetings of the Policyholders Protection Committee of the Board of Directors.

11. कंपनी द्वारा शुरू की गई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना विकास के उन्नत चरण में है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में नए ग्राहक अनुकूल सॉफ्टवेयर प्रणाली को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

12. कंपनी ने वसूली के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यालय में एक वरिष्ठ पदधारी के अंतर्गत एक वसूली कक्ष स्थापित करने की योजना बनाया है और यह आशा की जाती है कि इस पहल से वसूली/भुगतान दावा अनुपात सुधरेगा।

आभार प्रदर्शन

13. मैं अपने सभी निर्यातकों/बैंकर ग्राहकों का भारत के निर्यातों के संवर्धन में उनके प्रयासों में कंपनी की सहायता लेने के लिए आभारी हूं। मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को समय से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बोर्ड के निदेशकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभारी हूँ। मैं निदेशक मंडल की ओर से और अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से कंपनी के सभी कर्मचारियों का संगठनात्मक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हार्दिक प्रशंसा करता हूँ।

शुभ कामनाओं सहित,

एन. शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 जुलाई, 2012

11. The IT project undertaken by the Company is at an advanced stage of development and efforts are on to fully implement the new customer friendly software system during the current financial year.

12. The Company has planned to set up a Recovery Cell at Head Office under a senior official to coordinate the recovery efforts and it is hoped that this initiative will improve the recovery/claim paid ratio.

ACKNOWLEDGEMENTS

13. I am grateful to all our exporter/banker customers for drawing support from the Company in their endeavour in enhancing India's exports. I extend my sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and to the Insurance Regulatory Development Authority for providing us with apt and timely guidance. I place on record the co-operation extended by the Directors on the Board. I convey, on behalf of the Board of Directors and on my personal behalf, a deep sense of appreciation to all the employees of the Company for their commitment towards achieving the organizational goals.

With warm regards,

N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: 6th July, 2012

निदेशक की रिपोर्ट 2011-12 / DIRECTORS' REPORT 2011-12

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अंतर्गत भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

प्रिय सदस्यगण,

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ई सी जी सी) के निदेशक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ एवंर्ष कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तीय झलकियां

कंपनी ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यवसाय में समग्र प्रगति हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी का वित्तीय निष्पादन युक्तिसंगत रूप से ठोस रहा है। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹885.47 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल ₹1,004.83 करोड़ की सकल प्रीमियम का अर्जन किया है। पुनर्बीमा अर्पण के लिए समायोजन के बाद और न समाप्त हुए जोखिमों के लिए आरक्षित के बाद पिछले वर्ष के ₹674.86 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹766.25 करोड़ प्रीमियम अर्जित की गई।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में निगम द्वारा भुगतान किए गए कुल दावे पिछले वर्ष के ₹620.53 करोड़ की तुलना में ₹713.03 करोड़ की नई ऊंचाई तक पहुंच गए।

Report of the Board of Directors of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, under Section 217 of the Companies Act, 1956.

Dear Members,

The Directors of Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) are pleased to present the 54th Annual Report of the Company together with the audited financial statements for the Financial Year ended on 31st March, 2012.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The Company has achieved all round progress in business during the year ended 31st March, 2012. The Financial performance of the Company has been reasonably sound during the Financial Year (FY) 2011-12. The Company earned a gross premium of ₹1,004.83 crores during FY 2011-12 compared to ₹885.47 crores during the previous year. After adjusting for reinsurance cession and for Reserve for un-expired risks, the premium earned for FY 2011-12 was ₹766.25 crores as against ₹674.86 crores for the previous year.

During the FY 2011-12, the total claims paid by the Company touched a new high of ₹713.03 crores as against ₹620.53 crores during the

पिछले दशक से भुगतान किए गए सकल दावें
Gross Claims Paid over the Past Decade

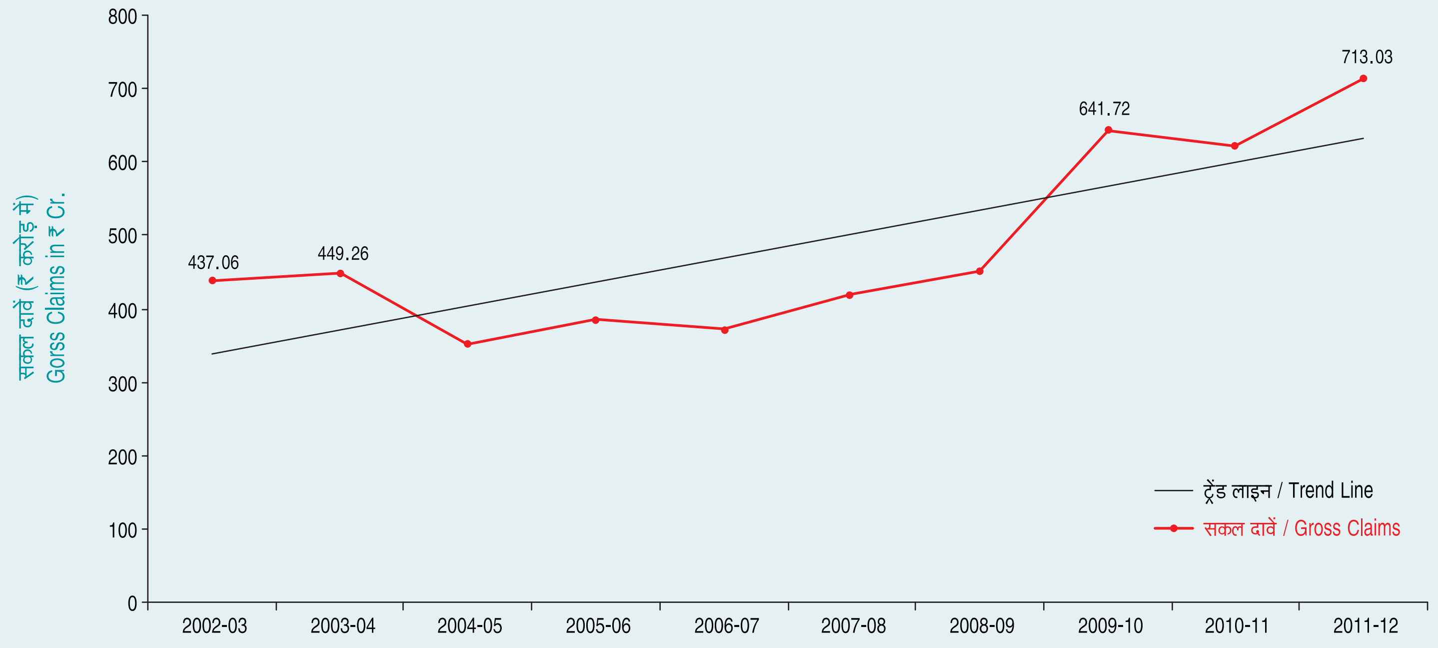

पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के बाद पिछले वर्ष के ₹757.44 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹679.61 करोड़ के दावे किए गए।

पिछले वर्ष के ₹296.86 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में निवेश और अन्य आय बढ़कर ₹359.91 करोड़ हो गए।

कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2011 के ₹2,062.22 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2012 को ₹2,167.75 करोड़ हो गया।

लाभ और विनियोजन

पिछले वर्ष के ₹820.96 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रचालनों से कुल आय 17.20% बढ़कर ₹962.19 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष के ₹30.23 करोड़ की प्रचालन हानि की तुलना में कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹166.95 करोड़ का प्रचालन लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के ₹117.62 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹327.73 करोड़ का कर पूर्व लाभ हुआ। वर्ष के दौरान ₹102.52 करोड़ के कर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वर्ष के ₹85.66 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष में विनियोजन के लिए उपलब्ध कर पश्चात लाभ (पी ए टी) ₹225.21 करोड़ था।

लाभांश

निदेशक मंडल प्रत्येक ₹100 के 9 करोड़ इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹3 के अंतिम लाभांश की एवंर्ष सिफारिश करता है, जो पहले से भुगतान किए गए ₹27 करोड़ के अंतरिम लाभांश के साथ प्रति शेयर ₹6 हो गया। कुल लाभांश उस पर लाभांश वितरण कर के साथ ₹62.76 करोड़ होगा जो ₹225.21 करोड़ के निवल लाभ (कर पश्चात) का 27.87% का पे आउट अनुपात निरूपित करता है। पिछले वर्ष के ₹55.34 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित में ₹162.45 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अंतिम लाभांश का चेक अ.प्र.नि. ने श्री आनंद शर्मा, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग व वस्त्र मंत्री को सौंपा। फोटो में श्रीमती अनिता अग्निहोत्री, आईएएस, एएस व एफए, श्री एस. आर. राव, आईएएस, सी.एस., श्री अरविंद मेंहता, आईएएस, जेएस और ईसीजीसी के अधिकारी

CMD, presenting the final dividend cheque for FY 2011-12 to Sh. Anand Sharma. Hon'ble Minister of Commerce, Industry & Textiles in July, 2012. Smt. Anita Agnihotri, IAS, AS & FA, Sh. S. R. Rao, IAS, C.S., Sh. Arvind Mehta, IAS, JS and ECGC officials are also seen in picture

शेयर पूंजी

कंपनी का 31 मार्च, 2012 को निवल मूल्य, ₹2,167.75 करोड़ था। जिसमें ₹900 करोड़ की अभिदत्त पूंजी, ₹1,245.16 करोड़ का आरक्षित और अधिशेष तथा ₹22.59 करोड़ का सही मूल्य चेंज अकाउंट शामिल है।

previous year. After adjusting for reinsurers' share, recoveries and provisions, the incurred claim for the FY 2011-12 was ₹679.61 crores as against ₹757.44 crores during previous year.

The Investment and other income have increased to ₹359.91 crores in FY 2011-12 from ₹296.86 crores in the previous year.

The Net Worth of the Company as on 31st March, 2012 was ₹2,167.75 crores as against ₹2,062.22 crores as on 31st March, 2011.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2011-12, total income from Operations grew by 17.20% to ₹962.19 crores from ₹820.96 crores in the previous year. During the year, the Company posted an Operating Profit of ₹166.95 crores compared to an operating loss of ₹30.23 crores during the previous year. During the FY 2011-12 Profit Before Tax (PBT) was ₹327.73 crores as against ₹117.62 crores in the previous year. After providing for ₹102.52 crores towards tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the current year was ₹225.21 crores as against ₹85.66 crores in the previous year.

DIVIDEND

The Board of Directors is pleased to recommend a final dividend of ₹3 per equity share on the nine crore equity shares of ₹100 each, which, together with the interim dividend of ₹27 crores already paid, amounts to ₹6 per share. The total dividend, along with the dividend distribution tax thereon, will amount to ₹62.76 crores, representing a pay-out ratio of 27.87 % of the net profit (after tax) of ₹225.21 crores. An amount of ₹162.45 crores is transferred to the General Reserves during the year, as compared to ₹55.34 crores during the previous year.

SHARE CAPITAL

As of 31st March, 2012, the Company's Net Worth, comprising of Paid-up capital of ₹900 crores, Reserves and Surplus of ₹1,245.16 crores and Fair Value Change Account of ₹22.59 crores, was ₹2,167.75 crores.

दिवालियापन का मार्जिन

31 मार्च, 2011 में 9.05 से दिवालियापन अनुपात 31 मार्च, 2012 को सुधरकर 10.10 हो गया, जो निम्न विवरणों के अनुसार आंतरिक प्रोद्यभूतों के कारण है :

	2011	2012
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित दिवालियापन मार्जिन (आर एस एम) (करोड़ रू.)	227.30	203.88
उपलब्ध दिवालियापन मार्जिन (ए एस एम) (करोड़ रू.)	2,056.55	2,058.36
दिवालियापन अनुपात (कुल ए एस एम / आर एस एम)	9.05	10.10

अधिकतम दायित्व

किसी भी समय किसी कंपनी का अधिकतम दायित्व जो कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 72 (ख) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। 31 मार्च, 2012 को ₹1,00,000 करोड़ अपरिवर्तनीय है।

निवेश

कंपनी के निवेश बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रबंधन खर्च

संबंधित नियमों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 (ग) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए प्रबंधन खर्च वर्तमान वर्ष के 20.01% (पिछले वर्ष 20.01%) की मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में सकल प्रीमियम आय के% के रूप में 13.19% (पिछले वर्ष 17.90%) था।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

मध्यम और दीर्घावधि उच्च मूल्य की परियोजना के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन ई आई ए न्यास स्थापित किया गया है, जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है और राष्ट्रीय

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio had improved from 9.05 times as on 31st March, 2011 to 10.10 times as on 31st March, 2012 owing to internal accruals as per details given hereunder:

	2011	2012
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ cr.)	227.30	203.88
Available Solvency Margin (ASM) (₹ cr.)	2,056.55	2,058.36
Solvency Ratio (Total ASM / RSM)	9.05	10.10

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,00,000 crores as of 31st March, 2012.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the Regulatory Guidelines of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938 read with the relevant rules, the management expenses incurred by the Company as a percentage of the gross premium income during the FY 2011-12 is 13.19% (previous year 17.90%) as against the norm for the current year of 20.01% (previous year 20.01%)

अप्रैल 2011 मे नई दिल्ली मे राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत खरीदार ऋण योजना के शुभारंभ की अध्यक्षता करते हुए श्री आनंद शर्मा, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग व वस्त्र मंत्री

Sh. Anand Sharma, Hon'ble Minister of Commerce, Industry & Textiles presiding over launch of Buyers' Credit Scheme under NEIA at New Delhi in April, 2011.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring the availability of credit risk cover for medium and long-term high value projects which are commercially viable and desirable from the point of

हित की दृष्टि से वांछनीय है। इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यानमार आदि जैसे बाजारों में 31 मार्च, 2012 तक विभिन्न परियोजना निर्यातकों द्वारा अर्थात हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बैंगलोर, इरकान इंटरनेशनल, दिल्ली, पूंज लायड लिमिटेड, दिल्ली आदि द्वारा ली गई परियोजनाओं के लिए ₹1,539 करोड़ के कुल जोखिम के लिए 22 रक्षा जारी की गई हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने वाले पैकेज

भारत सरकार ने समग्र निर्यात संवर्धन पैकेज के भाग के रूप में राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एन ई आई ए) से ई सी जी सी को पॉलिसी योजना के अंतर्गत एम एस एम ई निर्यातकों के लिए अतिरिक्त 5% दावा मुआवजा तथा कंपनी द्वारा रक्षित एम एस एम ई खातों के लिए बैंकों को 10% के अतिरिक्त मुआवजे देने के लिए ई सी जी सी को प्राधिकृत किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त पैकेज के अंतर्गत निर्यातकों/बैंकों को कुल ₹6.67 करोड़ के 29 अतिरिक्त दावों का भुगतान किया। कंपनी ने 31 मार्च, 2012 तक इस पैकेज के अंतर्गत एन ई आई ए से कुल ₹10.53 करोड़ के 270 दावों का भुगतान किया।

निदेशक मंडल

कंपनी 100% भारत सरकार के स्वामित्व की है। सामान्य अधीक्षण, कार्यो के निदेश एवं प्रबंधन तथा कंपनी का कारोबार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अध्यक्षता में निदेशक मंडल को है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अलावा बोर्ड के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक अंशकालिक निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड की सभी नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं।

जुलाई, 2011 में शेयरधारकों को प्रस्तुत निदेशकों की पिछली रिपोर्ट के बाद की अवधि में श्री एन. शंकर, पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय निर्यात आयात बैंक ने 19 अक्टूबर, 2011 से श्री अरविंद मेहता, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया है। श्री मेहता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार धारण किए हुए थे और अब कंपनी के

जुलाई 2012 मे नई दिल्ली मे प्रगति पर निदेशक मंडल की बैठक
Board meeting in progress in New Delhi in July, 2012.

view of national interest. As on 31 March, 2012, 22 covers have been issued for an aggregate exposure of ₹1,539 crores for projects undertaken by various project exporters viz. Hindustan Aeronauticals Limited, Bangalore, IRCON International, Delhi, Punj Lloyd Limited, Delhi etc, in markets like Ecuador, Algeria, Myanmar, etc.

EXPORT STIMULUS PACKAGE

The Govt. of India had, as part of an overall export stimulus package, authorized ECGC to make an additional 5% claim compensation to MSME exporters under the Policy scheme, and an additional 10% compensation to banks, for MSME accounts covered by the Company, from the National Export Insurance Account (NEIA). The Company paid out 29 additional claims aggregating to ₹6.67 crores to exporters/ banks under the said package during FY 2011-12. The Company has paid out a total of 270 claims aggregating to ₹10.53 crores from the NEIA under this package, up to 31st March, 2012.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the directors on the Board, other than the Chairman-cum-Managing Director, are non-executive part-time Directors. All appointments to the Board, including that of the Chairman-cum-Managing Director, are done by the Central Government.

During the period after the previous report of the Directors to the Shareholders submitted in July 2011, Shri N. Shankar, formerly Executive Director, Export Import Bank of India, has taken over as the Chairman-cum-Managing Director (CMD) of the Company with effect from 19th October, 2011 from Shri Arvind Mehta, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India. The latter was holding additional charge as CMD and now continues to be associated as a part-time Director of the Company. Two part-time Directors on the Board, namely, Shri Yogesh Lohiya,

अंशकालिक निदेशक के रूप मे जुड़े हैं। बोर्ड के दो अंशकालिक निदेशक, नामतः श्री योगेश लोहिया, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, साधारण बीमा निगम और श्री रामू एस देवरा, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ अपने संबंधित पदों से सेवानिवृत्त हो गए हैं। निदेशक मंडल कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उनके मूल्यवान एवं योग और योग्य मार्गदर्शन के लिए सेवानिवृत्त निदेशकों को अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। दो अंशकालिक निदेशक नामतः रफिक अहमद मक्का, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ और श्री ए. के. रॉय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम को श्री रामू एस. देवरा और श्री योगेश लोहिया के स्थान पर क्रमशः निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशकों के चार पद अभी भी खाली हैं। कंपनी भारत सरकार से इन रिक्तियों के भरने के मामले पर पत्राचार कर रही है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न पैरामीटरों में कंपनी के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी वर्षों से 1995-96 से 'अच्छा' और लगातार उससे ऊपर की रेटिंग अनुरक्षित कर रही है। ऐसी आशा की जाती है कि वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी का निष्पादन बहुत अच्छा रेट किया जाएगा।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संपुष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ख) के साथ पठित धारा 619 (क) की अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2010-11 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लोक सभा में 12 दिसम्बर, 2011 को और राज्य सभा को 7 दिसम्बर, 2011 को प्रस्तुत की गई थी।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी की सेवा में पूरे वर्ष या वर्ष के किसी भाग में ऐसे कोई कार्मिक नहीं थे जिनके संबंध में कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 क) के अंतर्गत के प्रावधान लागू हों।

शिकायत निवारण प्रणाली

कंपनी ने मुंबई के मुख्यालय में महा प्रबंधक की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया है। शिकायत कक्ष शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर विहित समय के भीतर अपने ग्राहकों की शिकायतें संबोधित करता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। किसी कर्मचारी द्वारा लिए गए

Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation and Shri Ramu S. Deora, President, Federation of Indian Export Organisations have retired from their respective positions. The Board of Directors took on record its deep appreciation and gratitude to the retired directors for their valuable contribution and able guidance during their respective tenures as members of the Board of Directors of the Company. Two part-time Directors, namely, Shri Rafeeque Ahmed Mecca, President, Federation of Indian Export Organisations and Shri A. K. Roy, Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India, have been inducted to the Board of Directors vice Shri Ramu S. Deora and Shri Yogesh Lohiya respectively.

As on the date of this report, four positions of part-time Directors on the Board continue to remain vacant. The Company is pursuing the matter of filling up these vacancies with the Government of India.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

Based on the assessment of performance of the Company under various parameters, as per the guidelines given by Department of Public Enterprises and the Memorandum of Understanding signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, the Company has been maintaining the rating of 'Good' and above consistently over the years since 1995-96. The performance of the Company is expected to be rated as 'Very Good' for the year 2011-12.

PLACING OF ANNUAL REPORTS BEFORE THE PARLIAMENT

The Ministry of Commerce and Industry has confirmed that the Annual Report of the Company for the FY 2010-11 along with the Directors' Report to the Shareholders was placed before the Lok Sabha on 12th December, 2011 and the Rajya Sabha on 7th December, 2011 in compliance with the requirements under Section 619A read with Section 619B of the Companies Act, 1956.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There were no personnel in the service of the Company for the whole year or for any part of the year the particulars in respect of whom the Provisions under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, were attracted.

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

The Company has established a Grievance Cell at the Head Office at Mumbai headed by a General Manager. Grievance Cell redresses grievances of its customers within the stipulated time based on the information provided by complainant. A Customer Grievance

निर्णयों की उच्चतर प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है और कई बार मामले तीन स्तर तक सीमित होते हैं। कंपनी के मुख्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) स्थापित की गई है, ताकि मुख्यालय के निर्णयों से उठने वाली शिकायतों पर विचार किया जा सके। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अनुसार निगम अभिशासन दिशानिर्देश, निदेशक मंडल की पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति स्थापित की गई है। जिसकी वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो बार बैठक हुई।

कंपनी बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के केंद्रीय एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आई जी एम एस) का एक हिस्सा है। जिसमें ग्राहक सीधे आई जी एम एस पोर्टल में लॉगआन कर सकता है और अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। इस समय कंपनी बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण को निवारण की गई शिकायतों का विवरण सूचित करती है और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण - आईजीएमएस की प्रणाली एकीकरण प्रक्रिया चालू है।

इसके अलावा कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में कंपनी ने 174 शिकायत आवेदन निपटाए और 31.03.12 तक 16 मामले लंबित थे।

Redressal Policy, approved by the Board, is made available in the Company's website. The decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the number of times a case would be dealt with, is limited to three. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office of the Company has been set up in terms of the Grievance Redressal Policy to consider grievances arising out of decisions taken at Head Office. As per IRDA Corporate Governance Guidelines, a Policyholder Protection Committee of the Board of Directors (PPC) has been set up and has met twice during the current Financial Year.

The Company is a part of the Centralised Integrated Grievance Management System (IGMS) of IRDA, under which the customers can directly log on to the IGMS portal and lodge their complaints. Currently, the Company conveys the details of grievance disposals to the IRDA and the system integration process with the IRDA - IGMS is underway.

In addition, the Company is also a part of the Grievance Redressal System operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, through a Grievance portal viz. Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

During the FY 2011-12, the Company disposed of 174 grievance applications and 16 cases were pending as on 31/03/2012.

वर्ष 2011-12 के दौरान रक्षित जोखिम मूल्य (₹ करोड़ में)
Value of Risk Covered during 2011-12 (₹ Crores)

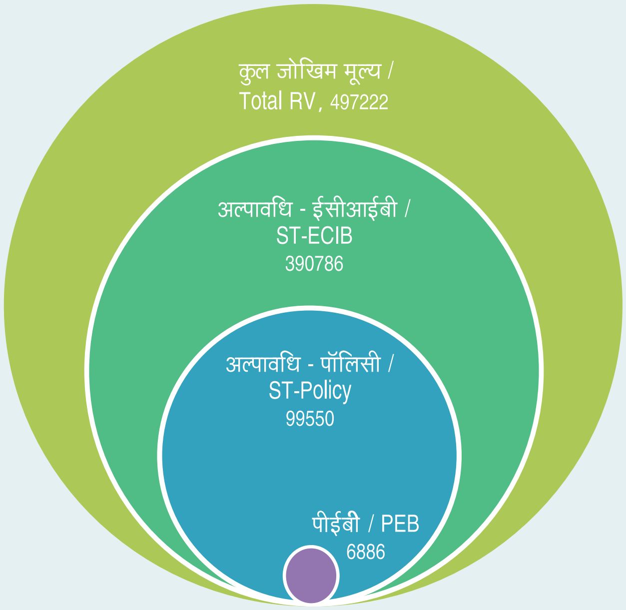

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समामेलन

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों के प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (ङ) के अनुसरण में सूचना कंपनी के कार्य की गतिविधि के स्वरूप को देखते हुए कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन ₹868.30 लाख (पिछले वर्ष ₹870.81 लाख) था। जबकि इसी अवधि में विदेशी मुद्रा खर्च ₹337.70 लाख (पिछले वर्ष ₹341.18 लाख) था।

नियुक्त बीमांकक

कंपनी ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से परामर्श आधार पर एक नियुक्त बीमांकक नियुक्त किया है। नियुक्त बीमांकक के कर्तव्य और दायित्व बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियमन 2000 के खंड (ख) विनियम 8 के अंतर्गत यथा निर्धारित है।

बीमांकक कार्यो के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक 'वित्तीय स्थिति रिपोर्ट' तैयार करना, आस्ति दायित्व प्रबंधन, आर्थिक पूंजी की गणना, आई बी एन आर आरक्षितियों का प्रमाणन और कंपनी की समग्र जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियों के प्रति एवं योग करना शामिल है।

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 217(e) of the Companies Act, 1956, read with Companies (Disclosure of Particulars in Report of Board of Directors) Rules, 1988 is not required to be given by the Company in view of the nature of business activity of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

Foreign exchange earning of the Company during the year under review was ₹868.30 Lacs (previous year ₹870.81 Lacs) while Foreign Exchange outgo during the same period was ₹337.70 Lacs (previous year ₹341.18 Lacs).

APPOINTED ACTUARY

The Company has engaged an Appointed Actuary on consulting basis, with due approval of IRDA. The duties and obligations of the Appointed Actuary are as laid down under Clause (b) Regulation 8 of the IRDA (Appointed Actuary) Regulations 2000.

A separate department has been set up to carry out the actuarial functions which inter alia, include preparation of a comprehensive 'Financial Condition Report', asset-liability management, computation of Economic Capital, Certification of IBNR reserves and contribution towards overall risk management strategies of the Company.

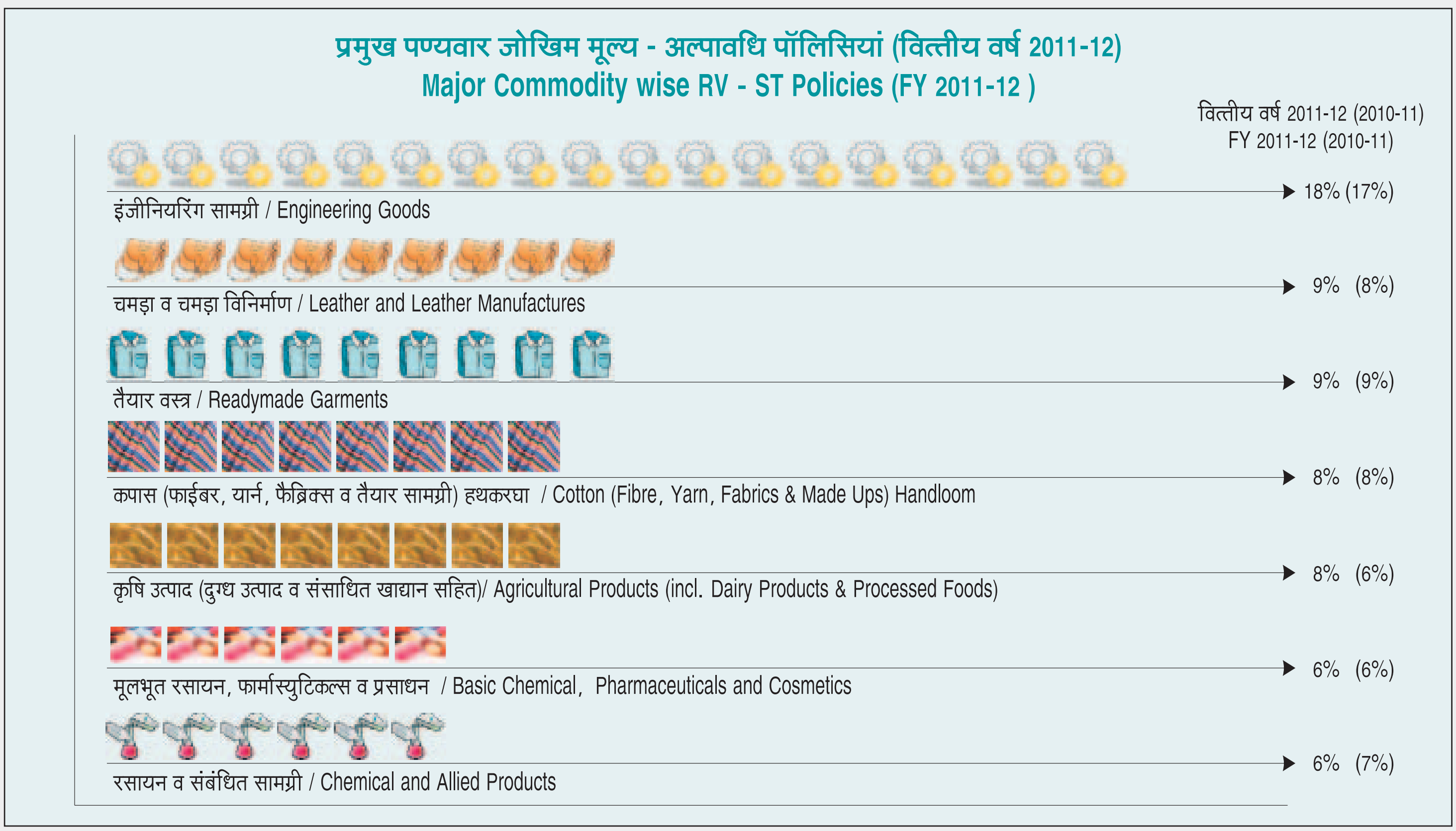

लेखा परीक्षा

कंपनी की लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसमें समसामयिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा एवं संबंधित प्रणालियां शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालन के आकार के अनुरूप है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रक्रियाएं और मुख्यालय एवं कंपनी के विभिन्न शाखाओं के संव्यवहार शामिल हैं। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों और प्रेक्षणों की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।

मेसर्स एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई और मेसर्स पी. एम. दलवी एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुंबई, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2011-12 के मुख्यालय के लेखों और समेकित लेखों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और टिप्पणियों एवं प्रेक्षणों पर विस्तृत स्पष्टीकरण और व्याख्या लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा (सी एवं ए जी)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड 1 ने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी को शून्य टिप्पणियों का प्रमाण-पत्र जारी किया है। प्रमाण-पत्र की एक प्रति लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की गई है।

कंपनी शासन

कंपनी सांविधिक / विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और ठोस निगम शासन प्रचलनों का निर्माण और उसका कड़ाई से अनुपालन भी करती है। विस्तृत निगम शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

निदेशक उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 क क) के अनुसरण में निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन देते हैं और संपुष्ट करते हैं कि -

(क) कंपनी ने वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विचलन से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ, यदि कोई हों के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों को अपनाया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो युक्तिसंगत और उपयुक्त हों ताकि 31 मार्च, 2012 को कंपनी के कारोबार की स्थिति की सही तस्वीर और 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ दिया जा सके।

AUDIT

The Company has in place an Audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is commensurate with the nature of the business and the size of its operations. The Auditors' Reports cover the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The Audit comments and observations are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors.

Messrs. M. B. Agrawal & Co., Chartered Accountants, Mumbai and Messrs. P. M. Dalvi & Co., Chartered Accountants, Mumbai are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India to audit the Head Office Accounts and to consolidate accounts of the Company for the FY 2011-12. The Report of the Auditors to Shareholders and detailed explanations and clarifications to the comments and observations therein, are appended to the Audited Financial Statements.

AUDIT BY THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG)

In pursuance of Section 619(4) of the Companies Act, 1956 the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-1 has, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, issued a certificate of **NIL** comments to the Company for the year ended 31st March, 2012. A copy of the certificate is appended to the Audited Financial Statements.

CORPORATE GOVERNANCE

The Company complies with all statutory/regulatory requirements and also formulates and adheres to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report is annexed to and forms an integral part of this Annual Report.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that -

(a) The Company has, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2012 and of the profit of the Company for the year ended 31st March, 2012;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड अनुरक्षित करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती है; और कि

(घ) निदेशकों ने सतत सरोकार आधार पर 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लेखे तैयार किए हैं।

आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और भारतीय रिजर्व बैंक को कंपनी को उनके सतत समर्थन और मार्गदर्शन तथा कंपनी के कारोबार तथा वृद्धि में दिखाई गई स्पष्ट रूचि के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक निर्यातकों एवं बैंकों के प्रति कंपनी में सतत विश्वास रखने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। निदेशक लेखा परीक्षकों से समय-समय पर मूल्यवान सलाह और सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। निदेशक सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हार्दिक प्रशंसा करते हैं जिन्होंने कंपनी को अपने व्यावसायिक प्रचालनों में बाजार का नेतृत्व अनुरक्षित करने के लिए कंपनी को समर्थ बनाने में अपना उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाई।

कृते एवं उनकी ओर से

एन. शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 जुलाई, 2012

(c) The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities; and that

(d) The Directors have prepared the accounts for the current financial year ended 31st March, 2012 on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Insurance Regulatory & Development Authority (IRDA), the Comptroller & Auditor General of India and Reserve Bank of India for their continued support and guidance to the Company and keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters and Banks for their continued trust reposed in the Company. The Directors place on record their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: 6th July, 2012

वैश्विक मंदी और यूरो क्षेत्र के संकट के परिप्रेक्ष्य में अमरीका और यूरोप में बड़े पैमाने पर दिवालियापन और भुगतान की चूक के कारण वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारतीय निर्यातकों के समक्ष अनेक समस्याएं आयी और उन्हें नुकसान हुआ। इस हानि में मेना देशों में उथल - पुथल और राजनैतिक अस्थिरता का भी योगदान रहा। विश्व में कम मांग से उनके निर्यात टर्नओवर और शिपमेंट कार्यक्रम भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। निर्यातकों को कम दरों पर अपने खरीदारों से समझौता का रास्ता अपनाना पड़ा। कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि बढ़ती उत्पादन लागत से इसमें और अधिक समस्या निर्मित हुई।

Indian exporters faced many problems and losses during FY 2011-12 owing to the large scale insolvencies and payment defaults in USA and Europe in the wake of global recession and Euro Zone crisis. Unrest and Political instability in MENA countries also contributed to such losses. Lower demand in the world market further adversely affected their export turnover and shipment schedules. The exporters had to resort to settlement with their buyers at reduced rates. Rising cost of production due to increase in price of raw material added to their woes.

प्रबंधन परिचर्चा एवं परिचालन की समीक्षा
Management Discussion and Review of Operations

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

यूरोप में सार्वभौमिक सतत ऋण संकट, जापान और थाईलैंड में प्राकृतिक आपदाओं से आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और अरब देशों में गड़बड़ी के कारण वैश्विक उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 3.8% से 2011 में 2.4% घट गई। विस्तार की यह गति 20 वर्षों के 3.2% के औसत से काफी नीचे थी। जो 2008 के वित्तीय वर्ष तक थी।

वर्ष 2011 में विश्व के वाणिज्यिक व्यापार के डॉलर का मूल्य 19% बढ़कर 18.2 खरब अमेरिकी डॉलर हो गया। अधिकांश वृद्धि उच्चतर कमोडिटी मूल्यों के कारण थी लेकिन मासिक व्यापार प्रवाह अनेक वर्षो में प्रमुख व्यापारिक देशों में अधिकांशतः सपाट या कम रहे।

विश्व के वाणिज्यिक व्यापार का आयतन 2011 में 5% बढ़ा और एशिया की 6.6% की वृद्धि सभी क्षेत्रों से अधिक थी। वर्ष 2011 में विशिष्ट विकासों में एक अफ्रीका के निर्यातों के आयतन में 8.3% की कमी थी। यह मुख्य रूप से लिबिया में नागरी युद्ध के कारण थी जिससे देश के तेल का शिपमेंट अनुमानतः 75% घट गया। जापान का निर्यात भी 0.5% घटा जबकि राष्ट्र कुल स्वतंत्र राज्यों का शिपमेंट मामूली 1.8% बढ़ा। विश्व की वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात का मूल्य 2011 में 11% बढ़कर 4.2 खरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो विशिष्ट देशों और क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दरों में सुदृढ अंतर के साथ थीं। भारत की निर्यात वृद्धि 2011 में प्रमुख व्यापारिक देशों में सबसे तीव्र थी। जहां शिपमेंट 16.1% बढ़ा।

समूह के रूप में विकासशील देश वैश्विक व्यापार के प्रमुख चालक हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक संकट से कम प्रभावित क्षेत्र के निर्यात के कारण 2012 में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया प्रशांत क्षेत्र अब पहले की अपेक्षा आपस में अधिक व्यापार करते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में उनका व्यापार घटा है। दक्षिण एशिया के निर्यात भारत और चीन के नेतृत्व में वर्ष की पहली छमाही में उत्कृष्ट रहे हैं और दूसरी छमाही में इनमें तीव्र गिरावट हुई है।

जुलाई 2011 में मुंबई में श्री फ्रेड पी.होच्बेर्ग, अध्यक्ष, अमेरिकी एक्जिम बैंक और ईसीजीसी के अधिकारीगण, एसएमई और महिला उद्यमियों के साथ चर्चा करते हुए
Mr.Fred P Hochberg President, US Exim Bank and ECGC officials interacting with SMEs and Women Entrepreneurs at Mumbai in July, 2011

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The growth rate of world output fell to 2.4% in 2011 from 3.8% in the previous year, weighed down by the ongoing sovereign debt crisis in Europe, supply chain disruptions from natural disasters in Japan and Thailand, and turmoil in Arab countries. This pace of expansion was well below the 3.2% average over the 20 years leading up to the financial crisis in 2008.

In 2011, the dollar value of world merchandise trade advanced 19% to $18.2 trillion. Much of the growth was due to higher commodity prices, but monthly trade flows were mostly flat or declining in many major trading countries over the course of the year.

World merchandise trade volume grew by 5% in 2011 and Asia's 6.6% increase led all regions. One of the more significant developments in 2011 was the 8.3% contraction in the volume of Africa's exports. This was largely due to the civil war in Libya, which reduced the country's oil shipments by an estimated 75%. Japan's exports also fell by 0.5%, while shipments from the Commonwealth of Independent States (CIS) advanced just 1.8%. The value of world commercial services exports increased by 11% in 2011 to $4.2 trillion, with strong differences in annual growth rates of specific countries and regions. India had the fastest export growth among major trading countries in 2011, with shipments rising by 16.1%.

As a group, developing countries are the major drivers of global trade. It is believed that the Asia Pacific region will remain the fastest growing in 2012, given the record that exports from the region were less affected by the global crisis. This is vitally important to the global economy. Asia Pacific countries are trading much more with one another now than before, while their trade with the US and the EU have declined. South Asia's exports, led by India and China, excelled in the first half of the year and later dropped steeply.

परिदृश्य

व्यापार का अनुमान वर्ष 2012 के लिए 2.1% की विश्व सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि मानता है। जहां विकसित अर्थव्यवस्थाएं 1.1% तक घटेंगी और शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाएं 5% बढेंगी। वर्ष 2013 के अनुमान के अनुसार वैश्विक वृद्धि में 2.7% की तेजी आएगी जहां विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को 1.8% का लाभ होगा और विश्व की शेष अर्थव्यवस्थाएं 5.4% बढ़ेंगी।

विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्रियों ने वाणिज्यिक व्यापार आयतन की वृद्धि में 2012 में 3.7% की मंदी का अनुमान लगाया है। जहां विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2% निर्यात वृद्धि और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (सी आई एस सहित) में 5.6% के वृद्धि की आशा है। आयात के संबंध में विश्व व्यापार संगठन ने विकसित देशों में 1.9% और विकासशील देशों तथा सी आई एस में 6.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

हाल के महीनों में विश्व व्यापार का परिदृश्य धुंधला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यूरो सार्वभौमिक ऋण संकट वैश्विक वृद्धि को कम करने की चुनौती दिया है। यूनान के ऋण पुनर्संरचना योजना करार से सरकारों को कुछ राहत मिली है। लेकिन यूरोपीय संघ में मामूली मंदी दिखाई पड़ रही है जिससे वैश्विक व्यापार और उत्पादन में कमी आएगी। यूरोपीय संघ में घटते आयात मांग से निश्चित तौर पर उभरते और विकासशील देश प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जो उनके निर्यातों के लिए एकल सबसे बड़ा बाजार है। यूरो क्षेत्र में अत्यधिक मंदी से सामाजिक भुगतान स्थानांतरण बढ़ सकता

OUTLOOK

The trade forecast assumes world GDP growth of 2.1% for 2012, with developed economies slowing to 1.1% and the rest of the world growing at 5%. The 2013 projection assumes a quickening of global growth to 2.7%, with developed economies gaining 1.8% and the rest of the world advancing by 5.4%.

WTO economists have forecast a slowdown in merchandise trade volume growth to 3.7% in 2012, with 2% export growth anticipated for developed economies and 5.6% for developing economies (including the CIS). On the import side, the WTO is projecting 1.9% growth for developed countries and 6.2% for developing economies and CIS.

The outlook for world trade darkened in recent months as the euro sovereign debt crisis threatened to undermine global growth. The agreement on a debt restructuring plan for Greece has provided some respite for governments, but at least a mild recession in the European Union may now be looming, with negative consequences for global trade and output. Emerging and developing countries would certainly be adversely affected by falling import demand in the European Union, which is the single largest market for their exports. A deeper recession in the euro area may increase social

वर्ष 2011-12 के दौरान देशवार रक्षित जोखिम मूल्य
Country-wise RV covered during 2011-12

(₹ करोड़ में) / (₹ Crores)

	वित्तीय वर्ष 2011-12 FY 2011-12		वित्तीय वर्ष 2010-11 FY 2010-11	
	% शेयर % Share	जोखिम मूल्य RV	% शेयर % Share	जोखिम मूल्य RV
अमेरिका / USA	18	11023	18	10092
यूके / UK	8	4942	9	4940
जर्मनी / Germany	7	4225	7	3840
यूएई / UAE	6	3390	5	2766
इटली / Italy	4	2660	4	2443
बांग्लादेश / Bangladesh	3	2133	4	2152
फ्रांस / France	3	2103	4	2208
हांगकांग / Hongkong	3	1853	3	1689
सिंगापुर / Singapore	3	1764	2	1269
चीन / China	3	1621	3	1545

है, अत्यधिक आवश्यक राजस्व से नकदी विहीन सरकारें वंचित रह सकती हैं और देशों की अपने कर वापसी की योग्यता पर संदेह उत्पन्न हो सकता है। इससे देशों की ऋण लेने की लागत बढ़ेगी और वित्त पोषण को चुनौती मिलेगी तथा मंदी वापस आएगी।

बढ़ते हुए कमोडिटी मूल्य भी जोखिम कारक निर्मित करते हैं लेकिन उनका वितरण प्रभाव काफी अस्पष्ट है। विशेष रूप से ऊंचे तेल के मूल्य आर्थिक गतिविधि में बाधक है और आयातक देशों में मंदी से जुड़े हैं। हालांकि गुंजयमान मूल्य भी संसाधन उत्पादकों के निर्यात अर्जन को बढ़ाते हैं जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बेतहासा उभर रही हैं।

भारत का निर्यात

भारत की विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) 2009-14 का अल्पावधि उद्देश्य निर्यातों में कमी की प्रवृत्ति को रोकना और उसे बदलना तथा उन क्षेत्रों को अतिरिक्त समर्थन उपलब्ध कराना जो मंदी की प्रवृत्तियों से बुरी तरह प्रभावित हुए हों।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत का निर्यात 21% बढ़कर हर समय से अधिक 303.71 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद (38.50%) समुद्री उत्पाद (3104%) चमड़ा (22.50%), औषधि एवं औषधीय वस्तुएं (21.9%), मानव निर्मित धागे और कपड़े (18.5%), रेडिमेड कपड़े (18%) और इंजीनियरिंग सामान (16.9%) में अच्छी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारतीय निर्यात 32.15% बढ़कर 488.64 खरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गए तथा वर्ष का व्यापारिक घाटा बढ़कर 184.93 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। ऐसा अनुमान है कि 2012-13 में भारत से निर्यात लगभग 20% बढ़ेगा।

transfer payments, deprive cash strapped governments of much needed revenue and cast doubt on the ability and willingness of countries to service their debts. This may drive up borrowing costs for countries with challenging finances and reinforce downturn.

Rising commodity prices also constitute a risk factor, but their distributional effects are more ambiguous. High oil prices, in particular, constrain economic activity and are associated with recessions in importing countries. However, buoyant prices also boost the export earnings of resource producers, which are disproportionately emerging developing economies.

INDIA'S EXPORTS

The short term objective of India's Foreign Trade Policy (FTP) 2009-14 was to arrest and reverse the trend of decline in exports and to provide additional support to those sectors that were badly hit by the recessionary trends.

During FY 2011-12, India's exports surged by 21% to reach an all time high of US$ 303.71 bn. Commodities like Petroleum Products (38.50%), Marine Products (31.40%), Leather (22.50%), Drugs & Pharmaceuticals (21.90%), Man made Yarn & Fabrics (18.50%), Readymade Garments (18%) and Engineering Goods (16.90%) have recorded good growth. Indian Imports rose by 32.15% to reach US$ 488.64 bn. During the FY 2011-12 the trade deficit for the year has widened to US$ 184.93 bn. It is projected that exports from India will grow by around 20% in 2012-13.

कंपनी के प्रचालनों की समीक्षा

[इस अनुभाग के निक्षेप वाक्य के आंकड़ों में पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों शामिल किया गया है।]

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियां

वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक स्थानांतरण गारंटी सहित कुल निर्यात ऋण अल्पावधि बीमा पॉलिसियों की संख्या 13005 (13093) थी। हालांकि शिपमेंट व्यापक जोखिम पॉलिसियां (एस सी आर) और निर्यात टर्न ओवर पॉलिसियां (ई टी पी) अभी भी प्रमुख पॉलिसियां हैं। जोखिम आधारित पॉलिसियों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 में अल्पावधि पॉलिसियों पर अर्जित प्रीमियम आय ₹353.05 करोड़ (₹333.66 करोड़) थी, जिसमें 6.17% की वृद्धि दर्ज हुई। वित्तीय वर्ष 2011-12 में अल्पावधि बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान किए गए दावे ₹86.94 करोड़ (₹160.47 करोड़) थे।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अ.प्र.नि. श्री एम.वी.टांकसाळे को ईसीआईबी रक्षा के अंतर्गत ₹33.09 करोड़ का दावा चेक प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CMD releasing a claim cheque for ₹33.09 Cr. Under ECIB cover to Sh. M.V. Tanksale, CMD, Central Bank of India.

ग्राहक विशिष्ट रक्षा

वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक ₹934.50 करोड़ के कुल जोखिम सहित 35 ग्राहक विशिष्ट रक्षा चालू थीं। वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित प्रीमियम आय ₹20.35 करोड़ (₹27.17 करोड़) था। वित्तीय वर्ष 2011-12 (₹16.67 करोड़) में ग्राहक विशिष्ट रक्षा के अंतर्गत भुगतान किए गए दावे ₹5.72 करोड़ थे।

कंपनी ने कतिपय शर्तो के अनुपालन के अधीन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यातकों को कस्टमाइज्ड कवर जारी किया।

बैंकों को अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी कवर)

वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल अर्जित प्रीमियम ₹601.84 करोड़ (₹510.66 करोड़) रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक था। यह वित्तीय वर्ष 2011-12 में सभी क्षेत्रों का एक साथ 60% कुल प्रीमियम था। वित्तीय वर्ष 2011-12 में ई सी आई बी के अंतर्गत बैंकों को भुगतान किए गए दावे ₹625.99 करोड़ (₹459.63 करोड़) थे, जो पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े से 36% अधिक थे। वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹152.60 करोड़ (₹110.65 करोड़) वसूल किए गए जो 38% अधिक थे और निर्यातकों से बैंकों द्वारा वसूल की गई राशि में कंपनी का हिस्सा था, ई सी आई बी रक्षा के अंतर्गत कंपनी द्वारा क्षतिपूर्त हानि के लेखों के संबंध में था। और उन लेखों के संबंध में था जिसके लिए ई सी आई बी कवर के अंतर्गत कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की गई थी। जारी किए

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

[Figures within parenthesis in this section denote the corresponding figures for the previous year.]

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies in force, including transfer guarantees, as at the end of the Financial Year (FY) 2011-12 was 13005 (13093). Even though Shipment Comprehensive Risk Policies (SCR) and Export Turnover Policies (ETP) are still the major policies in force, exposure based policies continue to show a growing trend. Premium income earned on ST policies during the FY 2011-12 was ₹353.05 crores (₹333.66 crores) registering a growth of 6.17%. Claims paid under Short Term Credit Insurance Policies during the FY 2011-12 were ₹86.94 crores (₹160.47 crores)

CUSTOMER-SPECIFIC COVERS

As at the end of the FY 2011-12, there were 35 Customer-Specific Covers in force with a total exposure of ₹934.50 crores. Premium income during the Financial Year was ₹20.35 crores (₹27.17 crores). Claims paid under the Customer Specific Covers stood at ₹5.72 crores during FY 2011-12 (₹16.67 crores).

The Company issues customised covers to exporters as per IRDA guidelines, subject to compliance of certain conditions.

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE TO BANKS (ECIB COVERS)

The total premium earned for the FY 2011-12 stood at ₹601.84 crores (₹510.66 crores), registering a growth of 18%, over the previous year. This accounted for 60% of the total aggregate premium for the FY 2011-12 from all sectors put together. Claims paid to banks under ECIB during the FY 2011-12 stood at ₹625.99 crores (₹459.63 crores), higher by 36%, over the corresponding figure for the previous year. An amount of ₹152.60 crores was recovered (₹110.65 crores) during the FY 2011-12, higher by 38%, being the Company's share in the amounts recovered by banks from exporters, from accounts in respect of which losses had been indemnified by the Company under ECIB

गए विभिन्न ई सी आई बी कवर के अंतर्गत कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य ₹3,90,786 करोड़ (₹3,31,758 करोड़) था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18%, अधिक था।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, दावा/प्रीमियम अनुपात (सी पी आर) के आधार पर अंतर प्रीमियम दर ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीएस कवर के लिए शुरू की गई थी। नवम्बर, 2011 से प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों के लिए संपूर्ण टर्न ओवर कवर भारतीय स्टेट बैंक के लिए जारी की गई थी। उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों का जोखिम जैसे हिरे जवाहरात और हिरे के क्षेत्र तथा लौह अयस्क के लिए निकटता से मानिटर किए गए तथा प्रतिबंधित हामीदारी उपायों के माध्यम से नियंत्रित किए गए।

मध्यम और दीर्घावधि व्यवसाय समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए मध्यम और दीर्घावधि (एमएलटी) व्यवसाय से प्रीमियम आय ₹47.11 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष ₹41.23 करोड़ थी। इसमें 14.40% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2011-12 में किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया और वित्तीय वर्ष 2011-12 में पिछले वर्षो में भुगतान किए गए दावों के कारण पॉलिसी के अंतर्गत ₹3.40 करोड़ की वसूली की गई। कंपनी ने एनईआईए के साथ जोखिम के बंटवारे के आधार पर तीन परियोजनाओं को रक्षा देने की व्यवस्था की, जो ईराक, सुडान और थाईलैंड में थी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में एम एल टी परियोजना निर्यातकों को 37 ऋण बीमा पॉलिसियां जारी की गई थीं जो उनके द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनैतिक/व्यापक जोखिम कवर करती थीं। सड़कें, रेलवे, चीनी मिल की स्थापना, आवास निर्माण आदि सहित बुनियादी सुविधाएं कवर किए

covers. The Total Risk Value covered by the Company under the various ECIB covers issued, was ₹3,90,786 crores (₹3,31,758 crores), higher by 18%, over the previous year.

During the FY 2011-12, a differential premium rate, based on Claim/ Premium Ratio (CPR), was introduced for the ECIB-WTPS covers. Whole-turnover covers, for both Pre-shipment and Post-shipment, were issued to the State Bank of India, effective from November, 2011. Exposure to sectors with high claim ratios such as Gem, Jewellery and Diamonds sector and Iron Ore, was closely monitored and controlled through restrictive underwriting measures.

MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2011-12 stood at ₹47.11 crores as against ₹41.23 crores in the previous year, registering a growth of 14.40%. No claims were paid during the FY 2011-12 and a recovery of ₹3.40 crores was made under Policy during the FY 2011-12 on account of claims paid in the previous years. The Company has arranged to cover three projects, one each in Iraq, Sudan and Thailand, on a risk sharing basis with NEIA.

During the FY 2011-12, 37 credit insurance policies were issued to MLT project exporters covering political/comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered were Infrastructure including roads, railways, setting up of sugar mills,

देशवार रक्षित जोखिम मूल्य - वर्ष 2011-12 के दौरान एमएलटी (₹ करोड़ में)
Country-wise RV covered - MLT during 2011-12 (₹ Crores)

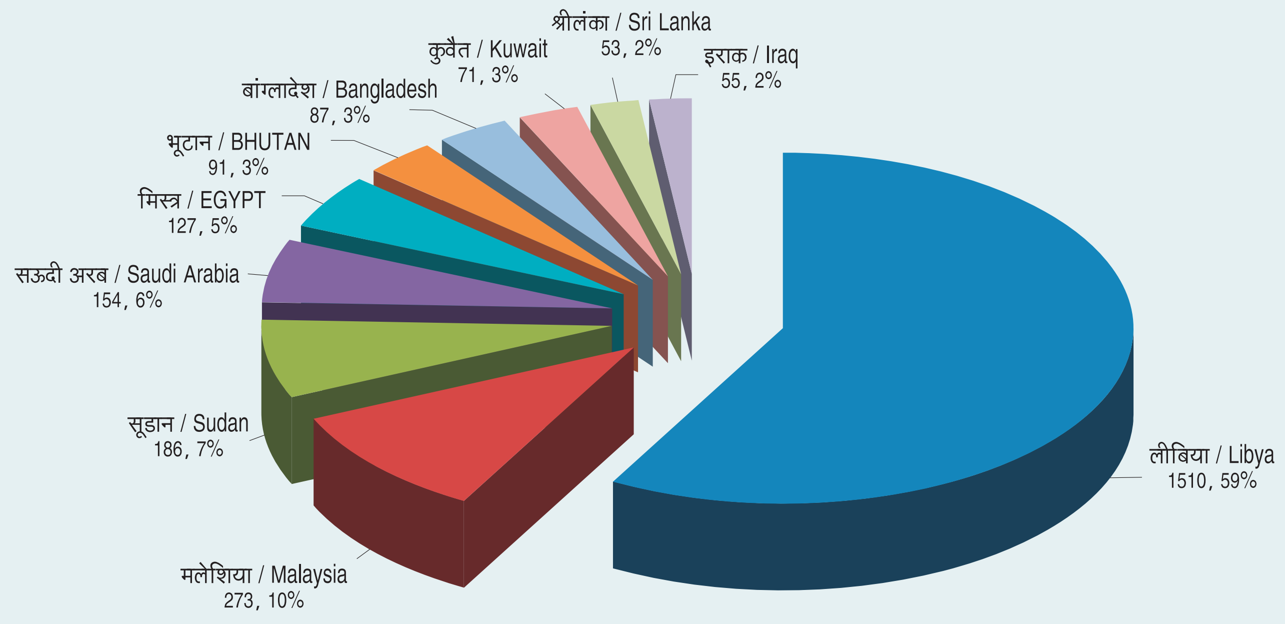

Management Discussion and Analysis

जाने वाले प्रमुख क्षेत्र थे। वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹100 करोड़ से अधिक के अधिकतम दायित्व के साथ दो पॉलिसियां जारी की गईं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंकों (ई सी आई बी) के लिए निर्यात ऋण बीमा के अंतर्गत कवर की संख्या पिछले वर्ष के 160 की तुलना में बढ़कर 243 हो गई।

खरीददार की ऋण रक्षा

कंपनी ने एक्जिम बैंक के साथ मिलकर कतिपय विकासशील देशों में परियोजना/पूंजीगत सामग्री के निर्यात और आस्थगित भुगतान शर्तों पर बाजारों के संकेंद्रण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास, राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एन ई आई ए) के अंतर्गत 'खरीददार ऋण रक्षा' जैसा एक नया उत्पाद 2010-11 में शुरू किया है।

परियोजना निर्यातकों ने इस योजना में अत्यधिक रूचि दिखाई है और कंपनी को वित्तीय वर्ष 2011-12 में लगभग 40 इनक्वायरी प्राप्त हुईं। उपर्युक्त इनक्वायरी में से श्रीलंका और जांबिया की दो परियोजनाओं के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया।

निवेश

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के विनियमनों के अनुसार आवश्यक क्षेत्र में कंपनी का निवेश 31 मार्च, 2012 को (जिनमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, आवास क्षेत्र और बुनियादी सुविधा क्षेत्र शामिल हैं) ₹2,523.21 करोड़ थी, जो कुल निवेश का 59.11% (पिछले वर्ष 59.45%) थी, जो मानदंडों के अनुसार 45% की न्यूनतम अपेक्षा की तुलना में थी। कंपनी का निवेश पोर्ट फोलियो 31 मार्च, 2011 के ₹3,956.84 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2012 को ₹4,268.51 करोड़ हो गया। जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.88% की वृद्धि देखी गई। निवेश आय में 26.21% की वृद्धि हुई जो वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹280.17 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹353.60 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष के 7.78% वार्षिक आय की तुलना में 31 मार्च, 2012 को वर्ष की आय 8.69% वार्षिक आय थी।

कंपनी का प्रयास दावों के भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता अनुरक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखने के बाद जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन बनाए रखना था।

housing construction, etc. Two policies were issued during the FY 2011-12 with Maximum Liability of more than ₹100 crores. The number of covers under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2011-12 has gone up to 243 as against 160 in the previous year.

BUYER'S CREDIT COVER

श्रीलंका के दांबुल्ला परियोजना पर श्री डेविड रसकुइन्हा, का.नि., एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ खरीदार ऋण कवर करार (एनईआईए) का आदान-प्रदान करते हुए कार्यपालक निदेशक।
फोटो में अ.प्र.नि. तथा ईसीजीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण
Executive Director exchanging Buyers Credit Cover Agreement (NEIA) with Sh. David Rasquinha E.D., EXIM Bank of India on a/c of Dambulla project in Sri Lanka. Seen in the picture are CMD and other senior officials of ECGC.

The Company, in association with Exim Bank, introduced in 2010-11, a new product viz. 'Buyers' Credit Cover' under National Export Insurance Account (NEIA), a trust set up by the Government of India, with a view to promote project/capital goods exports to certain developing countries and focus markets on deferred payment terms. The project exporters evinced keen interest in the scheme and the Company received about 40 enquires during the FY 2011-12. Out of the above enquiries two proposals have been finalised for projects in Sri Lanka and Zambia.

INVESTMENTS

The Company's investments as on 31st March, 2012 in mandatory sectors, as per IRDA Regulations (which include investments in Central Government Securities, State Government Securities, Other Approved Securities, Housing Sector and Infra Sector), stood at ₹2,523.21 crores representing 59.11% (previous year 59.45%) of the total Investment, as against a minimum requirement of 45% as per norms. The Company's investment portfolio has gone up from ₹3,956.84 crores as at 31st March, 2011 to ₹4,268.51 crores as at 31st March, 2012 registering a growth of 7.88% over the previous year. The investment income registered a growth of 26.21%, from ₹280.17 crores for FY 2010-11 to ₹353.60 crores for the FY 2011-12. The yield for the year ended 31st March, 2012 was 8.69% p.a. as against 7.78% p.a. for the previous year.

The Company's endeavour was to strike a balance between risk and return, after taking into account the need to maintain adequate liquidity to meet claim payments.

खरीददार की हामीदारी

वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास कंपनी के व्यवसाय और जोखिम रूपरेखा पर प्रभाव डालता है। देश से निर्यात समर्थन और साथ ही अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए न्यायसंगत तरीके अपनाकर संतुलन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। कंपनी नई उभरती बाजारों को निर्यातों के विविधिकरण का भी समर्थन करती है जहाँ खरीददारों को पर्याप्त सूचना का अभाव एक चुनौती है।

जोखिम मूल्यांकन उस देश में जहाँ खरीददार रहता है, उद्योग के परिदृश्य, खरीददार के परिचालन, विधिक स्थिति, वित्तीय, बाजार की स्थिति आदि सहित अनेक पैरामीटरों पर आधारित होता है। प्रतिष्ठित एजेंसी से खरीददार की क्रेडिट रिपोर्ट का वित्तीय विवरणों के साथ विश्लेषण किया जाता है। उपर्युक्त भुगतान मिलने के अनुभव और निर्यातकों से प्राप्त विदेशी खरीददारों की सूचना या खुद खरीददार से प्राप्त सूचना इसकी पूरक होती है। समय-समय पर कंपनी द्वारा अपनाई गई हामीदारी नीतियां विभिन्न क्षेत्रों, देशों, प्रवृत्तियों, परिदृश्य में अभिभावी जोखिम प्रतिबिंबित करती हैं और इनकी समीक्षा की जाती है तथा आवधिक रूप से नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। यूरो जोन में सार्वभौमिक ऋण संकट और विश्व की शेष अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव कंपनी की वर्तमान हामीदारी पॉलिसियों पर असर डालता है। जहाँ बड़े जोखिम होते हैं वहां कंपनी के पास समग्र सीमाओं की मानिटरिंग की सतत प्रणाली है।

BUYER UNDERWRITING

The developments in the global economy impact the business and risk profile of the Company. A fine balancing act is done to support the exports from the country and at the same time, to adopt a judicious approach to avoid undue risks. The Company also supports diversification of exports to newer emerging markets, where lack of adequate information on the buyers is a challenge.

The risk assessment is based on a variety of parameters including the country in which the buyer is located, the industry outlook, buyer's operations, legal status, financials, market position, etc. The credit report on the buyer, from a reputed agency, along with financial statements, is analysed. The above is supplemented with the payment realization experience and information about the foreign buyer obtained from the exporter or buyer himself. Underwriting policies adopted by the Company from time to time reflect the risks prevalent in different sectors, countries, trends, outlook and these are being reviewed and necessary changes are made in the policy periodically. The sovereign debt crisis in the Euro Zone and its impact on the rest of the global economy, has a bearing on the current underwriting policies of the Company. The Company has a system of continuous monitoring of overall limits where exposures are large.

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान उत्पाद वार रक्षित जोख़िम मूल्य (₹ करोड़ में)
Product-wise RV covered during 2010-11 and 2011-12 (₹ Crores)

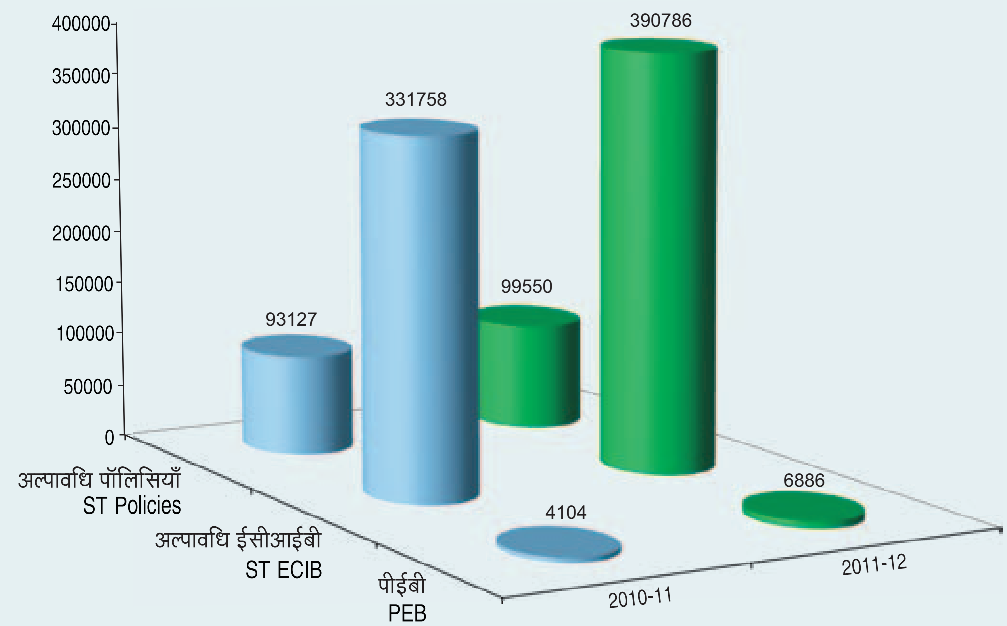

पिछले वर्ष के 38539 प्राप्त आवेदनों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 37056 ऋण सीमा आवेदन प्राप्त हुए। पिछले वर्ष ₹26,111 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी खरीददारों पर समग्र सीमाएं निर्धारित करके कंपनी द्वारा कुल हामीदार जोखिम ₹28,252 करोड़ थे। पिछले वर्ष के 18087 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी के आंकड़ा आधार में जुड़े नए खरीददार 16814 थे। पूर्व निर्धारित भार के आधार पर समग्र सीमाओं के निर्धारण को सुगम बनाने के लिए संगतता और वस्तु परकता में सुधार के लिए एक नई स्कोर कार्ड प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है।

देश की हामीदारी

वर्ष 2011 की पहली छमाही के बाद जब यूरो जोन का ऋण संकट बढ़ा तो वैश्विक आर्थिक बहाली को एक बड़ा झटका लगा। यूरो क्षेत्र में व्यावसायिक विफलता आयरलैंड, ईटली, पुर्तगाल तथा हंगरी जैसे देशों में भी बढ़ी। ये आयरलैंड प्रमुख मंदी से अभी भी उबर रहे हैं। यूनान में आर्थिक और राजनैतिक विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था को और भी अस्थिर कर दिए। संयुक्त राष्ट्र ने मामूली सुधार दिखाया फिर भी बिगड़ती आर्थिक हालात दिवालिएपन का स्तर बढ़ने की संभावना है। जहां यूरो जोन का संकट प्रमुख चुनौती है वहीं मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र (एम ई एन ए) की गड़बड़ी भी आर्थिक विकास के लिए प्रमुख जोखिम तत्व निरूपित किया। शेष एशिया ने वैश्विक जोखिम परिदृश्य के लिए पुनर्संतुलन कारक उपलब्ध कराया लेकिन यूरो संकट का चीन, भारत और अन्य उभरते देशों पर प्रभाव पड़ा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की बहाली में सहायता कर रहे हैं।

The number of credit limit applications received in FY 2011-12 was 37056 as against 38359 applications received in the previous year. During the Financial Year, the aggregate exposure underwritten by the Company by fixing overall limits on foreign buyers was ₹28,252 crores as against ₹26,111 crores in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during 2011-12 was 16814 as against 18087 in the previous year. A new score card system to facilitate fixation of Overall Limits, based on pre-determined weights, is being implemented to improve consistency and objectivity.

COUNTRY UNDERWRITING

The global economic recovery suffered a major setback after the first half of 2011 when the Euro Zone debt crisis escalated. The business failures in the Euro region have increased in countries such as Ireland, Italy, Portugal and Spain and also in Hungary and Iceland, which are still recovering from the major downturns. The economic and political developments in Greece further destabilised the global economy. The United States showed a marginal improvement, however, the deteriorating economic outlook is likely to increase the insolvency levels. While the Euro Zone crisis is the major challenge to face, the unrest in the Middle East and the North Africa region (MENA) also represented a major risk element for economic development. The rest of Asia provided a rebalancing factor to the global risk scenario but the Euro crisis had an impact on China and India and other emerging countries which are assisting global economic recovery.

क्षेत्रवार प्रीमियम (₹ करोड़ में)
Sector-wise Premium (in ₹ Crores)

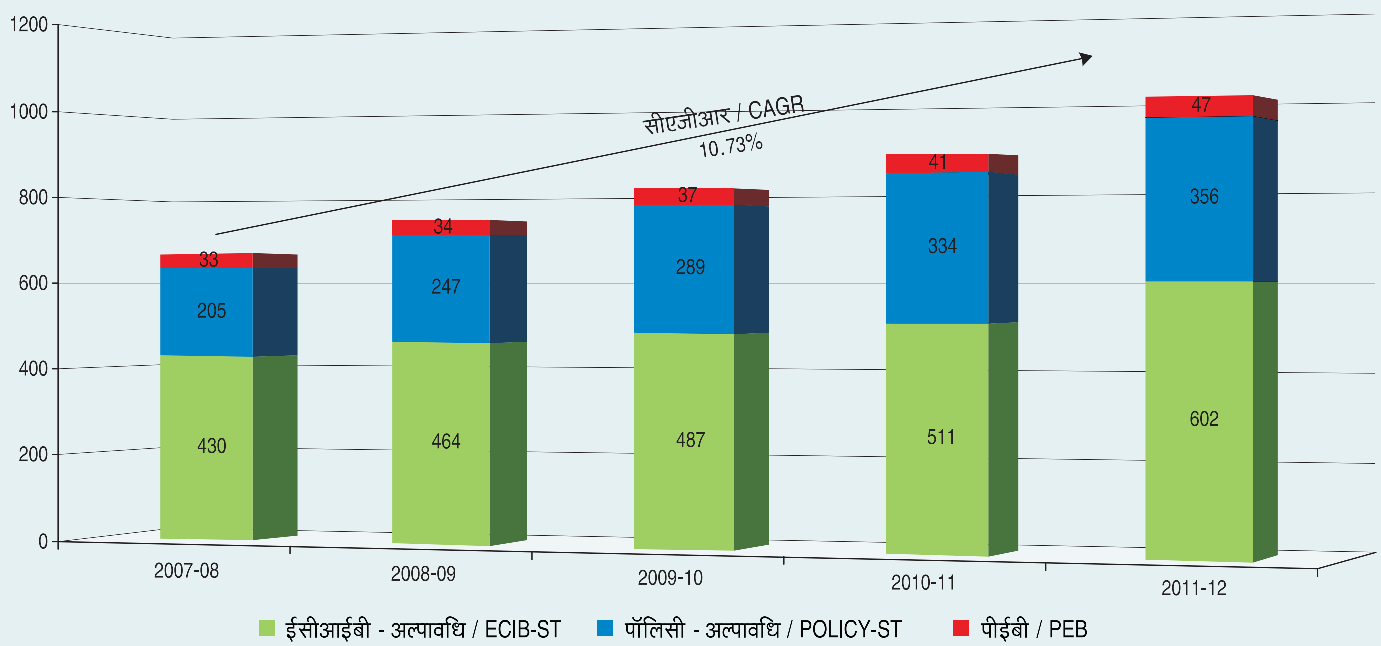

देश का जोखिम रेटिंग सिद्धांत (सी आर आर एम) देशों के जोखिम रूपरेखा का आंकलन करने के लिए तैयार की गई है जो सात स्तरीय वर्गीकरण है। भारत के साथ देश के संबंध सहित, ई सी जी सी के अनुभव और बर्न यूनियन सदस्यों के नजरिए के साथ विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर विभिन्न देशों में आर्थिक, राजनैतिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। कंपनी का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि यह भारत सरकार के संकेंद्रण बाजार नीति के अनुसार और अपने खुद के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर भी भारत के निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदार हामीदारी नीति अपनाए।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी द्वारा अनेक देशों की हामीदारी नीतियों को संशोधित किया गया। अत्यधिक राजनैतिक जोखिमों के कारण अल्जीरिया, बहरेन, यूनान, जार्डन, लिबिया और सीरिया को खुले रक्षा देश की सूची से हटाकर प्रतिबंधित रक्षा देश सूची की श्रेणी-I में रखा गया, अर्जेंटाइना को प्रतिबंधित रक्षा देश सूची श्रेणी-I से हटाकर खुली रक्षा देश श्रेणी में रखा गया, 31 मार्च, 2012 को सूची के 237 देशों में से 196 देशों को खुली रक्षा श्रेणी में, 29 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी-I में और 12 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी-II की सूची में रखा गया।

31.03.2012 को देश के वर्गीकरण का सारांश निम्न है :

देश की श्रेणी	क 1	क 2	ख 1	ख 2	ग 1	ग 2	घ
देशों की संख्या	53	40	35	34	47	19	09

A Country Risk Rating Methodology (CRRM) has been devised to rate the risk profile of countries on a seven fold classification. An analysis is made of the economic and political situations in various countries, based on various parameters including the country's relationship with India, ECGC's experience and the approach of other Berne Union members. The Company endeavours to ensure that it follows a liberal underwriting policy in order to promote India's exports in accordance with the focus market policy of the Government of India, as also its own risk assessment.

During the FY 2011-12, the underwriting policies on many countries were revised by the Company. Algeria, Bahrain, Greece, Jordan, Libya and Syria were removed from the Open Cover country list and placed in the Restricted Cover Country List Category-I due to the heightened political risks. Argentina was removed from the Restricted Cover Country List Category-I and placed in the Open Cover countries category. As on 31st March, 2012, out of the 237 countries in the list, 196 countries were placed in the Open Cover category, 29 countries in the Restricted Cover country list category - I and 12 countries in the Restricted Cover country list category - II.

The summary of the country classification as on 31.03.2012 was as follows:

Country Category	**A1**	**A2**	**B1**	**B2**	**C1**	**C2**	**D**
Number of Countries	53	40	35	34	47	19	09

उत्पादवार दावों का भुगतान (₹ करोड़ में)
Product-wise Claims Paid (₹ Crores)

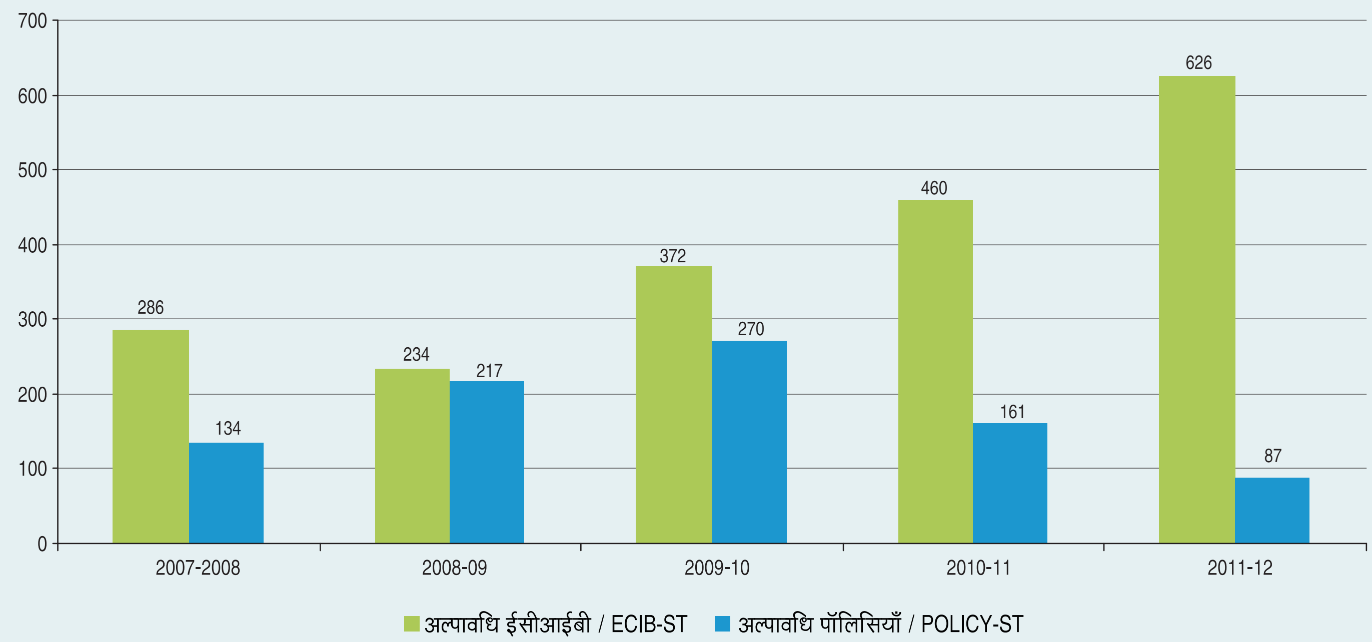

जोखिम प्रबंधन

निर्यात ऋण जोखिम बीमा व्यवसाय से होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी ने एक समर्पित जोखिम प्रबंधन विभाग स्थापित किया है। बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा के संबंध में एकल निर्यातक और निर्यातक समूह के लिए जोखिम मानदंड कंपनी की निवल मूल्य के 50% और 75% पर निर्धारित की गई है। निर्यात निष्पादन क्षतिपूर्ति के मामले में सीमा कंपनी के निवल मूल्य के क्रमशः 5% और 10% निर्धारित की गई है। अल्पावधि पॉलिसी व्यवसाय के लिए देश की जोखिम सीमा पिछले पाँच वर्षों में रक्षित सर्वोच्च मूल्य पर या ₹100 करोड़ में से जो भी अधिक हो 'प्रतिबंधित रक्षा' देशों के लिए निर्यात के संबंध में निर्धारित की गई है। अल्पावधि पॉलिसियों के लिए जोखिम सीमाएं खुले रक्षा देशों में स्थित खरीददारों और बैंकों के संबंध में कंपनी के निवल मूल्य का क्रमशः 5% और 10% निर्धारित की गई है तथा प्रतिबंधित रक्षा देशों में स्थित खरीददारों और बैंकों के लिए कंपनी के निवल मूल्य के क्रमशः 1 से 2.5% और 2.5 से 5% पर निर्धारित की गई है। अल्पावधि पॉलिसी और ई सी आई बी व्यवसाय के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में सभी औद्योगिक क्षेत्रों के कुल जोखिम की 15% सीलिंग रखी गई है। मध्यम और दीर्घावधि निर्यातों के लिए प्रति निर्यातक प्रति परियोजना कंपनी के निवल मूल्य का 25% निर्धारित की गई है। देश के जोखिम के लिए जोखिम सीमा ई सी जी सी के निवल मूल्य का 100% निर्धारित की गई है।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी की अल्पावधि पॉलिसियों के संबंध में ₹20 करोड़ से अधिक की हानि से लेकर ₹80 करोड़ तक और अल्पावधि ई सी आई बी रक्षा के लिए ₹40 करोड़ से अधिक की हानि से लेकर ₹640 करोड़ तक के अतिरिक्त हानि प्रबंधन के साथ मध्यम और दीर्घावधि रक्षा सहित संपूर्ण व्यवसाय के लिए जी आई सी से 10% अनिवार्य पुनर्बीमा के अलावा अल्पावधि पॉलिसियों और अल्पावधि ई सी आई बी रक्षा के लिए कंपनी ने भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं से 13% तक की सीमा तक समानुपाती पुनर्बीमा संधि किया था।

रूकी हुई निधि की वसूली

कंपनी सूडान एवं अन्य अफ्रीकी देशों से रूकी हुई निधि की वसूली का प्रयास कर रही है जिसके संबंध में निर्यातकों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को दावे समायोजित किए गए थे।

सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी ने एकीकृत अनुप्रयोग साफ्टवेयर के विकास और कस्टमाइजेशन सहित एंड टू एंड हल उपलब्ध कराने, हार्डवेयर की खरीद, प्रणाली साफ्टवेयर लाइसेंसों की खरीद, को होस्टेड वाणिज्यिक आंकड़ा केंद्रों में सीधे और आपदा बहाली साइटों की स्थापना तथा क्रियान्वयन के बाद की सहायता के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी सुविधा के प्रबंधन के लिए भी एक 'सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई)' नियुक्त किया है।

RISK MANAGEMENT

In order to manage the risks emanating from the export credit risk insurance business, the Company has set up a dedicated Risk Management Department. For Export Credit Insurance for Banks the exposure norms for single exporter and an exporter group were fixed at 50% and 75% of the Company's Net worth. In case of Export Performance Indemnity, the limit is restricted to 5% and 10% respectively of the Company's Net Worth. For short term policy business, country exposure limit is fixed at the peak value covered in the last 5 years or ₹100 crores whichever is higher for exports to 'Restricted Cover' Countries'. The exposure limits for short term policies are fixed at 5% and 10% respectively of the Company's Net Worth for buyers and banks based in open cover countries and at 1 to 2.5% and 2.5 to 5% respectively of Net Worth, for buyers and banks based in restricted cover countries. A ceiling of 15% of the aggregate exposure of all industrial sectors is fixed for specific sectors for Short Term Policy and ECIB business. For Medium and Long Term exports, the exposure is fixed at 25% of the Company's Net Worth per exporter per project. For a country, exposure limit is fixed at 100% of Net Worth of ECGC.

REINSURANCE

For the FY 2011-12, the Company had a proportional reinsurance treaty to the extent of 13% from Indian reinsurers for the short term policies and short term ECIB covers, in addition to the obligatory 10 % reinsurance cover from GIC Re, for the entire business including Medium and Long Term covers along with Excess of Loss arrangement for losses beyond ₹20 crores up to ₹80 crores for short term polices and for losses beyond ₹40 crores up to ₹640 crores for short term ECIB covers.

RECOVERY OF BLOCKED FUNDS

The Company is making efforts for recovery of blocked funds from Sudan and other African countries in respect of which, claims were settled to exporters, banks and other financial institutions.

INFORMATION TECHNOLOGY

The Company had appointed a 'System Integrator (SI)' to provide an end-to-end IT solution, including development and customization of integrated application software, procurement of hardware, procurement of systems software licenses, setting up of Live and Disaster Recovery sites at the co-hosted Commercial Data Centres, as also management of the new IT infrastructure for the post-implementation support.

वित्तीय वर्ष 2011-12 में सिस्टम डिजाइन, व्यावसायिक परिदृश्यों की तैयारी, उपयोगकर्ता स्वीकार्यता परीक्षण मामलों और नई प्रणाली में पारंपरिक आंकड़ों के स्थानांतरण के लिए डेटा मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। आंकड़ों के परिष्करण और स्थानांतरण के लिए आवश्यक पटकथा भी तैयार कर ली गई है। लेखों के नए चार्ट के आधार पर उद्यम लेखा प्रणाली का विन्यास किया गया है। प्रथम चरण में सीधे जाने के लिए 6 प्रमुख बीमा उत्पादों और प्रशासन माड्यूल की पहचान की गई है। शेष बीमा उत्पादों के लिए साफ्टवेयर और अन्य समर्थन कार्य दिसम्बर, 2012 के अंत तक प्रचालित होने की आशा है।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन संचालन समिति द्वारा मानीटर किया जाता है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के एक सलाहकार के साथ एस आई और ई सी जी सी के वरिष्ठ पदधारी होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा की जाती है। एक बार क्रियान्वयन होने पर नई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से ग्राहक अंतराफलक, सेवा सुपूर्दगी और प्रचालनात्मक कुशलता में और अधिक सुधार होगा।

विपणन और प्रचार

ई सी जी सी का बैंकों और अन्य निर्यात संवर्धन निकायों जैसे एफ आई ई ओ, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डो, अखिल भारतीय व्यापारिक निकायों तथा विभिन्न क्षेत्रीय/स्थानीय वाणिज्यिक चैंबरों और उद्योग संघों के साथ सहयोग बना रहा। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान देश के विभिन्न निर्यात केंद्रों में निर्यातकों/बैंकरों के लिए 300 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। नए व्यवसाय के संवर्धन और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के उद्देश्य से मौजूदा और संभावित निगम ग्राहकों के यहां कंपनी के मुख्यालय के वरिष्ठ कार्यपालकों ने व्यक्तिगत दौरे भी किए। विभिन्न बैंकों के शीर्ष पदधारियों के साथ संपर्क करके संपूर्ण टर्न ओवर ई सी आई बी कवर को बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया गया।

कंपनी द्वारा ब्रांड छवि को बढ़ाने और ई सी जी सी की दर्शनीयता के लिए विभिन्न तरीकों और चैनलों से एक व्यापक प्रचार और विज्ञापन नीति अपनाई गई है। जुलाई, 2012 में ई सी जी सी के 55

जनवरी 2012 में मुंबई में अप्रनि बैंकर्स बैठक को संबोधित करते हुए।
CMD addressing Bankers Meet at Mumbai in January, 2012.

During the FY 2011-12, the system design, preparation of business scenarios, User Acceptance Test cases and data mapping for migration of legacy data to the new system have been completed. Necessary scripts for cleansing and migration of data have also been prepared. Based on the new chart of Accounts, the enterprise accounts system has been configured. Six core insurance products and Administration modules have been identified for going live in the first phase. The software for the remaining insurance products and other support functions is expected to be operationalised by the end of December 2012.

The IT Program Implementation is being monitored by a Steering Committee comprising senior officials of SI and ECGC, with the assistance of an IT Advisor. The progress is reviewed periodically by the Board of Directors. Once implemented, the new IT system will further improve customer interface, service delivery and operational efficiency.

MARKETING AND PUBLICITY

ECGC continued its association with banks and export promotion bodies like FIEO, Export Promotion Councils, Commodity Boards, All India Trade Bodies and various regional/local Chambers of Commerce and Associations of Industries. During FY 2011-12, over 300 meetings for the exporters/bankers, at different export centres in the country, were organized. Personal visits were also made by senior executives from the Head Office of the Company, to the existing and potential corporate customers, with the objectives of promoting fresh business and of retaining the existing customers. A special drive was successfully launched to increase the Whole turnover ECIB covers through contacts with top officials of different banks.

A comprehensive Publicity & Advertisement Policy, encompassing various modes and channels for enhancing the brand image and the visibility of ECGC, has since been adopted by the Company. A slew of new activities has been planned on the occasion of completion of 55^{th} year of the ECGC in July,

वर्ष के पूरा होने के अवसर पर अनेक नई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इनमें स्थापना दिवस विज्ञापन और संदेश का उन्मोचन, ई सी जी सी स्थापना दिवस व्याख्यान का प्रारंभ, निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना और एक विशेष 55 वर्ष के समारोह का आयोजन शामिल है।

प्रिंट मीडिया में 'मंदी में समर्थन' की संकल्पना के साथ नए विज्ञापनों की श्रृंखलाएं उन्मोचित की गई हैं। वर्ष के दौरान कंपनी के नामित्तियों ने भारत में आयोजित विभिन्न निर्यात संबंधी सेमिनारों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लिया। ई सी जी सी के ब्रांड निर्माण प्रयास के भाग के रूप में संरक्षकों और ग्राहकों में 'सेतु निर्माण' की संकल्पना के साथ ब्रांडेड निगम डायरियां और निगम कैलेंडर वितरित किए गए।

इन पहलों से वर्ष के दौरान हासिल साकारात्मक परिणाम प्रतिबिंबित होते हैं। ग्राहक शिक्षण और संबंध निर्माण के अलावा कंपनी ने वर्ष के दौरान 4500 से अधिक नई पॉलिसियां जारी कीं।

चेन्नई में ग्राहक सम्मान समारोह के दौरान ग्राहकों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CMD addressing customers at Chennai during Customer Commemorative month celebration

भुवनेश्वर में प्रगति पर ग्राहकों से चर्चा करते हुए
An interaction with customers in progress at Bhubaneswar

2012. These include release of Foundation Day advertorials and messages, commencement of ECGC Foundation Day Lecture, establishing Export Excellence Awards and organizing a special 55th year culmination function.

A series of new advertisements with the theme of 'Support during Recession' has been released in the print media. The Company's nominees participated in various export related seminars, exhibitions and trade fairs held in India during the year. As part of the ECGC brand building exercise, branded corporate diaries and corporate calendars with the theme 'Building Bridges' were distributed among the patrons and the customers.

These initiatives reflected in the positive results achieved during the year. Besides customer education and relationship building, the Company issued over 4500 fresh policies during the year.

निगम योजना

संशोधित मध्यावधि निर्यात नीति के अनुरूप भारत सरकार की कार्यनीति के अनुसार अगले तीन वर्षों में निर्यात के मूल्य को दो गुना करने के लिए पांच वर्षों की अवधि 2010-11 से 2014-15 की निगम योजना को अपडेट किया गया। इसके अंतर्गत विपणन प्रयासों को तेज करके, वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से वितरण नेटवर्क का विस्तार करके और निर्यातकों एवं बैंकों को नए और कस्टमाइज्ड उत्पादों को शुरू करके पाँच वर्षों में राष्ट्रीय निर्यात के ई सी जी सी कवरेज को 1.25% और बढ़ाने की योजना है।

CORPORATE PLAN

The Corporate Plan of the Company for the five year period 2010-11 to 2014-15 was updated in line with the revised medium term Exim Policy and the strategy of the Government of India to double the value of exports in the next three years. The plan envisages enhancing ECGC coverage of national exports by an additional 1.25% over the five years by spearheading marketing efforts, expanding distribution network through alternate channels and by introducing new and customized products for exporters as well as banks.

वैकल्पिक विपणन और वितरण चैनल

वर्ष के अंत में 153 दलाल अनुमोदित नामिका पर थे और कंपनी के एजेंसी करार में 26 बैंक थे। वर्ष के दौरान बैंक बीमा और दलाल व्यवस्था के अंतर्गत ₹23.44 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया गया जो कंपनी की अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम का लगभग 6.62% था। इन चैनलों को और अधिक सुदृढ बनाने और विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पहल

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अपनाया है। समीक्षाधीन वर्ष में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं के संबंध में ₹32.50 लाख की राशि अनुमोदित की गई :-

I) मेसर्स निर्धर प्रतिष्ठान मुंबई को ₹6.50 लाख का भुगतान किया गया। यह प्रतिष्ठान मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के अंतर्गत पंजीकृत एक धर्मार्थ न्यास है जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को स्थायी गृह देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराता है।

II) भारत सरकार के पत्र संख्या 15 (3) /2007- डी पी ई (जी एम) दिनांक 04.02.2011 के अनुसार निधि अर्हक के लिए राष्ट्रीय सी एस आर हब को ₹15 लाख का भुगतान किया गया।

III) ₹11 लाख सी एस आर हब (टी आई एस एस) जो तीन परियोजनाओं की कुल लागत का 10% था। नामतः

- i) महिलाओं के लिए रोजगार
- ii) एस सी / एस टी श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
- iii) कौशल विकास केंद्र। ये सभी परियोजनाएं टी आई एस एस के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं और मार्च, 2013 तक इनके पूरा होने की आशा है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की मान्यता के रूप में लगातार 15 वर्षो से भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' शील्ड जीतने में सफल रही। कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपनी प्रगति जारी रखी। सितम्बर, 2011 के दूसरे पखवाड़े में 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें सभी स्तर के अधिकारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हिन्दी दिवस आयोजित किया गया जब कुतुबनुमा पत्रिका की संपादक डा. राजम नटराजन पिल्लई, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं।

ALTERNATIVE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

At the close of the year, 153 brokers were on the approved panel and 26 banks had agency agreements with the Company. A premium income of ₹23.44 crores, which amounted to approx. 6.62% of the Short Term Policy premium income of the Company, was earned under bancassurance and broking arrangements during the year. Efforts are being made to strengthen and expand these channels further.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES

The Company had adopted a CSR Policy in accordance with guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. During the year under review, an amount of ₹32.50 Lakhs was approved under the CSR initiative in respect of the following projects:-

I) ₹6.50 lacs paid to M/s Nirdhar Pratisthan, Mumbai, a registered Charitable Trust under the Mumbai Public Trust Act, 1950 which provides permanent home care services for mentally challenged persons.

II) ₹15 lacs paid to National CSR HUB towards Corpus eligible vide Government of India letter No.15(3)/2007-DPE(GM) dated 4.2.2011.

III) ₹11 lacs to CSR HUB (TISS) being 10% of the total cost of three projects namely

- i) Employment for Women
- ii) Scholarship to meritorious students in SC/ST category and
- iii) Skill Development Centre. All these projects are being implemented through TISS and are expected to be completed by March 2013.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The Company has been successful in winning the 'Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar' shield of the Government of India, Ministry of Home Affairs, consecutively for the past 15 years in recognition of its effective implementation of the official language policy of the Government of India. The Company continued its progress in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. 'Hindi Pakhwada' was celebrated in the second fortnight of September 2011. During the fortnight various competitions were held in which officers at all levels participated enthusiastically. The Hindi Day was celebrated during the second week of October when Dr. Rajam Natrajan Pillai, Editor of Kutubnuma Magazine was present as the chief guest.

क्षेत्र और शाखा स्तरों पर हिन्दी अधिकारियों की उपलब्धियों और उनके समक्ष चुनौतियों पर विचार करने के लिए फरवरी, 2012 में क्षेत्रीय हिन्दी अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनीकोड इंस्टालेशन के साथ एच आर डी, पॉलिसी, लेखा आदि जैसे मॉड्यूलों में आंकड़ा प्रविष्टियां द्विभाषी रूप में की जा रही हैं। अपने ग्राहकों के साथ कंपनी का हिन्दी में पत्राचार बढ़ रहा है।

ईसीजीसी को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजभाषा का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। फरवरी 2012 में वाणिज्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, के कर कमलों से प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए अ.प्र.नि.।

ECGC has been conferred the First Prize for the year 2010-11 for excellent implementation of Rajbhasha by Ministry of Commerce. CMD of ECGC has received the award from Shri. Jyotiraditya Scindia, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry in the Hindi Advisory Committee meeting held in February 2012.

वित्तीय वर्ष 2011-12 में अधिनस्थ कर्मचारियों सहित 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें द्विभाषी प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय राजभाषा नीति से संबंधित एक सत्र सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक हिस्सा था। कंपनी के अधिकांश कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही समीक्षा बैठकें नियमित रूप से सभी शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कंपनी के मुख्यालय में आयोजित की जाती है। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करने में नकद पुरस्कारों सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं कंपनी में लागू हैं। कर्मचारियों को अपने दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों को शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के विभागों में प्रतिवर्ष अपने संबंधित कार्यालयों में राजभाषा की कार्यान्वयन की उत्कृष्टता के लिए 'अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार' की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जहाँ विजयी अधिकारियों को प्रमाणपत्र दिया जाता है वहीं ऐसे कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

कंपनी बर्न यूनियन (अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं निवेश बीमाकर्ता संघ), निर्यात ऋण एवं निवेश बीमा उद्योग के एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संघ की इसकी स्थापना से ही सदस्य है। बर्न यूनियन प्रेग क्लब सहित बर्न यूनियन के 78 सदस्यों के निर्यात ऋण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बीमा का आयतन 2011 में 17% बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 10% से अधिक 18 खरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार बर्न यूनियन के सदस्यों द्वारा सुगम बनाया गया। वर्ष 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ से ऋण निवेश बीमाकर्ताओं ने निर्यातकों

The Regional Hindi Officers' conference was held in February 2012 to discuss the achievements and problems faced by the Hindi officers at regional and branch levels. Along with the installation of Unicode in all computers of the Company, the data entry being, in bilingual form in modules like HRD, Policy, Accounts, etc. the Company's correspondence in Hindi with its customers is showing steady progress.

During the FY 2011-12, 33 training programmes were held including that for the sub-staff, in which training was provided bilingually. A session related to the national official language policy was a part of all the training programs. Most of the employees of the Company have participated in the training programmes. Quarterly review meetings of the Official Language Implementation Committee are held regularly in all the branches, Regional Offices and at the Head Office of the Company where it is chaired by the CMD. Various incentives, including cash prizes, are in vogue in the Company to encourage and motivate employees to further the cause of and use of Hindi in their daily office work. To encourage employees to use Hindi in their day to day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the 'Chairman and Managing Director's Official Language Award' for the excellence in implementation of the official language in their respective offices. While the winning officers are awarded certificates, all employees in such offices receive cash incentives too.

INTERNATIONAL RELATIONS

The Company has been a member of the Berne Union (International Union of Credit and Investment Insurers), a leading international association for the export credit and investment insurance industry, since inception. The volume of export credits and foreign direct investments insured by the 78 members of the Berne Union, including the Berne Union Prague Club, grew by 17 % in 2011. More than 10% of the international trade of USD 18 trillion was facilitated by Berne Union members. Since the beginning of the global financial crisis in

और निवेशकों को उनकी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। कंपनी ने अप्रैल, 2011 में ताइपेई, ताईवान में आयोजित बर्न यूनियन की स्प्रिंग बैठक में और अक्टूबर, 2011 में बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में भाग लिया। कंपनी के कार्यपालक निदेशक को एक वर्ष के लिए अक्टूबर, 2011 में बर्न यूनियन का उपाध्यक्ष नामित किया गया। बर्न यूनियन द्वारा आयोजित बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लेने से कंपनी को लाभ हुआ है। इससे ऋण बीमा के क्षेत्र में कंपनी को सूचना और अनुभव के आदान-प्रदान में सहायता मिली है जिसमें देश का नजरिया, हामीदारी तकनीक और वसूली के उपाय शामिल होते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वाशिंगटन में मार्च, 2012 में जी 11, ई सी ए के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में भाग लिया। कंपनी ने वर्ष के दौरान आयोजित अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आई आई एफ) में भी भाग लिया।

जर्मन फेडरल मिनिस्टरी ऑफ इकनॉमिक एंड टेकनॉलॉजी के डॉ. हन्स जोचिम हेंकल के साथ 'सहयोग करार' का विनिमय करते हुए अप्रनि

CMD exchanging 'Co-operation Agreement' with Dr. Hans-Joachim Henkel of German Federal Ministry of Economics & Technology

वर्ष 2011-12 में कंपनी ने अन्य ई सी ए के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की। अमेरिकी एक्जिम बैंक के प्रतिनिधि मंडल जिसकी अध्यक्षता उसके अध्यक्ष ने की थी, द्विपक्षीय बैठक के लिए ई सी जी सी में 20 जुलाई, 2011 को दौरा किया। संगठनों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के लिए 27 फरवरी, 2012 को यूलेर हर्मस और प्राइस वाटर हाउस कूपर (पी डब्ल्यू सी) का पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ई सी जी सी का दौरा किया और एक ढांचा सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ। कंपनी ने दो देशों के बीच संव्यवहार के दायरे को बढ़ाने के लिए 26 मार्च, 2012 को स्वेदिश निर्यात ऋण गारंटी बोर्ड (ई के एन) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की

अप्रैल 2012 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित बर्न यूनियन बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्रीमती गीता मुरलीधर, उपाध्यक्ष, बर्न यूनियन

Mrs. Geetha Muralidhar, Vice president, Berne Union addressing the participants in the Berne Union Meeting held at Brussels, Belgium in April, 2012.

2008, credit investment insurers have paid $15 billion to exporters and investors to indemnify them for the losses suffered. The Company participated in the Berne Union Spring meeting held at Taipei, Taiwan in April 2011 and in the Annual General Meeting held at Budapest, Hungary in October 2011. The Company's Executive Director, has been nominated as the Vice-President of the Berne Union in October 2011 for one year. The Company has benefitted from attending the meetings and workshops organized by the Berne Union. These enabled the Company to exchange information and experience in the field of credit insurance which included country attitude, underwriting techniques and recovery measures. The Chairman-cum-Managing Director attended the G-11 Heads of ECAs annual meeting in March 2012 in Washington. The Company also participated in the International Institute of Finance (IIF) meetings held during the year.

In 2011-12 the Company hosted high level delegations from other ECAs. On 20th July, 2011 delegates from US Exim Bank, headed by its Chairman visited ECGC for a bilateral meeting. On 27th February, 2012 a five member delegation from Euler Hermes and PriceWaterhouse Coopers (PWC) visited ECGC to build on the bilateral relations between the organizations and agreed to sign a framework cooperation agreement. On 26th March, 2012, the Company hosted a ten member delegation from The Swedish Export Credit Guarantee Board (EKN) headed by its Chairman, to enlarge the scope of transactions between the two countries. The Company continued to extend its technical expertise

मेजबानी की। कंपनी ने अन्य ईसीए सदस्यों को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देना जारी रखा और मलेशिया के निर्यात आयात बैंक के पदधारियों के लिए मार्च, 2012 में तीन दिवसीय उत्पाद अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया।

कंपनी दो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों अर्थात स्वेदिश निर्यात ऋण गारंटी बोर्ड (के ई एन) के साथ 22 मार्च, 2012 और यूलेर हर्म्स प्राइस वाटर कूपर (पी डब्ल्यू सी) के साथ 24 अप्रैल, 2012 को सहयोग करार किया। इस करार का उद्देश्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सहायता और प्रोत्साहन देने और संगठनों के बीच सहयोग का ढांचा स्थापित करना था।

गुणवत्ता आश्वासन

कंपनी अपने प्रचालनों में उच्च गुणवत्ता मानकों को अनुरक्षित करने के लिए अत्यंत महत्व देती है और इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) से आई एस ओ 9001 : 2008 का अनुसरण करती है। कंपनी के सभी शाखा कार्यालय और मुख्यालय आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाणन धारित करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विभिन्न शाखाओं की निगरानी और नवीकरण लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की जाती है। मुख्यालय का लाइसेंस फरवरी, 2013 तक वैध है। समीक्षाधीन वर्ष में सभी संबंधित अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ई सी जी सी जैसे सेवा संगठन में गुणवत्ता का महत्व सभी काडरों में स्थापित किया गया है।

to other ECA members and conducted a product learning programme for three days in March 2012 for officials of the Export Import Bank of Malaysia.

The Company entered into cooperation agreements with two international agencies i.e. The Swedish Export Credit Guarantee Board (EKN) on 22nd March, 2012 and Euler Hermes PriceWaterhouse Coopers (PwC) on 24th April, 2012. The purpose of these agreements is to establish a framework of cooperation between the organizations, to support and encourage international trade between the countries.

QUALITY ASSURANCE

The Company continues to give utmost importance to maintaining high quality standards in its operations and for this purpose, has relentlessly pursued ISO 9001:2008 certification from the Bureau of Indian Standards (BIS). All the Branch Offices and the Head Office of the Company hold ISO 9001:2008 certification which is at par with the International standards. Surveillance and Renewal audit of the various Branches have been successfully concluded by Bureau of Indian Standards. Licence of Head Office is valid up to February 2013. Proper training has been arranged for all concerned officers during the year under review. The importance of quality in a service organization like ECGC has been established across all cadres.

वर्ष 2011-12 के दौरान की गई वसूलियाँ (₹ करोड़ में)
Recoveries Made during 2011-12 (₹ Crores)

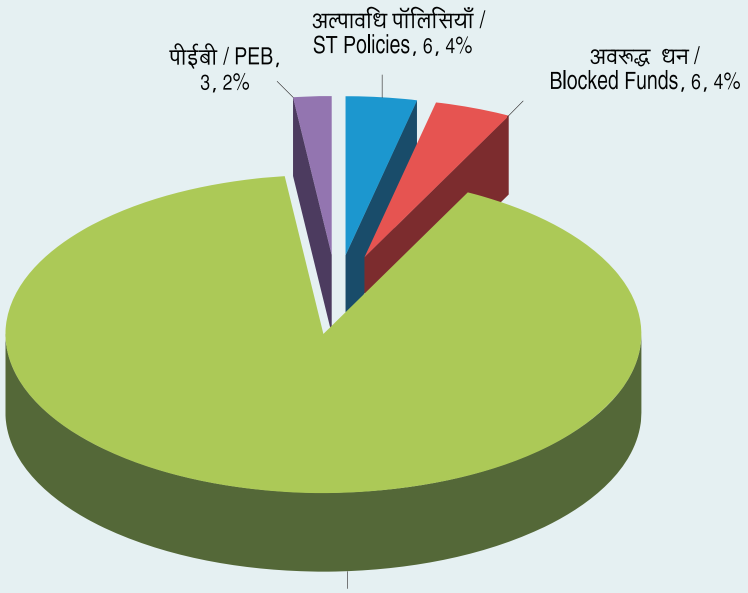

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध

मानव संसाधन : कंपनी में 633 की अनुमोदित कर्मचारी संख्या की तुलना में 31.03.2012 को 575 कर्मचारी थे। सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के साथ रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष के दौरान अधिकारियों की भर्ती की गई।

कंपनी ने 'नैतिक आचार संहिता और व्यवसाय संहिता' अपनाया है। जिसका वित्तीय वर्ष 2011-12 में सभी कर्मचारियों ने पालन किया। इसे कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। यह संहिता व्यवसाय संचालन और कर्तव्यों के निर्वहन में निगम नैतिकता और व्यष्टि व्यवहार के संबंध में दिशानिर्देशों का एक समुच्चय है।

प्रशिक्षण : अपने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को सतत अपग्रेड करने के अपने लगातार प्रयासों के रूप में वर्ष 2011-12 में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित किया गया। सहायक महा प्रबंधक, उप महा प्रबंधक और महा प्रबंधक स्तर के वरिष्ठ कार्यपालकों को प्रतिष्ठित भारतीय बी स्कूलों जैसे आई आई एम-ए, आई आई एम-बी, आई आई एम-सी, एल आर आई आदि में प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया। कुल 87% कर्मचारियों ने इन हाउस और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया तथा समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल किया।

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व : कंपनी विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। 31 मार्च, 2012 को कंपनी के रोल पर 11 विकलांग श्रेणी के कर्मचारी थे। क्रमशः **अनुलग्नक I** और **अनुलग्नक II** में 31 मार्च, 2012 को कंपनी की कुल जनशक्ति में विभिन्न काडरों में एस सी एवं एस टी के प्रतिनिधित्व का विवरण और विकलांग (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण प्रतिभागिता) के अंतर्गत संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी की सेवा में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दिया गया है।

ईसीजीसी ने मार्च 2012 में एक्जिम बैंक ऑफ मलेशिया के अधिकारियों के लिए ऋण बीमा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
ECGC conducted a training programme on credit insurance for officers from Exim Bank of Malaysia in March, 2012

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

HUMAN RESOURCES: Against an approved employee strength of 633, there were 575 employees in the Company as on 31.03.2012. Recruitment of Officers was carried out during the year to fill up the vacancies, complying with the statutory provisions.

The Company has adopted a 'Code of Ethics and Business Conduct' to be followed by all the employees during the FY 2011-12. The same has been placed in the Company's website. The code is a set of guidelines for ethical corporate and individual behaviour in conduct of business and discharge of duties.

TRAINING: In its ongoing efforts to continuously upgrade the knowledge and skills of its employees, during the FY 2011-12, officers at various levels were sponsored for a wide range of training programmes. The senior executives at the level of Assistant General Managers, Deputy General Managers and General Managers were nominated to attend Management Development Programmes at the reputed Indian B-Schools viz., IIM-A, IIM-B, IIM-C, XLRI, etc.,. In all, 87% of the employees participated in various in-house and external training programmes and could achieve the target set under the MOU.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY: The Company endeavours to provide employment to persons with disabilities. As of 31st March, 2012, the Company had eleven employees on its rolls belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Representation of SCs and STs in the total manpower of the Company in various cadres as on 31st March, 2012 and of Representation of Persons with Disabilities in the Service of the Company, in pursuance of the relevant provisions under Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 are furnished in **Annexure I** and **Annexure II** respectively.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व

कंपनी सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति में एस सी/एस टी के आरक्षण के संबंध में संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करती है। भारत सरकार के संबंधित अनुदेशों के अनुसार कंपनी ने 'पद आधारित रोस्टर प्रणाली'अपनाया है। 'एस सी/एस टी/ओ बी सी सदस्यों द्वारा सीधी भर्ती में भरे गए आरक्षित रिक्तियों' और 'पदोन्नति द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों' का विवरण रिपोर्ट के अंतर्गत क्रमशः **अनुलग्नक** III और **अनुलग्नक** IV में दिया गया है।

सामान्य प्रशासन

राजस्व और कंपनी का पूंजी व्यय निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट के भीतर है। सभी भुगतान उन्मोचन के पहले लेखा परीक्षित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से कंपनी द्वारा की गई ऊर्जा लेखा परीक्षा की सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही हैं। नियमित आधार पर विभाग संपूर्ण भारत में कंपनी के स्वामित्व के परिसरों का अनुरक्षण और रख-रखाव करता है।

अनुबंध - I

दिनांक 31.03.2012 तक निगम सेवाओं में अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा के उम्मीदवारों के कार्यबल का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कार्यबल का प्रतिशत		
	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा
क	13	3	6
ख	15	6	13
ग	45	11	3
घ	31	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल %	**17**	**5**	**9**

अनुबंध - II

31.03.2012 तक निगम की सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विकलांग व्यक्तियों की संख्या			कुल
	ने ही	श्र ही	वि	ने ही+ श्र ही+ वि
क	0	0	1	1
ख	2	0	4	6
ग	1	0	2	3
घ	1	0	0	0
कुल %	4	0	7	11

ने ही - नेत्रहीन विकलांग
श्र ही - श्रवण हीन विकलांग
विकलांग - विकलांग

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES :

The Company adheres to relevant Rules relating to Reservation for SCs/STs in direct recruitment and in internal promotion. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company adopted a 'Post-based Roster System'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment by members of SC/ ST/ OBCs' and 'Reserved vacancies filled in by Promotions' under report are furnished in **Annexure III** & **Annexure IV** respectively.

GENERAL ADMINISTRATION

Revenue and Capital expenditure incurred by the Company are within the Annual Budget approved by the Board of Directors. All the payments are pre-audited before release.

Since the FY 2011-12, the recommendations of the Energy Audit carried out by the Company are being implemented. On a regular basis, the department undertakes maintenance and upkeep of Company owned premises all over India.

Annexure - I

Representation Of SCs/ STs/ OBCs In The Services Of The Company's Workforce as On 31.03.2012

Group	Percentage of Total Workforce		
	SCs	STs	OBCs
A	13	3	6
B	15	6	13
C	45	11	3
D	31	Nil	Nil
Total %	**17**	**5**	**9**

Annexure - II

Representation of Persons with Disabilities in the Service of the Company as on 31.03.2012

Group	No. of Disabled Persons			Total
	VH	HH	OH	VH+HH+OH
A	0	0	1	1
B	2	0	4	6
C	1	0	2	3
D	1	0	0	0
Total	4	0	7	11

VH - Visually Handicapped
HH - Hearing Handicapped
OH - Orthopaedically Handicapped

वर्ष 01.01.2011 से 31.12.2011 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ.

Statement showing the number of reserved vacancies filled by members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backwards Class during the year 01.01.2011 to 31.12.2011

(क) सीधी भर्ती से भरे गए पद / (A) Posts filled by Direct Recruitment

अनुबंध III Annexure - III

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या						नियुक्त अनु जा/ अनु जन जा / अ पि जा से की संख्या			पिछले वर्ष से आगे लाए गए अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा की रिक्तियों की सं (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			कथित आगे लाए गए वर्ष के दौरान अनु जा के आरक्षण में नियुक्त अनु जन जा के उम्मीदवार तथा अनु जन जा के आरक्षण में नियुक्त अनु जा के उम्मीदवारों की संख्या (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे लाए जाने बाद व्यपगत हुए आरक्षण (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है)			पदों की कुल संख्या जिन्हें अगले वर्ष के न भरे गए आरक्षित रिक्तियों के रुप में आगे लाया गया.		
	बैकिंग रिक्तियाँ		वर्तमान रिक्तियाँ		कॉलम (4) में से			कॉलम (5) में से																	
Class of Post	Total No of Vacancies				No. of vacancies reserved						No.of SC/ST/ OBC candidates appointed			No. of SC/ST/OBC vacancies carried forward from previous years(in such cases where dereservation is permitted)			No. of ST candidates appointed against SC reservation & No.of SC candidates appointed against ST reservation in the said year of carry forward (in such cases where dereservation is permitted)			No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 recruitment years (in such cases where dereservation is permitted)			No.of reserved vacancies carried forward as backlog to next year		
	Backlog Vacancies		Current Vacancies		Out of Col (4)			Out of Col (5)																	
	अधि सूचित	भरी गई	अधि सूचित	भरी गई	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा	अनु जा	अनु जन जा	अ पि जा
	Notified	Filled	Notified	Filled	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
श्रेणी (I) समूह ए CLASS I Group (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (बी) CLASS II Group (B)	0	0	10	10	1	0	2	4	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी III समूह (सी) CLASS III Group (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (डी) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

वर्ष 01.01.2011 से 31.12.2011 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों का विवरण

Statement showing the number of reserved vacancies filled by members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backwards Class during the year 01.01.2011 to 31.12.2011

(ख) (01.01.2011 to 31.12.2011) पदोन्नति के ज़रिए भरे जाने वाले पद

(B) Posts filled by Promotion

अनुबंध IV Annexure - IV

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या		आरक्षित रिक्तियों की संख्या				अनु जा / अनु जन जा के उम्मीदवार		पिछले वर्ष से आगे लाई गई अनु जा / अनु जन की रिक्तियों की संख्या		आगे लाए जाने के तीसरे वर्ष अनु जा के लिए आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर		तीन वर्षों तक आगे लाए जाने के पश्चात व्यपगत रिक्तियों की संख्या		अगले वर्ष के लिए आगे लाए जाने वाली रिक्तियों की संख्या	
			कॉलम (2) में से		कॉलम (3) में से											
Class of Post	Total No of Vacancies		No. of vacancies reserved				No.of SC/ST Candidates promoted		No.of SC/STs vacancies carried forward from the previous years		No.of STs promoted against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward and vice versa		No.of reservations lapsed after carrying forward for 3 years		No.of vacancies carried forward to next year	
			Out of Col (2)		Out of Col (3)											
	अधिसूचित	भरी गई	अ जा	अ ज जा	अ जा	अ ज जा	अ जा	अ ज जा	अ जा	अ ज जा	अ जा	अ ज जा	अ जा	अ ज जा	अ जा	अ ज जा
	Notified	Filled	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
श्रेणी (I) समूह ए CLASS I Group (A)**	9	9	0	0	0	0	0*	0*	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (बी) CLASS II Group (B)	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी III समूह (सी) CLASS III Group (C)	4	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (डी) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* : एक अ जा अधिकारी को योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई।
One SC Officer promoted on merit.

** : यह आंकड़ा समूह 'क' के केवल न्युनतम पदक्रम, अर्थात प्रबंधकों से संबंधित है।
This data pertains only to the lowest rung of Group A, i.e., Managers.

कंपनी शासन

निगम स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी समझता है तथा शेयरधारकों की सम्पत्ति के निर्माण व उसकी सुरक्षा के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम ने कंपनी नीतियों को अपनाने तथा मॉनिटरिंग, विवेकशील कारोबार योजना,निगम के कारोबार के मुख्य जोखिमों की मॉनिटरिंग तथा इसके वैधानिक व नीतिगत दायित्वों के अनुसरण के ज़रिए इन उद्देश्यों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा।

निदेशक मंडल

निगम के निदेशक मंडल का संयोजन, निगम के अंतर्नियमावली की धारा 63 के प्रावधानों द्वारा संचालित होता है जिसकी शर्तों के अनुसार इसके एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा न्यूनतम तीन तथा अधिकतम तेरह अंशकालिक निदेशक होगें जिनमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि व निर्यात से संबंधित व्यक्ति शामिल होंगे। आज की तारीख तक बोर्ड के अंशकालिक निदेशकों के लिए तेरह पदों में से चार रिक्त हैं। भारत सरकार द्वारा अभी उन्हें भरा जाना शेष है। दिनांक 31 मार्च, 2012 को बोर्ड के निदेशकों के नाम व साथ ही साथ उनकी जन्म तिथि, दिनांक व श्रेणियाँ जिनके अधीन उन्हें नियुक्त किया गया है के विवरण निम्नलिखित सारणी 1 में दर्शाया गया हैः

CORPORATE GOVERNANCE

The Company considers itself a trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them for creation of and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Corporation's business and pursuing policies and procedures to satisfy legal and ethical responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 63 of the Articles of Association of the Company. Article 63 provides that there shall either be a Chairman-cum-Managing Director and a minimum of three and maximum of thirteen part-time directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sectors Banks, Federation of Indian Export Organisations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. As on date, four of the thirteen positions for part time directors on the Board remain vacant. The names of directors on the Board as on 31st March, 2012 along with their date of birth, date of appointment and categories under which they are appointed are furnished below in Table 1:

सारणी 1 / TABLE 1

क्र.सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	जन्म तारीख Date of Birth	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	संवर्ग Category
1.	श्री एन.शंकर Shri N. Shankar	20.04.1956	19.10.2011	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
2.	श्री अरविंद मेहता Shri Arvind Mehta	16.11.1960	दिनांक 05.05.2010 से निदेशक, दि. 01.03.2011 से 18.10.2011 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 19.10.2011 से पुनः निदेशक Director from 05.05.2010, CMD from 01.03.2011 till 18.10.2011. Again Director from 19.10.2011	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (DOC, Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3.	डॉ. आलोक शील Dr. Alok Sheel	01.02.1956	26.10.2009	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)

सारणी 1 / TABLE 1

क्र.सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	जन्म तारीख Date of Birth	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	संवर्ग Category
4.	श्री वी.एस.दास Shri V. S. Das	11.07.1952	31.08.2011	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक) Non-Executive Part-Time Government Director (RBI)
5.	श्री टी.सी. ए.रंगनाथन Shri T. C. A. Ranganathan	19.11.1953	11.05.2010	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Part-Time Director
6.	श्री के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	19.11.1955	20.10.2010	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Part-Time Director
7.	श्री हरी एस. भारतीया Shri Hari S. Bhartia	12.12.1966	20.12.2010	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
8.	श्री वसंत मेहता Shri Vasant Mehta	16.01.1945	07.01.2011	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
9	श्री रफीक अहमद मक्का Shri Rafeeque Ahmed Mecca	17.09.1947	13.03.2012	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director

बोर्ड की बैठकों के विवरण तथा उनमें उपस्थिति :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 285 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार निदेशक मंडल की बैठक आवश्यक है। वर्ष 2011-12 के दौरान छः बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों के विवरण व उनमें उपस्थिति निम्नानुसार :

सारणी 2

क्र. सं.	बैठकों की तारीख	मंडल बल	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	18.05.2011	8	6
2.	09.06.2011	8	5
3.	10.08.2011	8	3
4.	16.09.2011	9	5
5.	24.11.2011	10	5
6.	03.02.2012	8	4

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD AND ATTENDANCE

The Board of Directors is required to meet at least once in every three months as per the provisions of Section 285 of the Companies Act, 1956. Six meetings were held during the year 2011-12. Details of the meeting of the Board held during the year and attendance of individual directors in those meetings are furnished below in Table 2:

TABLE 2

Sr. No.	Date of Meeting	Board Strength	No. of Directors present
1.	18.05.2011	8	6
2.	09.06.2011	8	5
3.	10.08.2011	8	3
4.	16.09.2011	9	5
5.	24.11.2011	10	5
6.	03.02.2012	8	4

वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठकों में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

सारणी 3

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	2/2
2.	श्री अरविंद मेहता	6/6
3.	डॉ. आलोक शील	4/6
4.	श्री वी.एस.दास	3/3
5.	श्री योगेश लोहिया	2/4
6.	श्री टी.सी. ए.रंगनाथन	3/6
7.	श्री के. आर. कामत	4/6
8.	श्री हरी एस. भारतीया	0/6
9.	श्री वसंत मेहता	4/6
10.	श्री रामू एस.देवड़ा	2/5
11.	श्री रफीक अहमद मक्का	0/0

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 299 (3) के तहत वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्त फार्म सं. 24 एए के प्रकटीकरण के अनुसार कुछ निदेशक अन्य मंडलों के निदेशक पद का भार भी संभालते हैं का विवरण निम्नानुसार है :

सारणी 4

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	निदेशक के रूप में अन्य मंडलों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	01
2.	श्री अरविंद मेहता	01
3.	डॉ. आलोक शील	कुछ नहीं
4.	श्री वी.एस.दास	कुछ नहीं
5.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	03
6.	श्री के. आर. कामत	07
7.	श्री हरी एस. भारतीया	13
8.	श्री वसंत मेहता	01
9.	श्री रफीक अहमद मेक्का	01

लेखा परीक्षा समिति की बैठक व उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति समवर्ती/ आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का निरीक्षण करती है व उनकी समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति वार्षिक वित्तीय विवरणों को अपनाने के लिए निदेशक मंडल को राय देने के पूर्व उसकी समीक्षा भी करती है।

The details of attendance of Individual Directors in the meetings held during 2011-12 are furnished below in Table 3:

TABLE 3

Sl. No.	Name of Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held
1.	Shri N. Shankar	2/2
2.	Shri Arvind Mehta	6/6
3.	Dr. Alok Sheel	4/6
4.	Shri V. S. Das	3/3
5.	Shri Yogesh Lohiya	2/4
6.	Shri T. C. A. Ranganathan	3/6
7.	Shri K. R. Kamath	4/6
8.	Shri Hari S. Bhartia	0/6
9.	Shri Vasant Mehta	4/6
10.	Shri Ramu S. Deora	2/5
11.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca	0/0

Details of holding other Directorships by Directors on the Board as per disclosure u/s 299(3) of the Companies Act, 1956 in the Form 24AA received for the year 2011-12 are furnished below in Table 4:

TABLE 4

Sr. No.	Name of the Director holding other directorships	No. of other directorships
1.	Shri N. Shankar	01
2.	Shri Arvind Mehta	01
3.	Dr. Alok Sheel	NIL
4.	Shri V. S. Das	NIL
5.	Shri T. C. A. Ranganathan	03
6.	Shri K. R. Kamath	07
7.	Shri Hari S. Bhartia	13
8.	Shri Vasant Mehta	01
9.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca	01

THE AUDIT COMMITTEE MEETINGS AND ATTENDANCE

The Audit Committee of the Board oversees and reviews comments/ observations in concurrent/internal audit reports. The Audit Committee also reviews the annual financial statements before they are recommended to the Board of Directors for adoption/ approval.

लेखा परीक्षा समिति ने अपनी बैठकों की आवृत्ति के संबंध में आईआरडीए के दिशानिर्देशों का पालन किया है। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें दिनांक 18.05.2011, 09.06.2011, 16.09.2011, 24.11.2011, 03.02.2012 और 13.03.2012 को सम्पन्न हुईं। लेखा परीक्षा बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण सारणी 5 नुसार हैं :

सारणी 5

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री अरविंद मेहता	2/2
2.	श्री वी.एस.दास	4/4
3.	श्री योगेश लोहिया	2/4
4.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	3/6
5.	श्री वसंत मेहता	3/6
6.	श्री रामू देवड़ा	2/4

निवेश समिति की बैठक व उपस्थिति

आई आर डी ए विनियमों का अनुपालक निवेश स्वरुप के अनुसार परिवर्तन संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए तथा निगम की निवेश नीति पर निर्णय लेने व निवेश स्थिति के आवधिक समीक्षा के लिए निदेशक मंडल द्वारा निवेश समिति गठित की गई।

आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश समिति में दो गैर कार्यपालक निदेशक भी शामिल है। समिति ने अपनी बैठकों की आवृत्ति के संबंध में आईआरडीए के दिशानिर्देशों का पालन किया है। वर्ष के दौरान निवेश समिति की चार बैठकें हुईं। निवेश समिति के निदेशकों/ सदस्यों की उपस्थिति के विवरण सारणी 6 नुसार हैं:-

सारणी 6

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	2/2
2.	श्री अरविंद मेहता	4/4
3.	श्री योगेश लोहिया	1/3
4.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	3/4

पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति

आई आर डी ए विनियमों का अनुपालक के अनुसार हितों की सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों की समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति गठित की गई।

The Audit Committee has complied with the guidelines of the IRDA with regard to the frequency of its meetings. The Audit Committee met six times, on 18.05.2011, 09.06.2011, 16.09.2011, 24.11.2011, 03.02.2012 and 13.03.2012 during the year. The details of the attendance of the Directors at the Audit Committee meeting are furnished below in Table 5:

TABLE 5:

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held
1.	Shri Arvind Mehta	2/2
2.	Shri V. S. Das	4/4
3.	Shri Yogesh Lohiya	2/4
4.	Shri T. C. A. Ranganathan	3/6
5.	Shri Vasant Mehta	3/6
6.	Shri Ramu Deora	2/4

INVESTMENT COMMITTEE MEETINGS AND ATTENDANCE

The Investment Committee was constituted by the Board of Directors to consider various matters relating to Investments such as pattern of investment to be complied with, as per IRDA Regulations, to decide on the Investment Policy of the Company and periodical review of the investment position.

The Investment Committee includes two non-executive directors in line with the guidelines of the IRDA. The Committee has complied with the guidelines of the IRDA with regard to frequency of meetings. The Investment Committee met four times during the year. The details of the attendance of the Directors/Members at the Investment Committee meetings are furnished below in Table 6:

TABLE 6

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings
1.	Shri N. Shankar	2/2
2.	Shri Arvind Mehta	4/4
3.	Shri Yogesh Lohiya	1/3
4.	Shri T. C. A. Ranganathan	3/4

POLICY HOLDERS PROTECTION COMMITTEE

The Policyholders Protection Committee was constituted by the Board of Directors to review various matters relating to the protection of interests of policyholders, to be compliant with IRDA Regulations.

वर्ष के दौरान पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति की दो बैठकें दिनांक 03.02.2012 एवं 09.03.2012 को सम्पन्न हुईं। पॉलिसी धारकों की संरक्षण समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति के विवरण सारणी 7 नुसार हैं:-

सारणी 7

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	2/2
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	2/2

जोखिम प्रबंधन समिति

आई आर डी ए विनियमों का अनुपालक के अनुसार जोखिम के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें दिनांक 03.02.2012 एवं 09.03.2012 को सम्पन्न हुईं। जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों/ सदस्यों की उपस्थिति के विवरण सारणी 8 नुसार हैं:-

सारणी 8

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	2/2
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	2/2

वार्षिक साधारण बैठकें

निगम को, निजी कंपनी, जो कि पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है, के रूप में निगमित किया गया है । पिछले तीन वर्षों के दौरान संपन्न वार्षिक साधारण बैठकों के विवरण सारणी 9 के अनुसार थे :

सारणी 9

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	तारीख व समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की संख्या
1.	2008-09	28 अगस्त 2009, 13.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, मुम्बई	कुछ नहीं
2.	2009-10	20 जुलाई 2010, 16.00 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
3.	2010-11	27 जुलाई 2011, 15.30 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं

The Policyholders Protection Committee met twice on 03.02.2012 and 09.03.2012, during the year. The details of the attendance of the Directors/Members at the Policyholders Protection Committee meetings are furnished below in Table 7:

TABLE 7

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings
1.	Shri N. Shankar	2/2
2.	Shri T. C. A. Ranganathan	2/2

RISKS MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee was constituted by the Board of Directors to review various matters relating to management of risks and to be compliant with the IRDA Regulations in this regard.

The Risk Management Committee met twice on 03.02.2012 & 09.03.2012, during the year. The details of the attendance of the Directors/Members in the Risk Management Committee meetings are furnished below in Table 8:

TABLE 8

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings
1.	Shri N. Shankar	2/2
2.	Shri T. C. A. Ranganathan	2/2

ANNUAL GENERAL MEETINGS

The Company was incorporated as a private Company fully owned by the Government of India. The details of the Annual General Meetings held during the past three years are furnished below in Table 9:

TABLE 9

Sr. No.	Financial Year	Date & Time	Venue	No. of Special Resolutions passed
1.	2008-09	August 28, 2009 13.00 hours	Registered Office, Mumbai	NIL
2.	2009-10	July 20, 2010 16.00 hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL
3.	2010-11	July 27, 2011 15.30 hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL

प्रकटन

निगम का अपने निदेशकों अथवा उनके संबंधियों आदि से ऐसा कोई आर्थिक सौदा नहीं हुआ जिससे निगम के हित में किसी व्यापक विरोध की संभावना हो ।

कंपनी ने सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया है और पिछले 3 वर्षों के दौरान निगम द्वारा किसी भी तरह के अनुपालन का उल्लंघन करने का मामला नहीं हुआ तथा भूमि के विभिन्न संविधि से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी सांविधिक अथवा विनियामक प्राधिकरण द्वारा निगम पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया।

चूँकि निगम 'सूचीबद्ध' कंपनी नहीं है, कंपनी को अपने लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम किसी भी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के कारण निगम के लेखा परीक्षित लेखे व वित्तीय परिणामों उस संबंध में संबंधित अपेक्षाओं के अनुपालन में संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है।

शेयरधारक की जानकारी

(क) वार्षिक साधारण बैठक : वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 6 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है।

(ख) **31 मार्च 2012** तक शेयर धारण का स्वरुप : यह भारत सरकार के पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी है । भारत के राष्ट्रपति, कंपनी द्वारा जारी संपूर्ण 9,00,00,000 इक्वीटी शेयरों के धारक हैं सिवाय उन आठ शेयरों के जो भारत के राष्ट्रपति के नामितों के नाम पर हैं।

(ग) पत्राचार के लिए पता : कंपनी सचिव, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि, एक्सप्रेस टावर्स, दसवीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021. ई-मेल cs@ecgc.in.

कृते व निदेशक मंडल की ओर से

एन. शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 जुलाई 2012

DISCLOSURE

There were no transactions by the Company with its directors or with their relatives of material nature that may have potential conflict with the interests of the Company at large.

The Company has complied with statutory and regulatory requirements and no penalties were imposed on the Company by any statutory or regulatory authority on any matter related to various statutes of the land during the last three years.

As the Company is not 'listed', the Company is not required to publish its audited financial results through print media. The audited accounts of the Company and financial results are being laid on the table of both the houses of Parliament in compliance with the statutory requirements in that regard.

SHAREHOLDER INFORMATION

(a) **Annual General Meeting:** The Annual General Meeting for the current year is scheduled to be held on 6th July, 2012 at New Delhi.

(b) **Shareholding Pattern as on 31st March, 2012:** The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of equity shares of 900,00,000 issued by the Company except for eight of those shares which are held by nominees of the President of India;

(c) **Address for correspondence:** The Company Secretary, Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., Express Towers, Tenth Floor, Nariman point, Mumbai-400021. Email:cs@ecgc.in.

For and on behalf of the Board of Directors

N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Dated: 6th July, 2012

कंपनी शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाण पत्र

मै, नीरज वर्मा एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय समय पर संशोधित कंपनी शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है व इसमें कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा गया है.

नीरज वर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : मुम्बई
6 जुलाई, 2012

Certificate of Compliance of the Corporate Governance Guidelines

I, Neeraj Verma hereby certify that the Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Neeraj Verma
Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: 6th July, 2012.

भारत के बैंकों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्यात ऋण पोर्टफोलियो में गिरावट का सामना करना पड़ा क्योंकि निर्यात आदेशों के रद्द होने और विदेशी खरीदारों से भुगतान में चूक के साथ साथ अन्य बातों से उनके निर्यात ग्राहकों ने अग्रिमों की वापसी में चूक किया। श्रम उन्मुख उद्योग तथा क्षेत्र जैसे कृषि उत्पाद, हीरे जवाहरात, कपड़ा और वस्त्र आदि. को काफी प्रभावित किया है।

Banks in India faced deterioration in their export credit portfolio during FY 2011-12, as their exporter clients defaulted in repayment of advances, inter alia, owing to cancellation of export orders and payment defaults by overseas buyers. The labour intensive industries and certain sectors viz. agro products, gems and jewellery, garments and textiles, etc. have been impacted significantly.

वित्तीय विवरण
Financial Statements

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
Revenue Account for the Year Ended 31st March, 2012

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	**766,25,24.95**	674,86,24.50
2 निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ/हानि Profit/Loss on Sale/redemption of Investment		**1,45,55.95**	3,46,23.05
3 अन्य Others			
- शुल्क - Fees		**87,20.28**	72,20.50
- दावों और प्रीमियम पर ब्याज - Interest on Claims & Premium		**1,09,02.62**	3,44,42.19
- विनिमय घटबढ़ लाभ (शुद्ध) - Exchange fluctuation profit (net)		**-**	-
- विविध आय - Miscellaneous Income		**3,03,78.94**	1,84,28.08
4 ब्याज व लाभांश - सकल Interest & Dividend - Gross		**189,48,63.48**	136,62,49.78
कुल (क) Total (A)		**962,19,46.22**	**820,95,88.10**
1 उपगत दावे (शुद्ध) Claims incurred (Net)	2	**679,61,20.58**	757,43,86.82
2 कमीशन Commission	3	**(57,92,01.69)**	(9,53,21.04)
3 बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	**126,69,46.07**	151,47,54.17
4 अन्य - प्रीमियम की कमी Others - Premium Deficiency		**46,86,08.56**	(48,19,80.95)
कुल (ख) Total (B)		**795,24,73.52**	**851,18,39.00**
विविध कारोबार के लाभ व हानि खाते (क-ख) में विविध कारोबार अंतरण से परिचालन लाभ/(हानि) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business Transfer to Profit & Loss A/c (A-B)		**166,94,72.70**	**(30,22,50.90)**

Financial Statements

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं.

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account.

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40ग (2) के अधीन आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टिकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ,व्ययों के राजस्व खाते में डाला गया है.

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of the Company's books of accounts, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

(नीरज वर्मा)
कंपनी सचिव
(NEERAJ VERMA)
Company Secretary

समतारीख के हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR M. B. AGRAWAL & COMPANY
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR P. M. DALVI & COMPANY
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा
Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2012

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1. परिचालन लाभ / (हानि) OPERATING PROFIT / (LOSS)			
(क) अग्नि बीमा (A) Fire Insurance		-	-
(ख) मरीन बीमा (B) Marine Insurance		-	-
(ग) विविध बीमा (C) Miscellaneous Insurance		166,94,72.70	(30,22,50.90)
2. निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS			
(क) ब्याज व लाभांश - सकल (a) Interest from Dividends - Gross		161,41,42.96	136,62,49.78
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments		1,23,99.51	3,46,23.05
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		-	-
3. अन्य आय OTHER INCOME			
(क) फैक्टरिंग आय (a) Factoring Income		-	59.59
(ख) एनईआईए आय (b) NEIA Income		47,89.78	9,97.02
(ग) किराया व अन्य प्राप्तियाँ (c) Rent & Other Receipts		5,50.64	4,63.89
(घ) विविध आय (d) Miscellaneous Income		77,67.51	10,52,40.89
कुल (क)/Total (A)		**330,91,23.10**	**120,53,83.32**
4. प्रावधान (कराधान के अलावा) PROVISIONS (OTHER THAN TAXATION)			
(क) निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए (a) For diminution in the value of investments		-	-
(ख) फैक्टरिंग के लिए प्रावधान (b) Provisions for Factoring			

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
- मानक आस्ति - Standard Asset		-	-
- निम्न मानक आस्ति - Sub Standard Asset		-	-
- संदिग्ध आस्ति - Doubtful Asset		-	-
(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		-	6,00.00
5. अन्य व्यय OTHER EXPENSES			
(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			
निवेशों के लिए किए गए व्यय Expenses towards Investments		83,34.22	84,71.41
निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय Expenses towards Corporate Social Responsibility		2,35,50.00	2,00,00.00
(ख) अन्य - फैक्टरिंग व्यय (b) Others - Factoring expenses		-	48.47
कुल (ख) / Total (B)		**3,18,84.22**	**2,91,19.88**
कर पूर्व लाभ (क - ख) Profit Before Tax (A-B)		**327,72,38.88**	**117,62,63.44**
घटाएँ / Less:			
कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation			
- आस्थगित कर - Deferred Tax		(16,31,64.25)	16,58,38.14
- वर्तमान कर - Current Tax		105,66,00.00	31,85,00.00
- न्युनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता - MAT Credit Entitlement		12,54,00.00	(12,54,00.00)
(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments		63,04.29	(1,74,29.79)
(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष (c) Tax Adjustments- Earlier Years		-	(2,18,90.61)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for appropriation		**225,20,98.84**	**85,66,45.70**

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
विनियोजन **APPROPRIATIONS**			
(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividend paid during the year		**27,00,00.00**	-
(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर (b) Dividend tax on Interim Dividend		**4,38,00.75**	-
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed Final Dividend		**27,00,00.00**	26,10,00.00
(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर (d) Dividend distribution tax on Proposed dividend		**4,38,00.75**	4,23,40.73
(ङ.) सामान्य निधियों में अंतरण (e) Transfer to General Reserve		**162,45,00.00**	55,34,00.00
पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ / हानि शेष Balance of profit / loss brought forward from last year		**1,03.32**	1,98.35
तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष Balance carried forward to Balance Sheet		**1,00.66**	1,03.32

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

(नीरज वर्मा)
कंपनी सचिव
(NEERAJ VERMA)
Company Secretary

समतारीख के हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR M. B. AGRAWAL & COMPANY
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR P. M. DALVI & COMPANY
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

Financial Statements

31 मार्च, 2012 तक का तुलन पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2012

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
I. निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी Share Capital	5	**900,00,00.00**	900,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष Reserves and Surplus	6	**1245,15,87.81**	1082,70,90.47
उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		**22,58,74.93**	79,51,37.30
उधार Borrowings	7	**-**	-
आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		**-**	-
कुल / Total		**2167,74,62.74**	**2062,22,27.77**
II. निधियों का प्रयोग APPLICATION OF FUNDS			
निवेश Investments	8	**3390,43,21.13**	3163,56,15.53
ऋण Loans	9	**-**	-
स्थिर परिसम्पत्ति Fixed Assets	10	**147,04,60.75**	143,19,46.72
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ Deferred Tax Assets		**20,36,43.90**	4,04,79.65
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ Current Assets			
नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances	11	**902,44,67.50**	876,86,18.37
अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	12	**504,85,39.32**	443,82,93.84
उप कुल (क) / Sub Total (A)		**1407,30,06.82**	**1320,69,12.21**
वर्तमान देयताएँ Current Liabilities	13	**2287,81,46.87**	2087,67,28.24
प्रावधान Provisions	14	**509,58,22.99**	481,59,98.10
उप कुल (ख) / Sub Total (B)		**2797,39,69.86**	**2569,27,26.34**

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (ग)= (क-ख) Net Current Assets (C)= (A-B)		(1390,09,63.04)	(1248,58,14.13)
उचित मूल्य परिवर्तन खाता (अप्राप्त हानियाँ) Fair Value Change Account (unrealised losses)		-	-
विविध व्यय (उसी सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	15	-	-
लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
कुल / Total		**2167,74,62.74**	**2062,22,27.77**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	16		
लेखा के भाग बनने वाली टिप्पणयाँ Notes Forming Part of Accounts	17		

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

(नीरज वर्मा)
कंपनी सचिव
(NEERAJ VERMA)
Company Secretary

समतारीख के हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR M. B. AGRAWAL & COMPANY
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR P. M. DALVI & COMPANY
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 1 / SCHEDULE 1

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)		
सीधे कारोबार से प्रीमियम - भारत में Premium from direct business - In India	**1004,83,31.67**	885,46,69.25
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	**-**	-
घटाएँ: सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less Premium on reinsurance ceded	**243,27,32.73**	114,52,18.29
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**761,55,98.94**	**770,94,50.96**
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	**4,69,26.01**	(96,08,26.46)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	**766,25,24.95**	**674,86,24.50**

अनुसूची 2 / SCHEDULE 2

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
प्रदत्त दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)			
प्रदत्त दावे / Claims Paid			
सीधे / Direct		**713,03,22.70**	620,52,71.60
जोड़: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted		**-**	-
घटाएँ: सौंपा गया पुनर्बीमा Less Reinsurance ceded		**125,90,93.74**	160,23,79.61
घटाएँ: वर्ष के दौरान वसूल किए गए Less : Recovered during the year	168,63,27.28		136,06,65.06
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को वापस लौटाए गए Less : Share of reinsurer	30,88,29.78		11,45,77.48
		137,74,97.50	124,60,87.58
शुद्ध प्रदत्त दावे (क) Net Claims paid (A)		**449,37,31.46**	**335,68,04.41**
जोड़ें: वर्ष के अंत तक बकाया दावें (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add: Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)		**2082,33,96.36**	1860,17,37.72
घटाएँ: वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus: provision for recovery (net of reinsurance)		**17,86,98.32**	25,94,28.80
(ख) / (B)		**2064,46,98.04**	**1834,23,08.92**
घटाएँ: आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less: Claims Outstanding at the beginning(net of reinsurance)		**1860,17,37.72**	1431,75,68.64
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)		**25,94,28.80**	19,28,42.13
(ग) / (C)		**1834,23,08.92**	**1412,47,26.51**
कुल प्रदत्त दावे (क+ख-ग) / Total Claims Incurred (A+B-C)		**679,61,20.58**	**757,43,86.82**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 3 / SCHEDULE 3

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
कमीशन / COMMISSION		
प्रदत्त कमीशन / Commission paid		
सीधे / Direct	**2,67,28.30**	4,07,03.59
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	**-**	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	**60,59,29.99**	13,60,24.63
शुद्ध कमीशन / Net Commission	**(57,92,01.69)**	**(9,53,21.04)**

अनुसूची 4 / SCHEDULE 4

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय **OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS**		
1 कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएँ Employees' remuneration and welfare benefits	**70,71,54.32**	99,52,95.93
2 यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses	**6,42,52.68**	6,06,38.86
3 प्रशिक्षण व्यय Training expenses	**94,20.94**	79,62.88
4 किराया, दर व कर Rent, Rates & Taxes	**7,36,13.97**	7,60,68.04
5 सुधार Repairs	**8,55,18.40**	7,79,19.16
6 प्रिंटिग व स्टेशनरी Printing & Stationery	**1,48,36.82**	1,39,93.18
7 सूचना व्यय Communication expenses	**1,56,41.99**	1,48,58.40
8 कानूनी व व्यावसायिक चार्ज Legal & Professional charges	**79,83.37**	78,92.31
9 लेखापरीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि - कानूनी लेखा परीक्षा शुल्क Auditors fees, expenses etc- Statutory Audit Fee	**38,87.81**	34,06.62
- कर लेखा परीक्षा शुल्क Tax Audit Fee	**8,56.49**	7,42.25
- अन्य (कर्मचारी द्वारा किया गया फुटकर व्यय) Others(Out of Pocket Expenses)	**13,09.70**	22,36.48
10 विज्ञापन व प्रचार Advertisement and publicity	**4,52,69.74**	5,08,74.49

Financial Statements

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 4 / SCHEDULE 4

विवरण / Particulars			वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS				
11	ब्याज व बैंक चार्ज Interest and Bank Charges		**8,74.68**	7,60.05
12	समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क Concurrent Audit Fee		**25,38.21**	25,55.17
13	परामर्श कार्य संबंधी शुल्क Consultancy Charges		**40,47.85**	49,86.23
14	बिजली शुल्क Electricity Charges		**2,16,37.02**	2,09,92.73
15	बीमा प्रीमियम Insurance Premium		**37,47.11**	34,10.48
16	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि (शुद्ध) तथा बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियाँ Loss on Sale of Asset (net) & Asset written off		**5,47.37**	19,93.40
17	हैसियत जाँच व्यय Status Enquiry Expenses	6,39,23.94		5,95,04.51
	घटाएँ: हैसियत जाँच शुल्क Less: Status Enquiry Fees	1,54,91.62		1,66,22.01
			4,84,32.32	4,28,82.50
18	विनिमय घटबढ़ हानि Exchange Fluctuation Loss		**-**	12.35
19	बर्न यूनियन व्यय Berne Union Expenses		**3,71.44**	1,83.06
20	सदस्यता व अन्य शुल्क Membership and other fees		**1,57,83.36**	1,56,58.79
21	निवेशों के लिए परिचालन व्यय Operating Expenses towards Investments		**97,83.65**	84,71.41
22	संपत्ति कर Wealth Tax		**89,63.25**	89,53.24
23	कारोबार संवर्धन व्यय Business promotion expenses		**1,34,87.64**	1,61,70.88
24	विविध व्यय Miscellaneous Expenses		**3,81,65.70**	3,09,95.46
25	मूल्यह्रास Depreciation		**6,88,20.24**	4,48,39.82
26	स्थिर आस्तियों की अनर्जक हानि Impairment Loss of Fixed Assets		**-**	-
कुल / Total			**126,69,46.07**	**151,47,54.17**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 5 / SCHEDULE 5

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
शेयर पूंजी SHARE CAPITAL		
1 प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
₹ 100 प्रत्येक के 100000000 इक्विटी शेयर 100000000 Equity Shares of ₹ 100 each	**1000,00,00.00**	1000,00,00.00
(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 100,000,000 इक्विटी शेयर) (previous Year 100,000,000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
2 जारी पूंजी Issued Capital		
₹ 100 प्रत्येक के 90000000 इक्विटी शेयर 90000000 Equity Shares of ₹ 100 each	**900,00,00.00**	900,00,00.00
(पिछले वर्ष ₹ 100 प्रत्येक के 90000000 इक्विटी शेयर) (previous Year 90000000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
3 अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital		
₹ 100 प्रत्येक के 90000000 इक्विटी शेयर 90000000 Equity Shares of ₹ 100 each	**900,00,00.00**	900,00,00.00
(पिछले वर्ष ₹ 100 प्रत्येक के 90000000 इक्विटी शेयर) (previous Year 90000000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
4 मांगी गई व प्रदत्त पूंजी Called-up & Paid-up Capital		
₹ 100 प्रत्येक के 90000000 इक्विटी शेयर 90000000 Equity Shares of ₹ 100 each	**900,00,00.00**	900,00,00.00
(पिछले वर्ष ₹ 100 प्रत्येक के 90000000 इक्विटी शेयर) (previous Year 90000000 Equity Shares of ₹ 100 each)		
जोड़ें: जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रुप से प्रदत्त राशि) Add: Equity Shares forfeited (Amount originally paid up)	**-**	-
घटाएँ: पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सम मूल्य Less : Par Value of Equity Shares bought back	**-**	-
घटाएँ: आरंभिक व्यय Less : Preliminary Expenses	**-**	-
शेयरों के बीमा अंकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	**-**	-
कुल / Total	**900,00,00.00**	**900,00,00.00**

Financial Statements

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 5क / SCHEDULE 5A

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान वर्ष Current Year		पिछले वर्ष Previous Year	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
शेयर धारण का नमूना / PATTERN OF SHAREHOLDING				
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार) / (As Certified by the Management)				
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति व उनके नामिती सदस्य President of India & His nominees	9,00,00,000	100.00	9,00,00,000	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	9,00,00,000	100.00	9,00,00,000	100.00

अनुसूची 6 / SCHEDULE 6

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
	प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS		
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा General Reserve - Opening Balance	1082,69,87.15	1027,35,87.15
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during year	162,45,00.00	55,34,00.00
		1245,14,87.15	1082,69,87.15
	वर्ष के दौरान कटौती Deduction during year	-	-
		1245,14,87.15	1082,69,87.15
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि Catastrophe Reserve	-	-
6	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) Other Reserves (to be specified)	-	-
7	लाभ व हानि खाता में शेष Balance in Profit & Loss Account	1,00.66	1,03.32
	कुल / Total	1245,15,87.81	1082,70,90.47

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 7 / SCHEDULE 7

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
उधार / BORROWINGS		
1 डिबेंचर / बाँड्स Debentures/Bonds	-	-
2 बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटाने योग्य) Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3 वित्तीय संस्थान Financial Institutions	-	-
4 अन्य Others	-	-
कुल / Total	-	-

अनुसूची 8 / SCHEDULE 8

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
निवेश / INVESTMENTS		
दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1 सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बाँड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Govt. Securities	**905,33,32.79**	828,25,83.18
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Govt. Securities	**516,83,78.95**	513,03,81.79
2 अन्य मान्य प्रतिभूतियाँ Other approved Securities	**100,19,11.56**	100,21,09.29
3 मान्य निवेश Approved Investments		
क. शेयर a. Shares		
कक . इक्विटी aa. Equity	**454,72,11.75**	483,20,38.60
खख. अधिमानित bb. Preference	-	-
ख. म्युचुअल फ़ंड b. Mututal Funds	-	-
ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-

Financial Statements

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 8 / SCHEDULE 8

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
निवेश / INVESTMENTS		
घ. डिबेंचर्स / बाँड्स d. Debentures/Bonds	-	-
I. आवस क्षेत्र बाँड्स में निवेश I. Investments in housing sector bonds	**357,82,03.01**	297,09,15.48
II. बाज़ार क्षेत्र बाँड्स में निवेश II. Market sector bonds	**343,31,30.08**	268,13,69.93
च. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
छ. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
ज. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4 मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	**529,07,07.63**	548,95,71.88
5 अन्य निवेश Other investments	**24,13,16.43**	4,66,43.17
कुल (क) / Total (A)	**3231,41,92.20**	**3043,56,13.32**
अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1 सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills		
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Govt. Securities	**5,00,22.45**	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Govt. Securities	-	-
2 अन्य मान्य प्रतिभूतियाँ Other approved Securities	-	-
3 मान्य निवेश Approved Investments		
क. शेयर a. Shares		
कक. इक्विटी aa. Equity	-	-
खख. अधिमानित bb. Preference	-	-

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 8 / SCHEDULE 8

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
ख. म्युचुअल फ़ंड b. Mututal Funds	-	-
ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-
घ. डिबेंचर्स / बाँड्स d. Debentures/Bonds	-	-
I. आवस क्षेत्र बाँड्स में निवेश I. Investments in housing sector bonds	39,26,16.48	10,00,00.74
II. बाज़ार क्षेत्र बाँड्स में निवेश II. Market sector bonds	5,00,00.00	15,00,00.73
च. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
छ. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
ज. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4 मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	59,74,90.00	45,00,00.74
5 अन्य निवेश Other investments	50,00,00.00	50,00,00.00
कुल (ख) / Total (B)	**159,01,28.93**	**120,00,02.21**
कुल (क+ख) / Total (A+B)	**3390,43,21.13**	**3163,56,15.53**

अनुसूची 9 / SCHEDULE 9

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
ऋण / LOANS		
1 **प्रतिभूतिवार वर्गीकरण** **SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
ज़मानती Secured		
(क) सम्पत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortagage of property		
भारत में in India	-	-
भारत के बाहर Outside India	-	-

Financial Statements

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 9 / SCHEDULE 9

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for doubtful debts	-	-
(ख) शेयरों, बाँडों, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Govt Securities	-	-
(ग) अन्य - (गैर जमानती) (c) Others (Unsecured)	-	-
कुल / Total	-	-
2 **लेनदारवार वर्गीकरण** **BORROWER-WISE CLASSIFICATION**		
(क) केंद्र व राज्य सरकार (a) Central and State Governments	-	-
(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	-	-
(ग) अनुषंगी (c) Subsidiaries	-	-
(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings	-	-
(च) अन्य (कर्मचारियों को ऋण) (e) Others (Loans to employees)	-	-
कुल / Total	-	-
3 **निष्पादन वार वर्गीकरण** **PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION**		
(क) मानक के रुप में वर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard	-	-
भारत में (कर्मचारियों को ऋण) in India (Loans to employees)	-	-
भारत के बाहर Outside India	-	-
(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण (b) Non-performing loans less provisions	-	-
भारत में In India	-	-
भारत के बाहर Outside India	-	-
कुल / Total	-	-
4 **परिपक्वता आधारित वर्गीकरण** **MATURITY -WISE CLASSIFICATION**		
(क) अल्पावधि (a) Short Term	-	-
(ख) दीर्घावधि (b) Long Term	-	-
कुल / Total	-	-

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 10 / SCHEDULE 10

(₹ '000)

क्र.सं Sr. No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Gross Block					मूल्य ह्रास Depreciation					आस्तियों का अनर्जन Impairment of Assets				शुद्ध ब्लॉक Net Block	
		प्रारंभिक/ Opening	समायोजन/ Adjustment	परिवर्धन/ Additions	कटौतियाँ / Deduction	अंतिम / Closing	पिछले वर्ष तक / Upto last year	समायोजन / Adjustment	वर्ष के लिए / For the year	बिक्री पर / समायोजन / On sale / Adjustment	आज तक/ To date	पिछले वर्ष तक / Upto last year	अतिरिक्त अनर्जन / Additional impairment	उत्क्रमण / Reversal	आज तक/ To date	वर्ष के अंत तक / As at the year end	पिछले वर्ष / Last year
स्थिर आस्ति / Fixed Assets																	
1	साख Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त Intangibles	3,81,53.40	-	2,15.00	-	**3,83,68.40**	2,10,86.97	-	81,55.93	-	**2,92,42.90**	-	-	-	-	**91,25.50**	1,70,66.43
3	भूमि- पूर्ण स्वामित्व वाली Land - freehold	75,21,50.82	-	-	-	**75,21,50.82**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,21,50.82**	75,21,50.82
4	पट्टे पर ली गई सम्पत्ति Leasehold Property	5,87,63.54	-	-	-	**5,87,63.54**	99,82.30	-	6,90.11	-	**1,06,72.41**	-	-	-	-	**4,80,91.13**	4,87,81.24
5	बिल्डिंग Building	42,25,30.12	-	-	-	**42,25,30.12**	8,64,95.31	-	68,87.24	-	**9,33,82.55**	-	-	-	-	**32,91,47.57**	33,60,34.81
6	फर्निचर तथा फिटिंग्स Furniture and Fittings	14,13,33.20	21.38	22,14.76	8,81.34	**14,26,88.00**	8,25,75.00	9.91	80,98.22	8,18.98	**8,98,64.15**	1.25	-	-	**1.25**	**5,28,22.60**	5,87,56.95
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	15,46,06.47	(12.81)	51,40.61	71,62.13	**15,25,72.14**	10,44,60.24	(7.95)	1,96,61.85	71,72.30	**11,69,41.84**	-	-	-	-	**3,56,30.30**	5,01,46.23
8	वाहन Vehicles	6,32,56.33	-	28,53.01	6,08.71	**6,55,00.63**	1,83,23.73	-	2,26,96.20	6,08.71	**4,04,11.22**	-	-	-	-	**2,50,89.41**	4,49,32.60
9	कार्यालय उपकरण Office Equipments	5,34,71.39	(8.58)	27,63.75	25,43.74	**5,36,82.82**	2,04,62.43	(1.96)	26,30.69	16,27.73	**2,14,63.43**	37.93	-	-	**37.93**	**3,21,81.46**	3,29,71.03
कुल Total		**168,42,65.27**	**(0.01)**	**1,31,87.13**	**1,11,95.92**	**168,62,56.47**	**34,33,85.98**	-	**6,88,20.24**	**1,02,27.72**	**40,19,78.50**	**39.18**	-	-	**39.18**	**128,42,38.79**	**134,08,40.11**
प्रगतिरत कार्य Work in progress																**18,62,21.96**	**9,11,06.61**
कुल योग Grand Total		**168,42,65.27**	**(0.01)**	**1,31,87.13**	**1,11,95.92**	**168,62,56.47**	**34,33,85.98**	-	**6,88,20.24**	**1,02,27.72**	**40,19,78.50**	**39.18**	-	-	**39.18**	**147,04,60.75**	**143,19,46.72**
पिछले वर्ष Previous Year		**164,12,50.98**	-	**5,36,81.38**	**1,06,67.09**	**168,42,65.27**	**30,58,31.84**	-	**4,48,39.82**	**72,85.67**	**34,33,85.98**	**6,21.72**	-	**5,82.54**	**39.18**	**143,19,46.72**	**135,67,78.77**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 11 / SCHEDULE 11

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
नकदी व बैंक शेष **CASH AND BANK BALANCES**		
1 नकदी (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	**2,90,49.66**	4,02,74.63
2 बैंक शेष Bank Balances		
(क) जमा खाते (a) Deposit Accounts		
अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): Short Term (due within 12 months):		
अनुसूचित बैंकों के साथ With Schedule Banks	**859,39,14.96**	812,36,00.00
वित्तीय संस्थानों के साथ With Financial Institutions	**-**	-
अन्य (12 महीनों से अधिक देय) : Others (due beyond 12 months):		
अनुसूचित बैंकों के साथ With Schedule Banks	**31,31,93.29**	50,48,14.96
वित्तीय संस्थानों के साथ With Financial Institutions	**-**	-
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	**8,82,09.59**	9,98,28.78
(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India	**1,00.00**	1,00.00
3 मांगे जाने व अल्प नोटिस पर मुद्रा Money at Call and Short Notice		
बैंकों के पास With Banks	**-**	-
अन्य संस्थानों के पास With other Institutions	**-**	-
4 अन्य Others	**-**	-
कुल / Total	**902,44,67.50**	**876,86,18.37**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 12 / SCHEDULE 12

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS			
अग्रिम **ADVANCES**			
1 सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies		**-**	-
2 निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments		**-**	-
3 समयपूर्व भुगतान Prepayments		**5,54,45.53**	7,20,53.72
4 निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम Advances to Directors / Officers		**-**	-
5 प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid (Net of provision for taxation)		**237,68,60.01**	103,20,64.95
6 न्यूनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता MAT Credit Entitlement		**-**	12,54,00.00
7 बैंकों को लेखागत दावा अदायगी On account claim payment to Banks	6,00.00		6,00.00
घटाएँ: संदिग्ध दावों की वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	6,00.00		6,00.00
	-	**-**	-
8 कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees		**10,84,14.55**	11,06,03.28
9 व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Expenses		**27,21.78**	5,65.00
कुल (क) / Total (A)		**254,34,41.87**	**134,06,86.95**
अन्य परिसम्पत्तियाँ **OTHER ASSETS**			
1 निवेशों पर प्रोद्भूत आय Income accrued on Investments		**95,79,92.26**	86,30,05.22
2 बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums		**-**	-
3 एजेंटों के शेष Agents' Balances		**-**	-
4 विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies Balances		**-**	-
5 बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाईयों से देय Due from other entitities carrying on insurance business (including reinsurers)		**24,23,17.40**	85,77,27.58
6 गौण / धारक इकाईयों से देय Due from subsidiaries/holding		**-**	-
7 भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरुप) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)		**9,95,25.00**	9,95,25.00

Financial Statements

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 12 / SCHEDULE 12

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
8 आवास ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued on Housing Loan		**3,31,61.01**	3,36,33.05
9 विविध देनदार Sundry Debtors-			
मानक परिसम्पत्तियाँ Standard Assets			
घटाएँ: मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less: Provision for Standard Assets	-		-
(I)		-	-
निम्न मानक परिसम्पत्तियाँ Sub Standard Assets	-		-
घटाएँ: निम्न मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less: Provision for Sub Standard Assets	-		-
(II)		-	-
संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ Doubtful Assets	7,04,26.80		7,04,26.80
घटाएँ: संदिग्ध परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less: Provision for doubtful Assets	7,04,26.80		7,04,26.80
(III)		-	-
(I) + (II) + (III)		-	-
10 अधिमानित / अदा किए गए दावों की वसूली के लिए प्रावधान Provision for recovery of claims preferred / paid		**17,86,98.32**	25,94,28.80
11 अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	92,03,82.56		90,80,48.00
घटाएँ: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	95,11.50		95,11.50
		91,08,71.06	89,85,36.50
12 विविध जमा Sundry Deposits	8,56,75.92		8,88,94.26
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	31,43.52		31,43.52
		8,25,32.40	8,57,50.74
कुल (ख) / Total (B)		**250,50,97.45**	**309,76,06.89**
कुल (क + ख) / Total (A+B)		**504,85,39.32**	**443,82,93.84**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची / SCHEDULE 13

	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
	वर्तमान देयताएँ / CURRENT LIABILITIES		
1	एजेंटों का शेष Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies	20,56,65.47	55,00,14.92
3	सौपें गए पुनर्बीमा पर जमा Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4	अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance	167,80,58.87	154,43,56.60
5	अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	-	-
6	विविध देनदान Sundry Creditors	11,62,09.23	11,11,03.03
7	अनुषंगी / धारक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding Company	-	-
8	बकाया दावे Claims outstanding	2082,33,96.36	1860,17,37.72
9	कर्मचारियों को देय Due to Employees	1,18,67.50	2,94,21.80
10	अन्य को देय - एन ई आई ए Due to Others - NEIA	1,09,66.91	8,32.87
	- फ़ैक्टरिंग - Factoring	-	-
	- विविध - Miscellaneous	1,22,79.62	1,58,20.81
11	बीमाकृत - अदावी को देय Due to Insured - Unclaimed	1,97,02.91	2,34,40.49
12	बैंक बहि ओवरड्राफ्ट - अस्थायी Bank Book Overdraft - Temporary	-	-
	कुल / Total	**2287,81,46.87**	**2087,67,28.24**

अनुसूची 14 / SCHEDULE 14

	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
	प्रावधान / PROVISIONS		
1	असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	380,77,99.47	385,47,25.48
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	46,86,08.56	-

Financial Statements

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 14 / SCHEDULE 14

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
3 निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित Reserve for Corporate Social Responsibility	**3,79,41.50**	1,53,51.50
4 कराधान के लिए For taxation		
आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) Income Tax (Net of Advance Tax)	**-**	-
सम्पत्ति कर Wealth Tax	**89,63.25**	89,53.24
उपांत सुविधा कर (अग्रिम कर को घटा कर) Fringe Benefit Tax (Net of Advance Tax)	**-**	-
5 प्रस्तावित लाभांशों के लिए For proposed dividends	**27,00,00.00**	26,10,00.00
6 लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax	**4,38,00.75**	4,23,40.73
7 सेवानिवृत्ति की सुविधाएँ - For Retirement Benefits -		
अर्जित छुट्टी Earned Leave	**22,33,23.85**	20,37,46.71
उपदान Gratuity	**1,10,17.61**	1,56,75.44
पेंशन Pension	**22,43,68.00**	41,42,05.00
कुल / Total	**509,58,22.99**	**481,59,98.10**

अनुसूची 15 / SCHEDULE 15

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE		
1 शेयर / डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर रियायत Discount Allowed in issue of shares/debentures	**-**	-
2 अन्य Others	**-**	-
कुल / Total	**-**	-

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

1.1 सह वित्तीय विवरण,बीमा अधिनियम,1938 की धारा 11(1) के प्रावधानों, बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंर्तगत बनाए गए विनियमों जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (1),(2) व (5) व धारा 227 की उपधारा (5) के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार बनाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंर्तगत व उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं जो बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की लेख़ा परीक्षकों की रिर्पोट व वित्तीय विवरणों को तैयार करना) विनियमन 2002 तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3 सी) में विनिर्दिष्ट लेख़ा मानकों का लागू सीमा तक अनुपालन करते हैं तथा जब तक वैसे दर्शाया न गया हो, ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं,

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है कि विचाराधीन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों की राशि तथा देयताओं व वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटनों तथा राजस्वों व व्ययों के रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमानों तथा पूर्व धारणाओं का सहारा लिया जाए। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। जिन अवधियों के लिए परिणाम जाने गए / उत्पन्न हुए हैं के दौरान वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच अंतर हो सकता है।

2. अचल परिसम्पत्तियाँ व मूल्यह्रास

2.1 अचल परिसम्पत्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से मूल्यह्रास को घटा कर दर्ज की गई हैं।

2.2 मूल्यह्रास का प्रावधान समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार संबंधित दरों पर सीधी रेखा पद्धति से किया गया है केवल वाहन और आईटी हार्डवेयर को छोडकर क्योंकि दिनांक 1 अप्रैल 2011 से इनके लिए मूल्यहास दर 20% किया गया है। वर्ष के दौरान वर्धित/निपटाई गई/परिसम्पत्तियों का वर्धन/ निपटान की तारीख के संदर्भ में समानुपातिक आधार पर मूल्यह्रास किया गया ।

2.3 ₹5,000 से कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ व मोबाइल हैंड सेट का खरीद के वर्ष में ही पूर्णतया मूल्यह्रास हो गया।

2.4 पट्टे वाली परिसम्पत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।

SCHEDULE 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the provisions of sub-sections (1), (2) and (5) of section 211 and sub-section (5) of section 227 of the Companies Act, 1956. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed by Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and the provisions of The Companies Act, 1956 to the extent applicable and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except for Vehicles and IT hardware for which the depreciation rate has been changed to 20% with effect from 1st April, 2011. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal.

2.3 Assets costing less than ₹5,000 and mobile hand sets are fully depreciated in the year of purchase.

2.4 Leased Assets are amortised over the period of lease.

2.5 हार्डवेअर के समाकलित भाग के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेअर, जिसमें पूर्व में लोड किए गए सॉफ्टवेअर तथा नए ख़रीदे गए हार्ड वेअर में लगाने के लिये ख़रीदे गए सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर के साथ पूंजीकृत किया गया है। उसके बाद के संशोधनों/सुधारों व अन्य लिए गए सॉफ्टवेअरों व आंतरिक तौर पर निर्मित सॉफ्टवेअर पर किए गए व्यय को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

2.6 सॉफ़्टवेयर विकास तथा उसे खरीदने की कीमतें जो कि आई सी ए आई द्वारा जारी अविचारणीय परिसम्पत्तियों - ए एस- 26 के मानदंडों के अनुरुप रहीं को सॉफ़्टवेयर की उपयोगपूर्ण अवधि के दौरान पूंजीकृत व परिशोधित किया गया। यदि उपयोगपूर्ण अवधि का अनुमान लगाना मुमकिन न हो तो सीधे उसे उसकी खरीद की तारीख से 5 वर्षों के लिए परिशोधित किया जाता है।

2.7 कमीशनिंग के अंतर्गत परियोजनाओं को मुख्य प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के रूप में लागत पर अग्रेषीत किया जाता है और यह अग्रिमों एवं सीधे एट्रिब्युटेबल लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

3. अनर्जन

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को परिसम्पत्तियों की आवर्ती राशियों की समीक्षा की गई ताकि किसी प्रकार के अनर्जन को पहचाना जा सके। यदि इस प्रकार का कोई संकेत प्राप्त हुआ हो तो परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया। जब भी किसी परिसम्पत्ति की आवर्ती राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक पाई गई वहाँ अनर्जन की हानि पहचानी गई ।

4. निवेश

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरणों जैसे वाणिज्यिक पेपर तथा जमा प्रमाण पत्रों को उनके रियायत मूल्य पर दिखाया जाता है तथा खरीद मूल्य व शोधन मूल्य के बीच के अंतर को समय के आधार पर प्रभाजित किया जाता है व उसे उपचयित आय माना जाता है ।

4.2 शेयरों, बाँड्स, डिबेंचरों आदि को खरीदने के लिए किए जाने वाले करारों को सौदों की तारीख को 'निवेश' के रुप में गिना जाता है।

4.3 निवेश मूल्य में खरीदने पर अदा किया गया प्रीमियम, व्यय,जैसे ब्रोकरेज,अंतरण स्टैम्प,अंतरण शुल्क आदि तथा उस पर प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन/शुल्क, यदि कोई हो तो, की शुद्ध राशि शामिल है।

4.4 लाभांश को घोषणा के वर्ष के दौरान आय के रुप में माना जाता है।वसूली की तारीख को आपत्ति/ लंबित सुपुर्दगी के अधीन शेयरों पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गई। जहाँ वॉरंटों की तारीख 31 मार्च अथवा उसके पहले की थी वहाँ अंतरिम लाभांश की गणना की गई है।

2.5 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.6 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS - 26 - Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head 'Intangibles' and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.7 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work in Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc. are accounted for as 'Investments' as on date of transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc. and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/ pending delivery is accounted for on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 निवेशों की उगाही पर लाभ/हानि की गणना निवेशों के मूल्य के रुप में औसत लेखा मूल्य को ध्यान में रखते हुए की गई है तथा परिपक्वता तक धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर लाभ/हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन (एफ आई एफ ओ) आधार पर की गई।

4.6 सरकारी प्रतिभूतियों,ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमानित शेयरों की परिपक्वता तक मान कर तथा उसकी कीमत के आधार पर गणना की गई । तथापि बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार प्रतिभूतियों के खरीद के समय अदा किए गए प्रीमियम को परिपक्वता की परिशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया गया।

4.7 (क) म्युचुअल फ़ंडों में निवेशों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर किया गया तथा मूल्य/अंकित मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गई ।तथापि यदि मूल्य में घाटा पाया गया तो उसकी भरपाई राजस्व में से की जाएगी व निवेश के अंकित मूल्य में तदनुसार कटौती की जाएगी। पूर्व में पहचाने गए किसी भी घाटे की हानि को यदि उल्टा किया जाए तो उसे उस सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा जिस सीमा तक घाटे को पहचान कर कटौती की गई थी ।

(ख) तुलन पत्र की तारीख को एन ए वी की अनुपलब्धता पर निवेश को उसके मूल्य के अनुसार ही दिखाया जाएगा ।

4.8 (क) बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार इक्विटी /इक्विटी संबंधी प्रपत्रों को सक्रीय रुप से व्यापारित तथा अल्प व्यापारित में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई व बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान हुए लेनदेन को देखते हुए शेयरों को अल्प व्यापारित श्रेणी में गिना गया है ।

(ख) सक्रीय व्यापारित/अल्प व्यापारित प्रपत्रों की गणना मार्च में एन एस ई अथवा बी एस ई में अंतिम निर्दिष्ट मूल्य की न्यूनतम मूल्य में की गई है । यदि शेयर दोनो ंमें से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड / लिस्ट किए गए हैं तो संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध कोटेशन पर ही विचार किया गया। भारित औसत लागत तथा कोट किए गए मूल्य के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाता में डाला गया ।

4.9 अल्प व्यापारित शेयरों तथा असूचीगत शेयरों में निवेशों को मूल्य के अनुसार दर्शाया गया । तथापि मूल्य तथा विश्लेषित मूल्य के अंतर को मूल्य में मूल्यह्रास के रुप में दर्शाया गया है। आगे यदि अल्प व्यापारित/ असूचिगत शेयरों के लिए प्रावधानों की गणना करने की तारीख को अथवा उसके तत्काल पश्चात की तारीख तक असूचिगत कंपनी के पिछले तीन लेखा वर्षों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा यदि

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as Thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments are valued at lowest of the last quoted closing price at NSE or the BSE in March. If the shares are traded/ listed only on either of the stock exchanges then the quotation available on the respective stock exchanges is considered. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account

4.9 Investment in Thinly traded Equity shares and unlisted Equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for

Financial Statements

विश्लेषित मूल्य नकारात्मक है तो सम्पूर्ण लागत के लिए प्रावधान किया गया।

4.10 वे कंपनियों जो पिछले तीन वर्षों से निरंतर हानि में चल रहीं हों व जहाँ पूंजी की हानि हुई हो में सूचीगत इक्विटी/इक्विटी संबंधी प्रपत्रों/अधिमानित शेयरों में किए गए निवेश को मूल्य में घाटे की श्रेणी में गिना गया है। आगे यदि मूल्य के घाटे की गणना की तारीख को अथवा उसके तत्काल पश्चात यदि किसी कंपनी के पिछले तीन लेखा वर्षों के प्रकाशित लेखों के आंकडे उपलब्ध न हों तो यह मान लिया जाएगा कि निवेशों पर पूर्ण रुप से हानि हुई है व उसे ₹1/- प्रति कंपनी के नाम मात्र मूल्य पर बट्टे खाते में डाल दिया गया।

4.11 **क)** मूल्य में घाटे में शामिल किए जानेवाले निवेशों की गणना निम्नानुसार की गईः

(क) सक्रीय व्यापारित इक्विटी शेयर :- लागत मूल्य, बाज़ार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य का न्यूनतम बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य सकारात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हुआ तो ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य की गणना की जाएगी।

(ख) सक्रीय व्यापारित शेयरों के अलावा अन्य के संदर्भ में : - लागत मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य का न्यूनतम बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य सकारात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हुआ तो ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य की गणना की जाएगी।

(ग) अधिमानित शेयरों के मामले में यदि पिछले तीन वर्षों से लाभांश प्राप्त न हुआ हो तो : - अधिमानित शेयरों की गणना उसी मूल्य में की जाएगी जो उनका अंकित मूल्य हो, इक्विटी शेयरों के उसी अंश को लिए गए मूल्य / अंकित मूल्य वाले बट्टे खाते में डाले जानेवाले इक्विटी शेयरों के मूल्य में शामिल किया गया। तथापि यदि इक्विटी शेयर जिन्हें ₹1/-प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया, अधिमानित शेयरों की भी ₹1/- प्रति कंपनी के नाम मात्र मूल्य पर गणना की जाएगी।

ख) उपर्युक्त नीति के अनुसार एक बार यदि सूचीगत इक्विटी/इक्विटी से संबंधित प्रपत्र/अधिमानित शेयरों में निवेश के मूल्य का घाटा तय किया जाए तो इस प्रकार के हानि घाटे को राजस्व/लाभ व हानि खाते से केवल तब ही बाहर लाया जा सकता है जब उसे उलटने की तारीख को अथवा तत्काल पश्चात जिन कंपनियों में निवेश किया गया है उन कंपनियों के उपलब्ध प्रकाशित लेखों के नवीनतम आंकडों के अनुसार घाटे की राशि की हानि पूर्ण रुप से समाप्त हो जाए।

thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/ Preference shares made in those companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of ₹1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to ₹1/- per Company, Preference shares also will be written off to a nominal value of ₹1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/ profit & loss account only when the accumulated losses of such investee Companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 **रिवर्स रेपो** लेनदेनों को सुरक्षित उधार लेनदेन मानकर तदनुसार वित्तीय विवरणों में घोषित किया गया। सौदे के पहले व दूसरें आशय के कुल प्रतिफ़ल के बीच के अंतर को आय माना गया।

4.13 'संपार्श्वीकीकृत उधार तथा उधार देने का दायित्व' (सी बी एल ओ), जो कि अंकित मूल्य पर रियायत देते हुए जारी किया गया था को भारतीय रिर्जव बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार प्रपत्र माना गया। सीबी एल ओ के ज़रिए उधार देते समय अर्जित छूट की गणना आय में की गई जिसे समय के आधार पर प्रभाजित किया गया।

4.14 (क) सूचीगत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त वसूलियाँ, हानियों को 'उचित मूल्य परिवर्तन खाते' में रखा जाता है व उनकी प्राप्ति पर उन्हे लाभ तथा हानि के खाते में रिपोर्ट किया जाता है।

(ख) 'उचित मूल्य खाते' में लंबित वसूली, ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

5. प्रीमियम आय

5.1 वर्ष के अंत तक प्राप्त अंतरण गारंटियों,बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (निष्पादन गारंटियों), अल्पावधि पॉलिसियों तथा बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा से संबंधित प्रीमियम आय की गणना निर्यातक/बैंक से प्राप्त संबंधित घोषणा फार्मों / प्रलेखों के सत्यापन के बाद तथा उठाए गए जोख़िम के लिए देय प्रीमियम की प्राप्ति पर की जाएगी।

5.2 परियोजना और सावधि निर्यातों, ऋण व्यवस्थाओं तथा विदेशी निवेश बीमा से संबंधित दीर्घावधि पॉलिसियों/ बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा के संबंध में प्रीमियम आय को समय-समय पर जब भी व जैसे भी भुगतान / निर्यात की अनुसूची के आधार पर पॉलिसी/गारंटी की अवधि के दौरान प्रभाजित किया गया है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियाँ

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियाँ, वर्ष के लिए शुद्ध प्रीमियम आय के 50% तक ऱखी गई हैं।

7. प्रीमियम घाटा

प्रीमियम घाटा को तब पहचाना जाता है जब अनुमानित दावा मूल्य तथा संबंधित व्यय असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधियों से अधिक हो।

8. दावों पर देयता तथा अनुमानित वसूलियों का लेखा

8.1 बकाया दावों के लिए देयता में अधिमानित, प्राप्त दावे तथा वर्ष के अंत तक बकाया शामिल है। यह भी कि वर्ष के अंत तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वहन किए गए किंतु रिपोर्ट न किए गए दावे (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान तथा बकाया हानि (आईबीएनईआर),

4.12 **REVERSE REPO** Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the First and Second leg of the transaction is treated as income.

4.13 'Collateralised Borrowing and Lending Obligation' (CBLO), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through CBLO is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head 'Fair Value Change Account' and on realisation reported in Profit & Loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the 'Fair Value Change Account' is not available for distribution.

5. PREMIUM INCOME

5.1 Premium Income in respect of Transfer Guarantees, Export Credit Insurance for Banks (Export Performance), Short Term Policies, Export Credit Insurance for Banks and Domestic Credit insurance policies and Domestic Credit insurance for banks, received upto the end of the year is accounted for after verification of the relevant declaration forms/documents received from exporter/bank and on receipt of premium due for the risk undertaken.

5.2 Premium Income in respect of Medium and Long Term policies/ Export Credit Insurance for Banks relating to Project and Term Exports, Lines of Credit and Overseas Investment Insurance, is apportioned over the period of policy/guarantee on the basis of the schedule of payments/exports as and when drawn up from time to time.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. LIABILITY ON ACCOUNT OF CLAIMS AND ACCOUNTING OF ESTIMATED RECOVERIES

8.1 Liability towards outstanding claims comprises of claims preferred and outstanding at the year end. Further, the

यदि कोई हो तो उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान को हिसाब में लिया गया है।

8.2 अदा किए गए अथवा प्रावधान किए गए दावों के संबंध में अनुमानित वसूलियों (अंतरण विलंब की वसूलियों के अलावा) की गणना प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर की गई है। तथापि प्रदत्त दावों के संबंध में तथा तुलन पत्र की तारीख के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए बकाया दावों के संबंध में वसूलियों के लिए ₹100 (सौ रुपए मात्र) का अनुमान किया गया है, भले ही ऐसे मूल्यांकनों पर उच्च वसूली का प्रावधान है। अदा किए गए अथवा प्रावधान किए गए अंतरण विलंब दावों संबंधी अनुमानित वसूलियों की गणना उपलब्ध जानकारी व गत अनुभव पर आधारित निगम के वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर की गई है।

8.3 निम्नलिखित जिन दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है उनके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :

i) निगम द्वारा अस्वीकृत दावे और जिन दावों के संबंध में कानूनी कार्यवाही तथा / अथवा विधिक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है सिवाए ऐसे मामलों के जहाँ प्रतिकूल निर्णय हुआ था । इस प्रकार के दावों के मामलों के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है ।

ii) बैंकों द्वारा अधिमानित दावे जिनकी उनके द्वारा पुष्टि की गई है व देयों की वसूली के लिए किए जानेवाले समाधानात्मक प्रस्ताव विचाराधीन हों ।

उपर उल्लिखित (i) व (ii) के संबंध में यदि ब्याज के लिए यदि कोई दावा किया गया है तो उस उद्देश्य के लिए न तो आकस्मिक देयता के लिए न ही प्रावधान के लिए विचार नहीं किया गया ।

9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम के आरंभ होने के वर्ष के दौरान ही जोखिम स्वीकारे (सौंपे) जाने पर पुनर्बीमा प्रीमियम की गणना कर ली गई। स्वीकार किए गए (सौंपे गए) प्रीमियम में तत्पश्चात यदि किसी प्रकार का संशोधन हो तो उस प्रकार के संशोधन के वर्ष से उसकी गणना की गई । पॉलिसियों को रद्द किए जाने पर पुनर्बीमा प्रीमियम का समायोजन की गणना उसे रद्द किए जानेवाले वर्ष से की गई है ।

9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन की गणना सौंपे गए पुनर्बीमा की अवधि के लिए आय के रुप में किया गया है।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन लाभ कमीशन को, जहाँ भी लागू हो को, लाभों तथा जैसा भी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया हो, के अंतिम निर्धारण के वर्ष में गिना गया है ।

provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.2 The estimated recoveries (other than transfer delay recoveries) in respect of claims paid or provided are accounted for on the basis of assessment of each case. However, the recoveries in respect of claims paid and outstanding for recovery for more than three years as on the Balance Sheet date are estimated at ₹100 (Rupees one hundred only) even if higher recovery provision is permissible on such assessments. The estimated recoveries on account of transfer delay claim, paid or provided for, is accounted on the basis of the Corporation's current perceptions based on the available information and past experience.

8.3 No provision is made for following Claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Corporation and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 पुनर्बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा व्यवस्था की शर्तों के अनुसार प्राप्त की गई /प्राप्ति योग्य राशियाँ को दावों की अभिस्वीकृति के साथ ही स्वीकार किया गया है ।

10. व्यय का प्रबंधन

10.1 निगम द्वारा वहन किए गए प्रबंधन के हर प्रकार के व्यय को बीमा कारोबार से संबंधित व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है और इसीलिए इसे राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है । निवेशों से संबंधित व्ययों को महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 10.2 में उल्लिखित अनुपात के अनुसार राजस्व तथा लाभ व हानि खाते में प्रभाजित किया गया है ।

10.2 वर्ष के आरंभ में ही ब्याज तथा लाभांशों से प्राप्त आय को शेयर धारकों की निधि तथा पॉलिसी धारकों की निधि के अनुपात में ही क्रमशः लाभ व हानि खाता तथा राजस्व खाते में प्रभाजित कर लिया गया है । शेयरधारकों की निधि में उधार सहित मुक्त प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं । पॉलिसीधारकों की निधि में बकाया दावों के लिए किए गए प्रावधान तथा असमाप्त जोखिम की प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं ।

10.3 छपाई और लेखन सामग्री की वस्तुओं को जिस वर्ष खरीदा जाता है उनके बारे में यह मान लिया जाता है कि उनका उपयोग कर लिया गया है ।

11. कर्मचारी सुविधाएँ

11.1 निगम में उपदान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि सभी पात्र कर्मचारियों के लिए सुविधा योजना है । इस योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय अथवा उनकी सेवा समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन व निगम में उनकी सेवा अवधि के आधार पर एक मुश्त राशि अदा की जाती है । निगम बीमा कंपनी के रखरखाव वाली निधि में अपना अंशदान करता है । अंशदान की राशि वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

11.2 तुलन पत्र की तारीख को परियोजित इकाई ऋण पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन तथा बीमा कंपनी के पास शेष निधि के बीच की कमी की भरपाई के लिए प्रावधान किया गया है।

11.3 निगम की नीति के अनुसार निगम के कर्मचारी निबंधनों व शर्तों के अधीन अपने त्यागपत्र/ सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में शेष छुट्टियों का नकदीकरण करवाने के लिए पात्र हैं । तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में शेष छुट्टी का उपयोग करने के अनुमान के आधार पर अल्पावधि प्रतिपूरित अनुपस्थिति के लिए प्रावधान किया गया है । तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान किया गया है ।

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Corporation, incurred by the Corporation are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 The income from interest and dividends is apportioned between Profit and Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholder's Fund respectively at the beginning of the financial year. Shareholders fund consists of Share Capital and Free Reserves including Borrowings. Policyholders Fund consists of provisions for outstanding claims and reserves for unexpired risks.

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 The Corporation provides for gratuity, a Defined Benefit Plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Corporation. The Corporation contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Corporation's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4 भविष्य निधि परिभाषित सुविधा योजना है। निधि में किया जानेवाला निगम का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है । यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि के अर्जन विधि सम्मत निर्धारित न्यूनतम से कम हों तो निगम को उस कमी की भरपाई करनी होगी ।

11.5 कर्मचारी भविष्य निधि सुविधाओं का लाभ एक निर्धारित सुविधा योजना के ज़रिए उठा सकते हैं जिसमें कर्मचारी योजना में कर्मचारी के मूलवेतन के 10% के हिसाब से अपना अंशदान करते हैं। निगम पात्र कर्मचारियों जो दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके पश्चात तथा पात्र कर्मचारी जिन्होंने निगम में दिनांक 31.12.2003 को निगम की सेवाएँ ग्रहण की हैं तथा पेंशन सुविधा का विकल्प नहीं चुना है। निगम ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह भविष्य निधि के लिए अंशदान किए जाते हैं ।निगम अवधिक आधार पर किए जाने वाले इस प्रकार के अंशदानों पर अर्जन के दर की गारंटी देता है ।निगम अर्जन में होने वाली कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई करेगा जिसका प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है ।

11.6 कर्मचारी निर्धारित सुविधा योजना के ज़रिए पेंशन सुविधाएँ पाने के लिए पात्र हैं जिसमें निगम कर्मचारी के मूलवेतन के 10% के हिसाब से अपना अंशदान देगा। कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 31/03/2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में सेवा ग्रहण की है और पेंशन सुविधा का विकल्प चुना है, वे पेंशन योजना कें अंतर्गत रक्षित है। निगम ने पेंशन फ़ंड ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें पेंशन निधि में किए जानेवाले अंशदान को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। निगम अर्जनों में होनेवाली किसी भी प्रकार की कमी यदि कोई हो तो, की भरपाई करेगा जिसका प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है ।

11.7 सभी दीर्घावधिक लाभ उपचयित आधार पर लिए गए हैं ।

11.8 कर्मियों की सुविधा पर उपचयित लाभ / हानि तत्काल राजस्व खाते में लिए गए हैं ।

12. आय कर

12.1 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार : कर कानूनों के अनुसार न्यूनतम विकल्प कर का भुगतान किया गया है जो भावी आयकर देयता पर कर क्रेडिट के रूप में भावी आर्थिक लाभ को बढ़ा देता है, को तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है यदि वहाँ ठोस सबूत है कि निगम भावी वर्षों में सामान्य कर अदा करेगा और जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति को विश्वास से मापा जा सकता है, को चालू लेखा अवधि के लिए गणना किए गए कर योग्य लाभ के आधार पर कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Corporation's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Corporation will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a Defined Benefit Plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Corporation on or after 01/01/2004, and eligible employees who have joined the Corporation on or before 31/12/2003 and have not opted for pension benefit. The Corporation has established a Provident Fund Trust to which contributions towards provident fund are made. Contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation guarantees a specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Corporation will meet the shortfall in the return, if any, which is provided for based on actuarial valuation as on the date of Balance Sheet.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a Defined Benefit Plan to which the Corporation contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Corporation has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.8 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Corporation will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित कर दरों तथा कानून के आधार पर आस्थगित कर की गणना की गई है और एक अवधि में उत्पन्न समय अंतर को पहचाना गया है तथा तत्पश्चात एक अथवा अधिक अवधियों के लिए उसे पलटा जा सकता है। जहाँ कहीं भी आगे लाए गए अनवशोषित कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तब ही निर्धारित किया गया है जब ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली की निश्चितता का पूर्वाभास हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण केवल तभी किया जाता है जब भविष्य में उनकी उगाही की समुचित निश्चितता हो ।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

13.1 प्रावधान का निर्धारण तब किया जाता है जब पिछली घटना के परिणाम के रूप में किसी उद्यम को वर्तमान में दायित्वों का निपटान करना होता है और यह संभव है कि दायित्वों के निर्वाह में स्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है । प्रावधान उसके वर्तमान मूल्य पर नहीं भुनाए जाते तथा उनका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को परिलक्षित करने हेतु समायोजित किया गया है ।

13.2 आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब निगम की देयता संभावित हो या वर्तमान देयता और इस बात की संभावना हो कि दायित्वों के निपटान हेतु नकद बहिर्गमन की आवश्यकता नहीं होगी ।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसम्पत्तियों का न तो निर्धारण किया गया न ही उनकी घोषणा की गई है ।

14. फ़ैक्टरिंग

14.1 फ़ैक्टरिंग सेवा चार्जों में ब्याज को जब भी वह उपचयित होता है तब ही उसकी गणना की जाती है ।

14.2 फ़ैक्टर किए गए उधारों को विविध देनदारों के रूप में चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष में शामिल किया गया है । इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर सक्रीय तथा निष्क्रीय परिसम्पत्तियों के रूप में विभक्त किया गया है । आई आर डी ए द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के मानदंडों के आधार पर सक्रीय देनदारों को मानक परिसम्पत्ति तथा निष्क्रीय देनदारों को उप मानक, संदिग्ध तथा हानि रुपी परिसम्पत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है ।

14.3 फ़ैक्टर किए गए उधारों के मूल्य के तथा वसूली पर ग्राहकों को देय अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है व उन्हें फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते के रुप में दर्शाया गया है ।

14.4 मुद्रागत परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के निपटान / लेनदेन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण उत्पन्न लाभ तथा हानि की वसूली ग्राहकों से की गई है ।

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Corporation has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA.

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients.

14.5 उधारों की फ़ैक्टरिंग के लिए प्रावधान समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए के मानदंडों के अनुसार ही किया गया है। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसम्पत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं । एन पी ए के लिए विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही प्रावधान किए गए हैं जो कि निम्नानुसार आई आर डी ए द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

उप मानक परिसम्पत्ति	1. 10% का सामान्य प्रावधान 2. आरंभ से ही अरक्षित अपावरण के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ वसूली योग्य प्रतिभूति आरंभिक 10% से अधिक न हो)
संदिग्ध परिसम्पत्ति - रक्षित भाग	1. एक वर्ष तक - 20% 2. एक से तीन वर्ष तक - 30% 3. तीन से अधिक वर्षों तक - 100%
अरक्षित भाग	100%
हानि युक्त परिसम्पत्ति	100%

15. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) ट्रस्ट खाता :**

सम्पूर्ण रक्षा की अवधि के दौरान एन ई आई ए से प्राप्त प्रशासनिक चार्जों को समान रुप से आबंटित किया गया है ।

16. **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

16.1 आरंभिक निर्धारण : लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा व विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा दर को लागू करते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेनों को रिपोर्टिंग मुद्रा में रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 परिवर्तन : अंतिम दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को रिपोर्ट किया जाता है। गैर मुद्रागत वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में परंपरागत लागत के रुप में होती है को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है ।

16.3 विनिमय अंतर : मुद्रागत वस्तुओं के परिवर्तन अथवा निपटान के समय उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि में आय अथवा व्यय के रुप में गिना गया है जिस अवधि के दौरान वे उत्पन्न हुए हैं तथा उन्हें निम्नानुसार अपेक्षित राजस्व खाते में डाला गया है : प्रदत्त / प्रदान किए गए दावों की वसूलियों पर विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को 'प्रदान किए गए दावों (शुद्ध)' शीर्ष के अंतर्गत रखते हुए 'वर्ष के दौरान वसूल' शीर्ष में शामिल किया गया है।

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA :

Substandard Assets	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10% ab-initio)
Doubtful Assets - Secured portion	i. Upto one year - 20% ii. One to three years - 30% iii. More than three years - 100%
-Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

15. **NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA) TRUST ACCOUNT:**

The administrative charges received from NEIA is being allocated equally throughout the Cover period.

16. **FOREX TRANSACTIONS:**

16.1 Initial Recognition - Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion - Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences - Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account excepted as stated under: Foreign exchange gain or loss on recoveries of claims paid/provided are accounted under the head 'Claims incurred (net)' and are included under the head 'recovered during the year'.

अनुसूची 17

लेखे के भाग के रूप में व उससे संलग्न टिप्पणियाँः

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरण की तैयारी) विनियमन, 2002 व कंपनी अधिनियम 1956 के अन्य लागू प्रावधानों तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसरण में बीमा विनियम एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)द्वारा निगम को प्रदान की गई अनुमति के अनुसरण में सह वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2. स्वीकृत राशि की वसूली क्षमता :

प्रबंधन के विचार से कारोबार की सामान्य स्थिति में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों की मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जितना उन्होंने तुलन पत्र तथा सभी ज्ञात व संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान में बताया गया है ।

3. अचल परिसंपत्तियाँ :

3.1 "भवन" के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों में ₹ 650.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹650.76 हज़ार) मूल्य की कुछ संपत्ति शामिल है जहाँ पंजीकरण की औपचारिकताएँ लंबित है। आगे ₹5,75,11.06 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,75,11.06 हज़ार) की संपत्ति जिसके करार लापता हो गए हैं / वर्तमान में जिसके करार निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि निगम के पास इन संपत्तियों से संबंधित को ऑपरेटिव संस्थानों से प्राप्त शेयर प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

3.2 स्थिर सम्पत्तियों के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों में ₹2,15 हज़ार (पिछले वर्ष ₹26,48.56 हज़ार) के स्थायी लाईसेंस शामिल हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए खरीदा गया है। आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार इस प्रकार के लाईसेंसों का स्वामित्व लाईसेंसों के लिए पूर्ण अदायगी कर दिए जाने के पश्चात कंपनी के नाम हो जाएगा । हालांकि निगम ने इस प्रकार के लाईसेंसों का 'उपयोग' आरंभ कर दिया है, इस प्रकार के लाईसेंसों के कुल मूल्य को अमूर्त शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है तथा वह 5 वर्षों के पश्चात परिशोधित किया जाएगा ।

3.3 प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में निम्नलिखित शामिल है :

i) कंसल्टेंसी एवं कार्यालय भवन के निर्माण के लिए संबंधित शुल्क के लिए ₹10,05,86.06 हजार (पिछले वर्ष ₹70,31.57 हजार)

ii) पूंजी व्यय के लिए अग्रिम ₹8,56,35.90 हजार (पिछले वर्ष ₹8,40,75.04 हजार)

iii) परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं किया गया कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)

SCHEDULE 17

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and other applicable provisions of the Companies Act, 1956 and the Insurance Act, 1938, pursuant to the permission granted to the Corporation by the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. FIXED ASSETS

3.1 'Buildings' under Fixed Assets include certain properties costing ₹650.76 thousands (previous year ₹650.76 thousands) where stamp duty has been paid and registration formalities are pending. Further it includes, properties costing ₹5,75,11.06 thousands (previous year ₹5,75,11.06 thousands), where registered agreements are lost / presently not available with the Corporation. However the Corporation is in the possession of the share certificates of the Cooperative institution in respect of these properties.

3.2 Intangible under Fixed Assets include perpetual licences purchased for use of software. Amount capitalised during the year in relation to acquisition of such licenses is ₹2,15 thousands (previous year ₹26,48.56 thousands). As per the terms of agreement with the supplier, the ownership of such licences would pass to the Corporation on payment for such licences. Since the Corporation has 'put to use' such licenses, the total value of such licenses have been capitalised under the head Intangible and would be amortised over a period of 5 years from the date of asset put to use.

3.3 Capital Work in Progress includes :

i) On account of Consultancy and related charges for construction of Office building ₹10,05,86.06 thousands (previous year ₹70,31.57 thousands)

ii) Advance for Capital Expenses ₹8,56,35.90 thousands (previous year ₹8,40,75.04 thousands)

iii) Assets not put to use ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

4. अनर्जन

वर्ष के दौरान निगम को स्थिर आस्तियों में कुछ अनर्जक हानि नहीं हुई (पिछले वर्ष कुछ नहीं)। क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की बिक्री पर निगम को कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹5,82.55 हजार)की विपर्यस्त अनर्जक हानि हुई। दिनांक 31/03/2012 तक शेष अनर्जक हानि ₹39.18 हजार है (पिछले वर्ष ₹39.18 हजार)। प्रबंधन की दृष्टि में अनर्जन की हानि के लिए प्रावधान आवश्यक है।

5. अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ

5.1 अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :

(क) निगम द्वारा अदा किए गए/देय दावों से ₹17,86,98.32 हज़ार (पिछले वर्ष ₹25,94,28.80 हज़ार) (पुनर्बीमा को घटाकर) की अनुमानित वसूली का अनुमान किया जा रहा है जिसका निर्धारण कंपनी द्वारा इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा प्रथा के अनुसार प्रत्येक मूल्यांकन/अनुमान के आधार पर किया गया है।

(ख) न्यायालय के आदेश पर निगम के खिलाफ दायर दावों के मामलों के जिनपर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, के लिए ₹1,16,04.73 हज़ार (पिछले वर्ष ₹1,45,42.29 हज़ार) की राशि को जमा कर दिया गया है। जिसे विविध वस्तु जमाओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5.2 कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गई है। यदि कोई समायोजन आवश्यक है उसे अंतिम निपटान के समय किया जाता है।

5.3 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के प्रावधानों की शर्तों में जमाओं को ₹10,00,00 हज़ार के अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को (लागत व अंकित मूल्य ₹9,95,25 हज़ार) (पिछले वर्ष ₹9,95,25 हज़ार) जिसे केनरा बैंक के ग्राहक सहायक सामान्य बही खाते (कॉन्स्टूयेंट सबसाईडरी जनरल लेजर अकाउंट) (सी एस जी एल) में रखा गया है। इन जमाओं को उनकी परिपक्वता अवधि तक रखे जाने का आशय है अतः बाजार मूल्य में ह्रास हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. चालू देयताएँ :

6.1 चालू देयताओं में, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा रेटिंग के लिए लंबित, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31.03.2012 को निगम की अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि (पी एल एल आई) के लिए ₹68.94 हज़ार (पिछले वर्ष ₹99,93.43 हज़ार) की गणना की गई है, अंतिम रेटिंग की जानकारी मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

4. IMPAIRMENT

During the year the Corporation has provided for impairment loss amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) on fixed assets. On sale of the impaired assets, the Corporation has reversed Impairment loss of ₹ Nil (previous year ₹5,82.55 thousands). The Balance of Impairment loss as on 31/03/2012 is ₹39.18 thousands (previous year ₹39.18 thousands). In the opinion of the management no further provision for impairment loss is considered necessary.

5. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

5.1 Advances and other assets includes:

a. ₹17,86,98.32 thousands (previous year ₹25,94,28.80 thousands) (net of re-insurance) being the estimated amount of recovery expected out of the claims paid/ payable by the Corporation, which has been recognized on individual assessment/estimate basis as per the accounting practice followed by the Corporation.

b. An amount of ₹1,16,04.73 thousands (previous year ₹1,45,42.29 thousands) deposited in the Court of Law in pursuance of Court Order for claim suits filed against the Corporation and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

5.2 Interest on Housing loans to employees is accounted for on accrued basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

5.3 Deposit in terms of the provisions of Section 7 of the Insurance Act, 1938 invested in the Government Securities of face value ₹10,00,00 thousands [Cost & Book value ₹9,95,25 thousands (previous year ₹9,95,25 thousands)], are kept in Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) Account with Canara Bank. These deposits are intended to be held till maturity and therefore no provision for diminution in the market value, if any, is considered.

6. CURRENT LIABILITIES:

6.1 Current Liabilities includes ₹68,94 thousands (previous year ₹99,93.43 thousands) towards Productivity Linked Lump sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Corporation as on 31-03-2012 under the Annual Memorandum of Understanding (MoU) with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

6.2 आग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम जिसमें अधूरी जानकारी के कारण प्रीमियम की राशि जिसे समायोजित किया जाना शेष है, शामिल है। निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार कथित राशियों आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के उपरांत ही आय के रूप में गिना गया है।

6.3 निगम द्वारा अपनाई गई लेखा प्रथानुसार, अधिमानित दावों व बकायों की देयता के लिए वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के दावों पर व्यक्तिगत दावों, देयताओं का निर्धारण कर उनके मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के विचार से इसका यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उस पर वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए व पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन इ आर) दावों के समग्र प्रावधान तथा अशोधित हानियों जिसकी गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बकाया हानि के मूल्यांकन के समय विचार किया जाएगा । तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए दावों (आई बी एन आर व आई बी एन इ आर) के लिए अनुमानित देयता को निर्धारित करते हुए ₹1450,00,00 हज़ार की राशि (पिछले वर्ष ₹690,00,00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है।

7. पुनर्बीमा

निगम ने वर्ष के दौरान कुल अध्यपर्ण में आई आर डी ए दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यक बाध्यकारक अध्यपर्ण के अधीन निगम के संपूर्ण कारोबार के 10% (पिछले वर्ष 10%) (अल्पावधि, मध्यावधि व दीर्घावधि के कारोबार) को भारतीय साधारण बीमा निगम को सौंप दिया है। भारतीय साधारण बीमा निगम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड के साथ कोटा शेयर अध्यपर्ण 13% (पिछले वर्ष कुछ नहीं) साथ ही साथ वर्ष के दौरान अतिरिक्त हानि (एक्स ओ एल) साधारण बीमा निगम के साथ अल्पावधि कारोबार कवर के लिए संधि अध्यपर्ण (पिछले वर्ष अतिरिक्त कवर उपलब्ध था) को दर्ज किया है।

पहले के वर्षों के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्न रूप से था :

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्स ओ एल
	बाध्यकारक	संधि	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं

एनईआईए के निर्देश समिति के अनुमोदन निगम ने एनईआईए ट्रस्ट के साथ कोटा शेयर आधार पर कुछ उच्च मूल्य एक्सपोजर के लिए जोखिम साझा व्यवस्था भी बनाई है। एनईआईए ट्रस्ट को ₹1,61,63.01 हजार (पिछले वर्ष कुछ नहीं) कुल प्रीमियम का भुगतान किया।

6.2 Premium received in advance includes amounts of premium remaining to be adjusted on account of incomplete information. As per the accounting policy followed by the Corporation, the said amounts are recognized as income only after completion of necessary formalities.

6.3 As per the Accounting practice followed by the Corporation, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims, liabilities towards such claims has been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding losses which is arrived at based on actuarial valuation by Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹1450,00,00 thousands (previous year ₹690,00,00 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER) and additional provision for outstanding losses/claims.

7. REINSURANCE:

The Corporation has ceded obligatory cession of 10% (previous year 10%) of the entire business of the Corporation (short term as well as medium and long term business) as required under the IRDA guidelines to General Insurance Corporation of India. Quota share cession is 13% (previous year Nil) with General Insurance Corporation of India, United India Insurance Company Ltd., Oriental Insurance Company Ltd., and New India Assurance Ltd. The Corporation has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for Short Terms (ST) covers with GIC.(previous year no top up cover was available) was entered into during the year.

The re-insurance programme for the earlier years was as under:

Financial Year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	Nil	No XOL available

The Corporation has also made risk sharing arrangement for some high value exposures with the NEIA Trust on quota share basis with the approval of Committee of Directions, NEIA. The total premium paid to NEIA trust is ₹1,61,63.01 thousands. (previous year ₹Nil)

8. **फ़ैक्टरिंग**

आई आर डी ए के मानदंडों के आधार पर बकाया फ़ैक्टरिंग देयों के 0.40% के हिसाब से कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) किया गया है। आगे निगम ने आई आर डी ए मानदंडों का पालन करते हुए उपमानक आस्तियों के लिए कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) तथा संदिग्ध फैक्टरिंग देयों के लिए ₹7,04,26.80 हज़ार (पिछले वर्ष ₹7,04,26.80 हज़ार) का प्रावधान किया है।

9. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) ट्रस्ट खाता**

निगम को प्राप्त आय कुल ₹47,89.78 हजार (पिछले वर्ष ₹9,97.02 हजार) है, इसे अन्य आय में शामिल किया गया है। अग्रिम रुप में प्राप्त प्रशासनिक शुल्क कुल ₹1,09,66.91 हज़ार (पिछले वर्ष ₹8,19.05 हज़ार) है, जिसे चालू देयताओं - अन्य - एन ई आई ए खाते में शामिल किया गया है।

10. **प्रीमियम आय :**

निगम द्वारा अपनाई गई समनुरूप प्रथा अनुसार, प्रीमियम आय को पोतलदान/ अग्रिम की तारीख/लेखा वर्ष जिससे वह संबंधित होता है, पर विचार किए बिना आवश्यक घोषणा के साथ उसकी प्राप्ति के समय हिसाब में लिया गया है।

11. 'निर्यातक- उधारकर्ता' को बैंकों द्वारा प्रदान की गई गांरटियों के लिए निगम द्वारा विभिन्न बैंकों को दिए गए कवर के विस्तार से विभिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त प्रीमियम के लिए 'अनुसूची 13 - वर्तमान देयताएं' के तहत 'अन्य को देय' में ₹3,45,94.20 हजार (पिछले वर्ष ₹3,64,27.95 हजार) की राशि भी शामिल है। निगम ने उक्त राशि का स्वीकार नहीं किया है और कवर का विस्तार करने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में बैंकों को सूचित किया है। निगम ने उक्त बैंकरों, जिन्होंने निगम के पक्ष का समर्थन नहीं किया है, को राशि वापस करने की कोशिश की है। तद्नुसार निगम ने उक्त राशि को 'अन्य को देय' के अंतर्गत परिलक्षित किया है। इसके अलावा, निगम की दृष्टि से उक्त राशि आईआरडीए द्वारा दिनांक 4 नवंबर 2010 को जारी परिपत्र संख्या आईआरडीए/ एफ एंड ए/ परि/सीएमपी/174/11/2010 के अनुसार अदावी राशि नहीं है।

12. निगम ने पूर्व के वर्षों / वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदत्त / अदा किए गए दावों पर चालू वसूली की है। इस प्रकार की वसूलियाँ विदेशी मुद्रा में भी हो सकती हैं. लेखागत नीति (अनुसूची 16) के मद संख्या 16.3 में उल्लिखित अनुसार इस प्रकार की वसूलियों में उत्पन्न विनिमय अंतर को 'किए गए दावे (शुद्ध)' मद के अंतर्गत रखा गया है तथा उन्हें 'वर्ष के दौरान वसूल' मद में शामिल किया गया है . लेनदेन की मात्रा को देखते हुए निगम इस प्रकार के सौदों में विनिमय लाभ / हानि का निर्धारण करने में अक्षम है।

13. शेष, विविध लेनदार, विविध देनदार तथा जमा, अन्य देयताएँ, ऋण, अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ जिसके अंतर्गत वसूलीयोग्य राशि, बीमाकृत शेषों की व्यक्तिगत खाता बहियाँ, न्यूनतम प्रीमियम खाता,

8. **FACTORING**

A provision of ₹ Nil (previous year ₹ Nil) is made at the rate of 0.40% of the standard factoring dues outstanding based on IRDA norms. The Corporation has made a provision of ₹ Nil (previous year ₹Nil) on account of sub-standard assets and ₹7,04,26.80 thousands (previous year ₹7,04,26.80 thousands) on account of doubtful assets factoring dues in line with the IRDA norms.

9. **NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA) TRUST ACCOUNT**

The Income received by the Corporation is ₹47,89.78 thousands (previous year ₹9,97.02 thousands) is included in Other Income. Administrative charges received in advance are ₹1,09,66.91 thousands (previous year ₹8,19.05 thousands). The same is included in Current Liabilities - Others - NEIA.

10. **PREMIUM INCOME**

As per the consistent practice followed by the Corporation, premium income is accounted for at the time of its receipt along with necessary declarations, irrespective of the date of shipment/date of advance/accounting year to which it relates.

11. 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹3,45,94.20 thousands (previous year ₹3,64,27.95 thousands) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by Corporation to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Corporation has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Corporation has tried to return the amount to the said bankers who have not accepted the Corporation's stand. Accordingly, the Corporation has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'. Further, in view of the Corporation the said amount is not unclaimed amount in terms of circular no. IRDA/F&A/CIR/CMP/174/11/2010 dated November 4, 2010 issued by IRDA.

12. The Corporation on an ongoing basis recovers claims paid/ provided in earlier years/current year. Such recoveries may be in foreign currency. As stated in accounting policy (Schedule 16) 16.3 the Exchange difference on such recoveries are accounted under the head 'Claims incurred (net)' and are included under the head 'Recovered during the year'. In view of the voluminous transactions the Corporation is unable to ascertain the amount of exchange gain/loss on such transactions.

13. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, other liabilities, Loans, Advances and other Assets

जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाता सहित विविध जमा शामिल हैं, पुष्टिकरण, मिलान व परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो के अधीन हैं।

14. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के प्रावधानों के अनुसरण में, निगम ने ₹5,02.41 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,42.73 हज़ार) की राशि केंद्र सरकार को देय कर के रूप में अदा की। उसका वास्तविक भुगतान ऐसे भुगतान के लिए संबद्ध नियमों की घोषणा के बाद किया जाएगा।

15. निगम द्वारा अपनाई गई मानक प्रथा के अनुसार निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा जिसमें निदेशक मंडल भी शामिल है, अधिमानित दावे में विभिन्न चूकों की माफी के विवेकाधिकार का उपयोग कर दावे निपटाए जाते हैं। ये सभी निपटाए गए दावे कंपनी के कारोबार के सामान्य तरीके से निपटाए गए माने गए।

16. निगम डेटा के प्रवाह के संबंध में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को व्यवस्थित करने की कार्रवाही कर रहा है ताकि कारोबार अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो सके।

17. कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अनुलाभों में शामिल किए गए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कुल पारिश्रमिक नीचे दिए गए अनुसार हैः

श्री ए. वी. मुरलीधरन (दिनांक 28/02/2011 तक)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(₹ '000 में)

विवरण *	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन	0.00	12,80.80
भ.नि. में अंशदान	0.00	88.00
छु.या.रि	0.00	41.12
चिकित्सा व्यय	0.00	34.73
कुल	0.00	14,44.65

* बीमांकिक मूल्यांकन शामिल नहीं हैं।

श्री एन. शंकर (दिनांक 19/10/2011 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(₹ '000 में)

विवरण *	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन	6,13.00	0.00
भ.नि. में अंशदान	38.80	0.00
छु.या.रि	0.00	0.00
चिकित्सा व्यय	0.00	0.00
कुल	6,51.80	0.00

* बीमांकिक मूल्यांकन शामिल नहीं हैं।

including amount recoverable, Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium accounts, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

14. Pursuant to the provisions of Section 441A of the Companies Act 1956, the Corporation has provided an amount of ₹5,02.41 thousands (previous year ₹4,42.73 thousands) towards cess payable to the Central Government. The actual payment thereof shall be made once the relevant rules for such payment are announced.

15. As per Standard practice followed by the Corporation, claims are settled by the various officials of the Corporation including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Corporation.

16. The Corporation is in the process of streamlining the Information Technology System regarding the flow of data so that precise data is available for business applications.

17. The remuneration of Chairman-cum-Managing Director included in Employees' Remuneration and other Benefits is as under:

Shri A. V. Muralidharan (upto 28/02/2011)
Chairman-cum-Managing Director.

(₹ in '000)

Particulars *	Current Year	Previous Year
Salaries	0.00	12,80.80
Contribution to PF	0.00	88.00
Leave Travel Concession	0.00	41.12
Medical Expenses	0.00	34.73
Total	0.00	14,44.65

* Does not include Actuarial Valuations.

Shri N. Shankar (from 19/10/2011)
Chairman-cum-Managing Director.

(₹ in '000)

Particulars *	Current Year	Previous Year
Salaries	6,13.00	0.00
Contribution to PF	38.80	0.00
Leave Travel Concession	0.00	0.00
Medical Expenses	0.00	0.00
Total	6,51.80	0.00

* Does not include Actuarial Valuations.

18. पूर्वावधि के समायोजन में शामिल :

नामे: (₹ '000 में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	52,55.31	3,73.32
एजेंसी कमीशन	6,29.17	-
विविध जमा	1,34.24	18.93
दर एवं कर	1,24.56	98.90
यात्रा व्यय	86.88	-
अन्य	77.07	50.15
पुनर्बीमा	29.00	21,68.58
सामान्य प्रभार	0.60	94.56
मूल्यह्रास	0.00	34.56
वसूली	0.00	3,86.21
	63,36.83	32,25.21

जमा : (₹ '000 में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
मूल्यह्रास	16.46	1.01
विविध जमा	12.95	3,70.06
अन्य	3.12	35.29
किराया	0.00	1,96,66.8
सदस्यता शुल्क	0.00	4,04.89
कमीशन	0.00	1,44.47
मरम्मत और रखरखाव	0.00	32.5
	32.53	2,06,55.01

शुद्ध नामे/(जमा) पूर्व अवधि समायोजन	63,04.30	(1,74,29.80)

19. विदेशी मुद्रा में अर्जन व व्यय

(₹ '000 में)

अर्जन	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किए गए दावे	8,68,30.72	8,70,81.11

व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क और अन्य व्यय	34,70.16	37,01.58
यात्रा व्यय	22,80.12	17,37.76
हैसियत जाँच शुल्क	1,87,50.63	1,38,73.83
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	3,10.07	3,47.35
फैक्टरिंग सेवा प्रभार	22,15.52	3,63.96
पुनर्बीमा	67,43.67	1,36,38.99
अन्य	0.00	4,55,34
कुल	3,37,70,17	3,41,18.81

18. Prior period adjustments include:

Debits: (₹ in '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	52,55.31	3,73.32
Agency commission	6,29.17	-
Sundry Deposit	1,34.24	18.93
Rates & Taxes	1,24.56	98.90
Travel exp	86.88	-
Others	77.07	50.15
Reinsurance	29.00	21,68.58
General chg	0.60	94.56
Depreciation	0.00	34.56
Recovery	0.00	3,86.21
	63,36.83	32,25.21

Credits: (₹ in '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Depreciation	16.46	1.01
Sundry Deposit	12.95	3,70.06
Others	3.12	35.29
Rent	0.00	1,96,66.8
Membership fee	0.00	4,04.89
Commission	0.00	1,44.47
Repair & Maintenance	0.00	32.5
	32.53	2,06,55.01

Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	63,04.30	(1,74,29.80)

19. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ in '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	8,68,30.72	8,70,81.11

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	34,70.16	37,01.58
Travelling expenses	22,80.12	17,37.76
Status Enquiry Fees	1,87,50.63	1,38,73.83
Books and periodicals	3,10.07	3,47.35
Factoring Service Charges	22,15.52	3,63.96
Re-insurance	67,43.67	1,36,38.99
Others	0.00	4,55,34
Total	3,37,70,17	3,41,18.81

20. **खंडीय रिपोट, संलग्न अनुबंध - 1 में उल्लिखित है - इसके साथ संलग्न।**

21. **संबंधित पार्टी प्रकटन, लेखा मानक संख्या 18 के अनुसार है।**

क. मुख्य प्रबंधन कर्मी :

i) श्री अरविंद मेहता, भा.प्र.से.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 18/10/2011 तक)

ii) श्री एन.शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 19/10/2011 से)

ख. निगम की संबंधित पार्टियाँ :

i) सहयोगी
क) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

ii) इकाईयाँ जिन पर नियंत्रण चलता है
क) ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड

ग. प्रमुख प्रबंधन कर्मी को अदा की गईं परिलब्धियाँ :

श्री ए.वी. मुरलीधरन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 28/02/2011 तक)

(₹ '000 में)

विवरण *	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन	0.00	12,80.80
भ.नि. में अंशदान	0.00	88.00
छु.या.रि	0.00	41.12
चिकित्सा व्यय	0.00	34.73
कुल	**0.00**	**14,44.65**

* बीमांकिक मूल्यांकन शामिल नहीं हैं।

श्री एन.शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 19/10/2011 तक)

(₹ '000 में)

विवरण *	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन	6,13.00	0.00
भ.नि. में अंशदान	38.80	0.00
छु.या.रि	0.00	0.00
चिकित्सा व्यय	0.00	0.00
कुल	**6,51.80**	**0.00**

* बीमांकिक मूल्यांकन शामिल नहीं हैं।

20. **Segmental Reporting is given in Annexure - 1 attached.**

21. **Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard no 18:**

a. Key Management Personnel:

i) Shri Arvind Mehta, IAS
Chairman-cum-Managing Director (upto 18/10/2011)

ii) Shri N. Shankar
Chairman-cum-Managing Director (from 19/10/2011)

b. Corporation's related parties:

i) Associates
a) National Export Insurance Account Trust (NEIA)

ii) Entities over which control exists
a) The ECGC Employees Pension Fund

c. Remuneration paid to Key Management Personnel:

Shri A. V. Muralidharan, Chairman-cum-Managing Director (upto 28/02/2011)

(₹ in '000)

Particulars*	Current Year	Previous Year
Salaries	0.00	12,80.80
Contribution to PF	0.00	88.00
Leave Travel Concession	0.00	41.12
Medical Expenses	0.00	34.73
Total	**0.00**	**14,44.65**

* Does not include Actuarial Valuations.

Shri N. Shankar Chairman-cum-Managing Director (from 19/10/2011)

(₹ in '000)

Particulars *	Current Year	Previous Year
Salaries	6,13.00	0.00
Contribution to PF	38.80	0.00
Leave Travel Concession	0.00	0.00
Medical Expenses	0.00	0.00
Total	**6,51.80**	**0.00**

* Does not include Actuarial Valuations.

घ. संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन

(₹ '000 में)

क्र. सं	लेनदेन की प्रकृति	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड	कुल
1	वर्ष के लिए प्राप्त प्रशासनिक शुल्क	47,89.78 (9,97.02)	0.00 (0.00)	47,89.78 (9,97.02)
2	अग्रिम रुप में प्राप्त प्रशासनिक शुल्क	1,09,66.91 (8,19.05)	0.00 (0.00)	1,09,66.91 (8,19.05)
3	प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अदा किए गए दावों के कारण वसूली	12,78.87 (13.81)	0.00 (0.00)	12,78.87 (13.81)
4	एनईआईए को पुनर्बीमा प्रीमियम सौंपा	1,61,63.01 (0.00)	0.00 (0.00	1,61,63.01 (0.00)
5	वर्ष के अंत तक बकाया देय राशियाँ	1,21,28.21 (3,64.87)	0.00 (0.00)	1,21,28.21 (3,64.87)
6	कर्मचारी के हिस्से का अंशदान	0.00 (0.00)	24,32,46.75 (45,14,02.37)	24,32,46.75 (45,14,02.37)

नोट : कोष्टक में दर्शाए गए अंक पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।

22. आस्थगित कर लेखा

वर्ष के दौरान निगम लेखा मानक 22 के अनुसरण में आस्थगित कर के लिए उत्तरदायी है। जिसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान शुद्ध आस्थगित कर ₹16,31,64.25 हज़ार जमा (पिछले वर्ष ₹16,58,38.14 हज़ार डेबिट) किया गया है। वर्ष के अंत तक शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹20,36,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता ₹4,04,79.65 हज़ार) थी। आस्थगित परिसंपत्तियों व आस्थगित कर देयताओं का विवरण निम्न अनुसार है :

(₹ '000 में)

	1.4.2011 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रभारित/ जमा	31.3.2012 को अंत शेष
देयता			
मूल्यह्रास	5,95,21.05	(93,54.45)	5,01,66.60
कुल	5,95,21.05	(93,54.45)	5,01,66.60
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान	5,79,20.07	50,29.62	6,29,49.69
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	2,67,56.42	(6,22.24)	2,61,34.18

d. Transactions during the year with related parties:

(₹ in '000)

Sl. No.	Nature of Transactions	National Export Insurance Account Trust	The ECGC Employees Pension Fund	Total
1	Administrative Charges Received for the Year	47,89.78 (9,97.02)	0.00 (0.00)	47,89.78 (9,97.02)
2	Administrative Charges received in advance	1,09,66.91 (8,19.05)	0.00 (0.00)	1,09,66.91 (8,19.05)
3	Recovery made on a/c of claims paid under stimulus package	12,78.87 (13.81)	0.00 (0.00)	12,78.87 (13.81)
4	Reinsurance premium ceded to NEIA	1,61,63.01 (0.00)	0.00 (0.00	1,61,63.01 (0.00)
5	Outstanding Dues as at year end - Debit Balance	1,21,28.21 (3,64.87)	0.00 (0.00)	1,21,28.21 (3,64.87)
6	Contribution of Employer's share.	0.00 (0.00)	24,32,46.75 (45,14,02.37)	24,32,46.75 (45,14,02.37)

Note : Figures in bracket represents previous year's amount.

22. Deferred Tax Accounting:

During the year the Corporation has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Credit during the year amounting to ₹16,31,64.25 thousands (previous year Debit ₹16,58,38.14 thousands). The net deferred tax asset at the end of the year amounts to ₹20,36,43.90 thousands (previous year deferred tax asset ₹4,04,79.65 thousands). The break up of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as under:

(₹ in '000)

	Opening at 01.04.2011	Charge/Credit during the year	Closing at 31.03.2012
Liability			
Depreciation	5,95,21.05	(93,54.45)	5,01,66.60
Total	5,95,21.05	(93,54.45)	5,01,66.60
Assets			
Provision for leave encash-ment	5,79,20.07	50,29.62	6,29,49.69
Provision for doubtful debts	2,67,56.42	(6,22.24)	2,61,34.18

	1.4.2011 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रभारित/ जमा	31.3.2012 को अंत शेष
उपदान के लिए प्रावधान	52,06.99	34,53.57	86,60.56
सीएसआर के लिए प्रावधान	50,99.38	(50,99.38)	-
पी एल एल आई	33,19.57	(10,82.81)	22,36.76
दीर्घावधिक सेवा देयता	14,16.18	(57.74)	13,58.44
कंपनी अधिनियम की 441 ए धारा के अंतर्गत उपकर	2,82.09	1,56.45	4,38.54
प्रीमियम कमी के लिए प्रावधान	0.00	15,20,32.33	15,20,32.33
कुल	**10,00,00.70**	**15,38,09.80**	**25,38,10.50**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयता)	4,04,79.65	16,31,64.25	20,36,43.90

23. **प्रति शेयर अर्जनों की गणना निम्नअनुसार है :**

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) अंश : लाभ व हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ (₹ '000 में)	**225,20,98.84**	85,66,45.69
ख) हर : वर्ष के दौरान भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या	**9,00,00,000**	9,00,00,000
ग) प्रति शेयर अर्जन (आधार भूत): मूल (₹)	**25.02**	9.52
घ) शेयरों का सांकेतिक मूल्य (₹)	**100.00**	100.00

निगम की शेयरों को कम करने की कोई भी संभावना नहीं है। परिणाम स्वरुप निगम की आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के फ़लस्वरुप हुए अर्जन एक समान हैं।

24. कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची के भाग VI के भाग II के पैरा 3,4 क, 4 ग व 4 घ के अंतर्गत अपेक्षित अन्य अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है क्यों कि यह निगम के लिए लागू नहीं है।

	Opening at 01.04.2011	Charge/Credit during the year	Closing at 31.03.2012
Provision for gratuity	52,06.99	34,53.57	86,60.56
Provision for CSR	50,99.38	(50,99.38)	-
PLLI	33,19.57	(10,82.81)	22,36.76
Long Service liability	14,16.18	(57.74)	13,58.44
Cess u/s. 441A of Companies Act	2,82.09	1,56.45	4,38.54
Provision for Premium Deficiency	0.00	15,20,32.33	15,20,32.33
Total	**10,00,00.70**	**15,38,09.80**	**25,38,10.50**
Deferred Tax Asset / (Liability)	4,04,79.65	16,31,64.25	20,36,43.90

23. **Earnings Per Share is calculated as under:**

	Current Year	Previous Year
a) Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ in '000)	**225,20,98.84**	85,66,45.69
b) Denominator: Weighted Average Number of Shares outstanding during the year	**9,00,00,000**	9,00,00,000
c) Earnings per share: Basic (₹)	**25.02**	9.52
d) Nominal Value of Shares (₹)	**100.00**	100.00

The Corporation does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Corporation remain the same.

24. Other additional information required under paras 3, 4A, 4C and 4D of Part II of Schedule VI of the Companies Act, 1956 is not given as the same is not applicable to the Corporation.

25. आकस्मिक देयताएँ

(₹ '000 में)

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से अदा किया गया निवेश	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
2.	पॉलिसी से संबंधित दावों को छोड़कर अन्य जिसे निगम द्वारा ऋण के रूप में नहीं माना गया	**1,27,78.00**	2,17,59.00
3.	निगम के विरुद्ध पॉलिसी व ई सी आई बी से संबंधित दावे जिन्हें निगम द्वारा ऋणों के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	**1005,20,30.47**	422,99,61.50
4.	निगम द्वारा दी गई अथवा उसकी ओर से दी गई गारंटियाँ	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	**207,30,78.53**	207,59,15.72

26. आई आर डी ए द्वारा अपने परिपत्र संख्या एफ व ए / परि/017/मई - 04 दिनांक 18 मई 2004 द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुसरण में दिनांक 31.03.2012 तक ₹46,86,08.56 हज़ार (पिछले वर्ष कुछ नहीं) प्रीमियम में कमी आंकी गई।

(₹ 000 में)

खंड	संबंधित प्रीमियम	अपेक्षित दावा लागत और संबंधित व्यय (पिछले 3 वर्षों के उपगत दावा अनुपात के आधार पर)	अपेक्षित अनुरक्षण लागत	कमी
	1	2	3	4 = 1-2-3
विविध	380,77,99.47	383,29,27.94	44,34,80.09	(46,86,08.56)

27. निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधान

भारत सरकार - भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग) ने अपने परिपत्र संख्या एफ.संख्या.15(3)/2007-डीपीई(जीएम) दिनांक 9 अप्रैल 2010 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है कि निगमित सामाजिक दायित्व के लिए पैसे

25. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in '000)

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Partly paid up investments	**NIL**	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Corporation	**1,27,78.00**	2,17,59.00
3.	Policies and ECIB claims against the Corporation not acknowledged as debt and not provided for	**1005,20,30.47**	422,99,61.50
4.	Guarantees given by or on behalf of the Corporation	**Nil**	Nil
5.	Capital Commitments	**207,30,78.53**	207,59,15.72

26. Premium Deficiency has been identified as on 31.03.2012 of ₹46,86,08.56 thousands (previous year ₹ Nil) as required by IRDA vide circular no. F & A/CIR/017/May-04 dated 18 May, 2004.

(₹ in'000)

Segment	Relevant Premium	Expected Claim Cost and related expenses (Based on incurred claim ratio of preceding 3 years)	Expected Maintenance cost	Deficiency
	1	2	3	4 = 1-2-3
Miscel-laneous	380,77,99.47	383,29,27.94	44,34,80.09	(46,86,08.56)

27. Provision for Corporate Social Responsibility

Government of India - Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises) vide their Circular No. F.No.15(3)/2007-DPE(GM) dated April 9, 2010 have issued the guidelines to the Public Sector Enterprises to expend money on account of Corporate Social Responsibility.

वित्तीय विवरण

व्यय करें। उक्त परिपत्र के शर्तों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च के लिए निगम ने ₹2,35,00 हजार (पिछले वर्ष ₹1,53,51.50 हजार) का प्रावधान किया है।

28. बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार प्रकटन, इसके साथ अनुबंध - 2क व 2 ख के अनुसार संलग्न है।

29. अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमाओं (अनुसूची 11) में ₹35,14.96 हज़ार (पिछले वर्ष ₹95,14.96 हजार) शामिल हैं जिसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास नकद मार्जिन के रुप में बंधक रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों के पास दीर्घावधिक जमाओं (अनुसूची 11) में ₹68,93.29 हज़ार (पिछले वर्ष कुछ नहीं) शामिल हैं जिसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास नकद मार्जिन के रुप में बंधक रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमाओं (अनुसूची 11) में ₹40,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष कुछ नहीं) शामिल हैं जिसे कारपोरेशन बैंक के पास बंधक रखा गया है।

30. केंद्र सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों (अनुसूची 8) में निम्नलिखित शामिल हैं :-

i. निगम द्वारा प्रवेश किए गए गौण बाज़ार लेनदेन के लिए मार्जिन के रुप में भारतीय निगम लिमिटेड के प्रभार को समाप्त करने के लिए ₹4,97,51.25 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,98,60 हज़ार) 7.99% वाले 2017 के भारत सरकार के बांड के अंकित मूल्य वाले 8.26% वाले 2027 के भारत सरकार के बाँड।

ii. निगम के संपार्श्विक उधारों लेने व उधार देने के लिए मार्जिन के रुप में भारतीय निगम लिमिटेड के प्रभार को समाप्त करने के लिए ₹93,17 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17 हज़ार) 8.24% वाले 2027, के भारत सरकार के बांड के अंकित मूल्य वाले 8.24% वाले 2027 के भारत सरकार के बाँड।

31. कर्मचारी सुविधाएँ:

31.1 छुट्टी यात्रा रियायत के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

31.2 भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार निगम में दिनांक 31/03/2010 को अथवा उससे पहले भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल करने के लिए योजना को विस्तारित किया जा रहा है। कर्मचारी जो दिनांक 01/01/2004 और 31/03/2010 के बीच निगम में भर्ती हुए हैं, उनको कर्मचारी भविष्य निधि योजना जारी रखने का विकल्प है। निगम में

The Corporation has made a provision of ₹2,35,00 thousands (previous year ₹1,53,51.50 thousand) on account of money to be expended on Corporate Social Responsibility as per the terms of the said circular.

28. Disclosures as required under The Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure-2A & 2B.

29. Short Term deposits with Scheduled banks (Schedule 11) includes deposits of ₹35,14.96 thousands (previous year deposits of ₹95,14.96 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Long Term deposits with Scheduled banks (Schedule 11) includes deposits of ₹68,93.29 thousands (previous year ₹Nil) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Short Term Deposits with Scheduled Banks (Schedule 11) includes ₹40,00,00 thousands (previous year ₹Nil) pledged with Corporation Bank.

30. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes

i. 8.26% 2027 Government of India bonds having book value of ₹4,97,51.25 thousands (previous year ₹4,98,60 thousands) 7.99% 2017 Government of India bonds charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Corporation.

ii. 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17 thousands (previous year ₹93,17 thousands) 8.24% 2027 Government of India bonds charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Corporation.

31. EMPLOYEE BENEFITS:

31.1 Provision for Leave Travel Concession is based on Actuarial Valuation.

31.2 The Defined Benefit Pension Scheme is to be extended to include all employees who joined the Corporation on or before 31/03/2010 as per letter given by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. The Employees who had joined the Corporation between 01/01/2004 and 31/03/2010

दिनांक 01/04/2010 को अथवा उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को निगम द्वारा तैयार किए गए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना द्वारा रक्षित किया जाएगा। तद्नुसार निगम ने यह मानते हुए कि दिनांक 01/01/2004 और 31/03/2010 के बीच भर्ती हुए सभी 85 कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना का विकल्प चुनेंगे, इसलिए निगम ने ₹8,93,55.99 हजार (पिछले वर्ष ₹7,62,27 हजार) का प्रावधान किया है।

31.3 जो कर्मी पेंशन के लिए पात्र हैं निगम पेंशन निधि में अंशदान अग्रेषित करता है। अन्य कर्मचारियों के लिए निगम अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट में अग्रेषित करता है।

31.4 आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस 15 (संशोधित 2005) को कार्यान्वित करने के लिए नोट में उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि जिसे ब्याज की आवश्यकता है, में होने वाली कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा की जाएगी; को निर्धारित सुविधा योजना समझा जाए।

31.5 भविष्य निधि की आधारभूत निधि तथा उस पर प्राप्त होने वाले अर्जन भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, उसके लिए अलग से किसी भी प्रकार प्रावधान व खाते के संबंध में विशेष प्रकटन नहीं किया गया है।

31.6 अवधि के दौरान उपदान अधिवर्षितता, जिसके लिए निर्धारित कर्मचारी सुविधा योजना द्वारा निधि जमा की जाती है के लिए कर्मचारी सुविधा विवरण निम्नानुसार हैं:

पेंशन

(₹ '000 में)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	**सुविधा दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित सुविधा दायित्व	132,39,82.00	87,94,00.00
	ब्याज लागत	10,92,29.00	7,03,52.00
	वर्तमान सेवा लागत	5,18,08.00	3,50,81.00
	में अंतरित देयता*	0.00	8,39,04.00
	प्रदत्त सुविधाएँ	(7,22,00.00)	(8,87,00.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	19,53,78.00	34,39,45.00
	वर्ष के अंत तक परियोजित सुविधा दायित्व	160,81,97.00	132,39,82.00
2.	**योजना परिसम्पत्तियों में संशोधन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	90,97,77.00	80,29,00.00

have an option to continue with the Provident Fund scheme. Employees joining the Corporation on or after 01/04/2010 shall be covered by a Defined Contribution Pension Scheme to be framed by the Corporation. Accordingly, the Corporation has made a provision of ₹8,93,55.99 thousands (previous year ₹7,62,27 thousands) assuming that all 85 employees who have joined between 01/01/2004 and 31/03/2010 would opt for switching to Defined Benefit Pension Scheme.

31.3 In case of employees who are eligible for pension, the Corporation remits the contribution to the Pension Fund. For the other employees, the Corporation remits the Corporations share to the Provident Fund Trust.

31.4 The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a Defined Benefit Plan.

31.5 As the corpus of the Provident fund and earnings there on are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the provident fund, no provision for the same and specific disclosure on account of provision is made in the account.

31.6 The details of employee benefits for the period on account of gratuity superannuation which are funded defined employee benefit plans are as under.

Pension

(₹ in '000)

	Category	Current Year	Previous Year
1.	**Change in benefit Obligations**		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	132,39,82.00	87,94,00.00
	Interest Cost	10,92,29.00	7,03,52.00
	Current Service Cost	5,18,08.00	3,50,81.00
	Liability Transferred in*	0.00	8,39,04.00
	Benefits paid	(7,22,00.00)	(8,87,00.00)
	Actuarial (Gain) / Loss	19,53,78.00	34,39,45.00
	Projected benefit obligations at the end of the year	160,81,97.00	132,39,82.00
2.	**Change in Plan Assets**		
	Plan assets at the beginning of the year at fair value	90,97,77.00	80,29,00.00

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	**7,27,82.00**	6,42,32.00
	अंशदान	**43,31,00.00**	11,37,00.00
	में अंतरित परिसंपत्तियां	**24,29.00**	76,77.00
	प्रदत्त सुविधाएँ	**(7,22,00.00)**	(8,87,00.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**3,79,41.00**	99,68.00
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	**138,38,29.00**	**90,97,77.00**
3.	**नियत सुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य**	**160,81,97.00**	**132,39,82.00**
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	**138,38,29.00**	**90,97,77.00**
	तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताएँ	**(22,43,68.00)**	**(41,42,05.00)**
4.	**वर्ष के लिए लागत**		
	वर्तमान सेवा लागत	**5,18,08.00**	3,50,81.00
	ब्याज लागत	**10,92,29.00**	7,03,52.00
	योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित प्राप्तियाँ	**(7,27,82.00)**	(6,42,32.00)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**15,74,37.00**	33,39,77.00
	राजस्व खाते में दर्शाए गए व्यय	**24,56,92.00**	**37,51,78.00**

* नोट : दिनांक 01/01/2004 और 31/03/2010 के बीच भर्ती हुए 85 कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना का विकल्प चुनेंगे यह मानते हुए निगम पर अतिरिक्त दायित्व की राशि को देयता और परिसंपत्ति में स्थानांतरित के लिए संदर्भित करता है।

उपदान

(₹ '000 में)

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	**सुविधा दायित्वों में परिवर्तन**	**24,04,13.87**	**17,66,34.36**
	वर्ष के आरंभ में परियोजित सुविधा दायित्व	**1,98,34.14**	1,41,30.75
	ब्याज लागत	**82,63.87**	75,86.84
	वर्तमान सेवा लागत	**0.00**	0.00
	प्रदत्त सुविधाएँ	**(1,07,35.53)**	(65,18.42)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**1,10,95.74**	4,85,80.34
	वर्ष के अंत तक परियोजित सुविधा दायित्व	**26,88,72.09**	**24,04,13.87**

	Category	Current Year	Previous Year
	Expected return on plan assets	**7,27,82.00**	6,42,32.00
	Contributions	**43,31,00.00**	11,37,00.00
	Assets Transferred in*	**24,29.00**	76,77.00
	Benefits paid	**(7,22,00.00)**	(8,87,00.00)
	Actuarial Gain / (Loss)	**3,79,41.00**	99,68.00
	Plan assets at the end of the year, at fair value	**138,38,29.00**	**90,97,77.00**
3.	**Present Value of The Defined Benefit Obligation**	**160,81,97.00**	**132,39,82.00**
	Plan Assets at the end of the year at fair value	**138,38,29.00**	**90,97,77.00**
	Liability recognised in the Balance Sheet	**(22,43,68.00)**	**(41,42,05.00)**
4.	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	**5,18,08.00**	3,50,81.00
	Interest Cost	**10,92,29.00**	7,03,52.00
	Expected return on plan assets	**(7,27,82.00)**	(6,42,32.00)
	Acturial (Gain) / Loss	**15,74,37.00**	33,39,77.00
	Expense Recognised in the Revenue account	**24,56,92.00**	**37,51,78.00**

* Note: Liability and Assets transferred in refers to amount of additional obligation on Corporation on account of assumption that 85 employees who joined between 01/01/2004 and 31/03/2010 will opt for Defined Benefit Pension Scheme.

Gratuity

(₹ in '000)

	Category	Current Year	Previous Year
1.	**Change in benefit Obligations**	**24,04,13.87**	**17,66,34.36**
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	**1,98,34.14**	1,41,30.75
	Interest Cost	**82,63.87**	75,86.84
	Current Service Cost	**0.00**	0.00
	Past Service Cost - Vested Benefit	**(1,07,35.53)**	(65,18.42)
	Actuarial (Gain) / Loss	**1,10,95.74**	4,85,80.34
	Projected benefit obligations at the end of the year	**26,88,72.09**	**24,04,13.87**

	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
2	**योजना परिसम्पत्तियों में संशोधन**		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	**22,47,38.43**	**8,73,09.07**
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	**1,79,79.07**	69,84.73
	अंशदान	**2,14,77.83**	13,10,68.95
	प्रदत्त सुविधाएँ	**(1,07,35.53)**	(65,18.42)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**43,94.67**	58,94.10
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	**25,78,54.47**	**22,47,38.43**
3	नियत सुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य	**26,88,72.09**	**24,04,13.87**
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	**25,78,54.47**	**22,47,38.43**
	तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताएँ	**(1,10,17.63)**	**(1,56,75.44)**
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	वर्तमान सेवा लागत	**82,63.87**	75,86.84
	ब्याज लागत	**1,98,34.14**	1,41,30.75
	योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित प्राप्तियाँ	**(1,79,79.07)**	(69,84.73)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	**67,01.07**	4,26,86.25
	पिछली सेवा लागत-संबंधित लाभ	**0.00**	0.00
	राजस्व खाते में दर्शाए गए व्यय	**1,68,20.01**	**5,74,19.11**
	श्रेणी	**पेंशन**	**उपदान**
5	**अनुमान**		
	हुंडी के लिए ब्याज दर (%)	**8.50% (8.25%)**	**8.50% (8.25%)**
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	**8.60% (8.00%)**	**8.60% (8.00%)**
6	**नियोजित परिसम्पत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए आधार**	**नियोजित परिसम्पत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर, परिसम्पत्तियों के वर्तमान पोर्टफोलियो निवेश नीति तथा मार्केट परिदृश्य पर आधारित होते हैं ताकि पूंजी नो संरक्षित किया जा सके तथा स्वीकृत जोखिम मानदंडों के भीतर अर्जनों का वर्धन किया जा सके; नियोजित परिसम्पत्तियों को उचित रुप से विविधीकृत किया गया है।**	

	Category	Current Year	Previous Year
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan assets at the beginning of the year at fair value	**22,47,38.43**	**8,73,09.07**
	Expected return on plan assets	**1,79,79.07**	69,84.73
	Contributions	**2,14,77.83**	13,10,68.95
	Benefits paid	**(1,07,35.53)**	(65,18.42)
	Actuarial Gain / (Loss)	**43,94.67**	58,94.10
	Plan assets at the end of the year, at fair value	**25,78,54.47**	**22,47,38.43**
3	Present Value of The Defined Benefit Obligation	**26,88,72.09**	**24,04,13.87**
	Plan Assets at the end of the year at fair value	**25,78,54.47**	**22,47,38.43**
	Liability recognised in the Balance Sheet	**(1,10,17.63)**	**(1,56,75.44)**
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	**82,63.87**	75,86.84
	Interest Cost	**1,98,34.14**	1,41,30.75
	Expected return on plan assets	**(1,79,79.07)**	(69,84.73)
	Acturial (Gain) / Loss	**67,01.07**	4,26,86.25
	Past Service Cost - Vested Benefit	**0.00**	0.00
	Expense Recognised in the Revenue account	**1,68,20.01**	**5,74,19.11**
	Category	**Pension**	**Gratuity**
5	**Assumptions**		
	Interest rate for Discounting (%)	**8.50% (8.25%)**	**8.50% (8.25%)**
	Estimated rate of return on plan assets (%)	**8.60% (8.00%)**	**8.60% (8.00%)**
6	**Basis used to determine the expected rate of return on plan assets.**	**The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the Market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the plan assets are well diversified.**	

32. परिचालन पट्टे

निगम के पास विभिन्न स्थानों में कार्यालय परिसरों व आवासीय फ़्लैटों के लिए परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जा सकता है अथवा 1 महीने से 6 महीनों तक की अवधि की नोटिस देते हुए रद्द किया जा सकता है. किराया बढ़ाने से संबंधित शर्त अलग अलग करार के लिए अलग अलग हो सकती है।

किराया व्ययों को परिचालन पट्टे में राजस्व खाते में रखा गया है जो कि ₹6,38,28.93 हज़ार (पिछले वर्ष ₹6,65,06.29 हज़ार) रहा।

33. निगम को यौगिक संविदाओं अथवा वायदा संविदाओं में किसी प्रकार का अपावरण नहीं है। निगम को विदेशी मुद्रा में अपावरण है (बिना दबाव के वायदा)।

(क) अपने फुल फ्लेज्ड फैक्टरिंग योजना के लिए आई डी बी आई तथा कॉर्पोरेशन बैंक से लिया गया ऋण। इसके विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं	विवरण	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए (₹ '000 में)
i	आई डी बी आई ऋण खाता-	यूरो - 0.00 यूरो - (0.00)	0.00 (0.00)

* कोष्टक के आंकडे पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।

ii) विविध देनदार :

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
विदेशी मुद्रा	अमेरिकन $ **0.00**	अमेरिकन $ 0.00
भारतीय रुपए	**0.00 हजार**	0.00 हजार

34. कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची VI के भाग IV के अधीन आवश्यक जानकारी संलग्न अनुबंध -3 में दी गई है।

35. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विवरणों के प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
बकाया राशि	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किए गए विलंबित भुगतान	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
जहाँ मूलधन देयों का निपटान देय तारीख के पश्चात किया गया था वहाँ देय ब्याज	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं

32. OPERATING LEASES

The Corporation has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract.

Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases is ₹6,38,28.93 thousands (previous year ₹6,65,06.29 thousands)

33. The Corporation does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Corporation has no exposure in foreign currency (un-hedged)

a) in the form of loan from IDBI Bank for its full-fledge Factoring Scheme. The details are as under :

Sr. No.	Particulars	Foreign Currency	Indian Rupees (₹ in '000)
i	IDBI Loan Account	Euro - 0.00 Euro - (0.00)	0.00 (0.00)

Note : Figures in bracket represents previous year's amount.

ii) Sundry Creditors:

	Current Year	Previous Year
Foreign Currency	**US$ 0.00**	US$ 0.00
Indian Rupees	**0.00 thousands**	0.00 thousands

34. Information required under Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 1956 is given in Annexure - 3 attached.

35. The details to be disclosed as per the provisions of the MSMED Act, 2006 are as under:

Particulars	Current Year	Previous Year
Amount outstanding	**Nil**	Nil
Delayed Payments made throughout the year	**Nil**	Nil
Interest payable where principal dues are settled after due date	**Nil**	Nil

36. आई आर डी ए के परिपत्र संख्या 067/आईआरडीए/एफएंडए /परि/मार्च-08 दिनांक 28/03/2008 के ज़रिए दिए गए निर्देशों के आधार पर विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं	विवरण	वर्तमान वर्ष में व्यय (₹ '000)	पिछले वर्ष व्यय (₹ '000)
i	आउट सोर्सिंग	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ii	कारोबार विकास	1,34,87.64	1,61,70.88
iii	बाज़ार समर्थन	7,19,98.04	9,15,78.07

37. पूर्व के वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) को निगम द्वारा नियमित रुप से पालन की जानेवाली प्रथा के अनुसार इस प्रकार की वसूलियों पर हुए व्यय को वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि को शुद्ध व्यय के रुप में लेखाबद्ध किया गया है .

वर्ष के दौरान की गई वसूलियाँ व उसके लिए किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ '000 में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कुल वसूली	176,15,22.24	142,76,36.06
वसूली कमीशन, सेवा कर आदि सहित वसूली के लिए किया गया व्यय	7,51,94.96	6,69,71.00
लेखा बहियों में दर्शायी गई शुद्ध वसूली	168,63,27.28	136,06,65.06

38. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी को अनुबंध - 4 के रुप में संलग्न किया गया है .

39. प्रतिधारित जोखिम तथा पुनर्बीमा को निम्नानुसार दर्शाया गया है (इसमें हानि की अधिकता तथा व्यापक आपत्ति संबंधी पुनर्बीमा शामिल नहीं है)

(₹ '000 में)

अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए प्रीमियम सांख्यिकीय आंकडे					
	प्रीमियम				
	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा कमीशन	%
2011-12	1004,83,31.67	761,55,98.94	75.79%	243,27,32.73	24.21%
2010-11	885,46,69.25	770,94,50.96	87.07%	114,52,18.29	12.93%

40 अनुबंध 5 में दिए गए आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एंड आई/परि/सीएमपी/174/11/2010 दिनांक 04/11/2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों के अदावी राशि के आयु-वार विश्लेषण को दर्शाता हुआ विवरण

36. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDA circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

Sr. No	Particulars	Expenses in Current Year (₹ in '000)	Expenses in Previous Year (₹ in '000)
i	Outsourcing Expenses	Nil	Nil
ii	Business Development	1,34,87.64	1,61,70.88
iii	Marketing Support	7,19,98.04	9,15,78.07

37. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses such as recovery commission, bank charges, service tax, etc incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Corporation.

The details of recoveries made during the year and the expenses incurred are as under:

(₹ in '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total recovery	176,15,22.24	142,76,36.06
Expenses incurred on such recovery including Recovery Commission, service tax etc	7,51,94.96	6,69,71.00
Net recovery shown in the books of accounts.	168,63,27.28	136,06,65.06

38. RATIOS FOR NON - LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios are as per Annexure - 4 attached.

39. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

(₹ in '000)

Premium Statistics for the Period April 2011 to March 2012					
	Premium				
	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2011-12	1004,83,31.67	761,55,98.94	75.79%	243,27,32.73	24.21%
2010-11	885,46,69.25	770,94,50.96	87.07%	114,52,18.29	12.93%

40. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDA Circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 is given in Annexure 5.

41. आई आर डी ए के परिपत्र संख्या 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि/ मई - 09 दिनांक 07/05/2009 के ज़रिए दिए गए निर्देशों के आधार पर विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

(₹ '000 में)

क्र सं	प्राधिकरण	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	दंड की अदायगी	माफ/कम किया गया दंड
1.	बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं			
2	सेवा कर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
3	आय कर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
4	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं			
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकारी / फेमा के अधीन ट्रिब्युनल अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं			
6	कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कंपनी मामले विभाग अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं			
7	प्रतिपूर्ति के अलावा दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए कोई न्यायालय / ट्रिब्युनल	कुछ नहीं			
8	भारतीय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड*	लागू नहीं क्यों कि निगम सूचीबद्ध इकाई नहीं है ।			
9	कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया	कुछ नहीं			
10	कोई केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकारी / सांविधिक प्राधिकारी	कुछ नहीं			

* प्रबंधन द्वारा प्रमाणित।

41. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDA circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 07-05-2009 the additional disclosure is given as under:

(₹ in '000)

Sl. No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority	NIL			
2	Service Tax Authorities	NIL			
3	Income Tax Authorities	NIL			
4	Any other Tax Authorities	NIL			
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL			
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956	NIL			
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL			
8	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Corporation is not a Listed Entity			
9	Competition Commission of India	NIL			
10	Any other Central/ State/Local Government / Statutory Authority	NIL			

*As certified by the management.

Financial Statements

अनुसूची 1 से 17 के हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Schedule 1 to 17

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

(नीरज वर्मा)
कंपनी सचिव
(NEERAJ VERMA)
Company Secretary

समतारीख के हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR M. B. AGRAWAL & COMPANY
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR P. M. DALVI & COMPANY
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

लेखा मानक - 17 क अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD - 17

अनुसूची 17 का अनुबंध - I / Annexure - 1 Schedule 17

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

प्राथमिक कारोबार के खंड PRIMARY BUSINESS SEGMENT	वर्तमान वर्ष / Current Year						पिछले वर्ष / Previous Year					
	पॉलिसी / Policy	ईसीआईबी/ ECIB	फ़ैक्टरिंग / Factoring	एनईआईए / NEIA	डीसीआईई / DCIE	कुल / Total	पॉलिसी / Policy	ईसीआईबी / ECIB	फ़ैक्टरिंग / Factoring	एनईआईए / NEIA	डीसीआईई / DCIE	कुल / Total
खंड राजस्व Segment Revenue												
बाहरी ग्राहकों से प्रीमियम आय (वापसी का शुद्ध / पुनर्बीमा प्रीमियम) Premium Income from external customers (Net of Refund / Reinsurance Premium)	296,12,62.77	464,34,17.20	0.00	0.00	1,09,18.97	**761,55,98.94**	304,30,71.35	465,68,29.20	0.00	0.00	95,50.41	**770,94,50.96**
शुल्क एवं अन्य रसीद Fees & other receipts	70,66.16	16,11.12	0.00	0.00	43.00	**87,20.28**	64,31.48	7,23.02	0.00	0.00	66.00	**72,20.50**
ब्याज और दावा एवं प्रिमियम पर ब्याज और अन्य प्राजियाँ Interest on Claims & premium & Other receipts	2,40.20	1,09,02.62	0.00	0.00	0.00	**1,11,42.82**	4,37.11	3,43,27.60	0.00	0.00	0.00	**3,47,64.71**
एन ई आई ए NEIA	0.00	0.00	0.00	47,89.78	0.00	**47,89.78**	0.00	0.00	0.00	9,97.02	0.00	**9,97.02**
सीडिंग कमीशन Ceding Commission	21,24,25.23	39,29,66.88	0.00	0.00	5,37.88	**60,59,29.99**	5,92,15.09	7,64,98.44	0.00	0.00	3,11.10	**13,60,24.63**
अंतर खंडीय राजस्व Inter segment Revenue												
फ़ैक्टरिंग आय Factoring income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	59.59	0.00	0.00	**59.59**
असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन # Change in Reserve for Unexpired Risks	4,09,04.29	67,06.00	0.00	0.00	(6,84.28)	**4,69,26.01**	(38,96,61.83)	(57,30,23.30)	0.00	0.00	18,58.67	**(96,08,26.46)**
कुल खंड राजस्व Total Segment Revenue	**322,18,98.65**	**505,56,03.82**	**0.00**	**47,89.78**	**1,08,15.57**	**829,31,07.82**	**271,94,93.20**	**419,53,54.96**	**59.59**	**9,97.02**	**1,17,86.18**	**692,76,90.95**
खंड व्यय Segment Expenditure												
दावे (वसूलियों को घटाकर)* Claims (Net of Recoveries)*	433,10,56.02	246,43,05.63	0.00	0.00	7,58.92	**679,61,20.57**	(56,17,69.95)	813,79,52.54	(49,95.48)	0.00	31,99.71	**757,43,86.82**
फ़ैक्टरिंग व्यय Factoring expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	48.47	0.00	0.00	**48.47**
मानक, निम्न मानक, व संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard, Sub Standard, Doubtful Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	6,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6,00.00**
प्रीमियम कमी के लिए प्रावधान Provision for Premium Deficiency	17,33,85.17	29,52,23.39	0.00	0.00	0.00	**46,86,08.56**	(14,45,94.29)	(33,73,86.67)	0.00	0.00	0.00	**(48,19,80.96)**
सीधे अदा किया गया कमीशन Commission Paid Direct	2,67,28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**2,67,28.30**	4,07,03.59	0.00	0.00	0.00	0.00	**4,07,03.59**
कुल / Total	**453,11,69.50**	**275,95,29.02**	**0.00**	**0.00**	**7,58.92**	**729,14,57.43**	**(66,50,60.64)**	**780,05,65.87**	**(49,47.01)**	**0.00**	**31,99.71**	**713,37,57.92**
खंड परिणाम Segment Result (ब्याज, पूर्व लाभ, कर तथा अपवादात्मक वस्तुएँ) (Profit before Interest, Tax and Exceptional Items)	**(130,92,70.85)**	**229,60,74.80**	**0.00**	**47,89.78**	**1,00,56.65**	**100,16,50.39**	**338,45,53.84**	**(360,52,10.91)**	**50,06.60**	**9,97.02**	**85,86.47**	**(20,60,66.97)**
जोड़ें: अविनियोज्य व्यय को घटाकर अविनियोज्य आय Add : Unallocable Income net of Unallocable Expenditure					227,64,63.18							**138,30,90.46**

लेखा मानक - 17 क अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD - 17

अनुसूची 17 का अनुबंध - I / Annexure - 1 Schedule 17

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

प्राथमिक कारोबार के खंड PRIMARY BUSINESS SEGMENT	वर्तमान वर्ष / Current Year						पिछले वर्ष / Previous Year					
	पॉलिसी / Policy	ईसीआईबी/ ECIB	फ़ैक्टरिंग / Factoring	एनईआईए / NEIA	डीसीआईई / DCIE	कुल / Total	पॉलिसी / Policy	ईसीआईबी / ECIB	फ़ैक्टरिंग / Factoring	एनईआईए / NEIA	डीसीआईई / DCIE	कुल / Total
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less :Provision for Doubtful Debts						0.00						0.00
घटाएँ: ब्याज व वित्त चार्ज Less : Interest & Finance charges						8,74.69						7,60.05
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax						327,72,38.88						117,62,63.44
घटाएँ / Less :												
पूर्व अवधि समायोजन व पूर्व के वर्षों का कर समायोजन Prior period Adjustments & Tax Adjustments earlier years						63,04.29						(3,93,20.40)
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Provision for Fringe Benefit Tax						0.00						0.00
आस्थगित कर के लिए प्रावधान Provision for Deferred Tax						(16,31,64.25)						16,58,38.14
कर के लिए प्रावधान Provision for Tax						105,66,00.00						31,85,00.00
घटाएँ : न्युनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता Less : MAT Credit Receivable						12,54,00.00						(12,54,00.00)
कर पश्चात लाभ Profit After Tax						225,20,98.84						85,66,45.70
खंड परिसम्पत्तियों की आवर्ती राशि Carrying Amount of Segment Assets	69,83.93	17,17,13.19	0.00	0.00	1.20	17,86,98.32	2,98,17.14	22,96,11.36	0.00	0.00	0.00	25,94,28.50
स्थिर परिसम्पत्तियों सहित अविनियोज्य परिसम्पत्तियाँ (किसी खंड विशेष के लिए विनियोजन योग्य नहीं) Unallocated Assets including Fixed Assets (Not allocable to any specific segment)						4947,27,34.28						4605,55,25.61
कुल परिसम्पत्तियाँ Total Assets						4965,14,32.60						4631,49,54.11
खंड देयताओं की आवर्ती राशि Carrying Amount of Segment Liablities	590,12,34.85	1608,59,49.05	0.00	1,09,38.85	4,06.02	2199,85,28.77	370,90,67.12	1645,11,94.70	0.00	8,19.05	9,12.02	2016,19,92.89
अविनियोज्य देयताएँ (किसी खंड विशेष के लिए विनियोज्य योग्य नहीं) Unallocated Liablities (Not allocable to any specific segment)						597,54,41.09						553,07,33.45
कुल /Total						2797,39,69.86						2569,27,26.34
शेयर पूंजी Share Capital						900,00,00.00						900,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष Reserve & Surplus						1245,15,87.81						1082,70,90.46
उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair value Change Account						22,58,74.93						79,51,37.30
कुल देयताए/ Total Liablities						4965,14,32.60						4631,49,54.11

लेखा मानक - 17 क अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD - 17

अनुसूची 17 का अनुबंध - I / Annexure - 1 to Schedule 17

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

गौण खंड - लागू नहीं / Secondary Segment - Not Applicable

प्रत्येक कारोबार खंड में उत्पादों / सेवाओं के प्रकार
Types of Products / Services in each Business Segment

पॉलिसियाँ POLICIES	ई सी आई बी ECIB	घरेलू ऋण बीमा Domestic Credit Indsurance		राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता National Export Insurance Account (NEIA)
		डी सी आई ई - मानक पॉलिसी	DCIE- Standard policy	
मानक पॉलिसी Standard Policy	पैकिंग ऋण Packing Credit	डी सी आई ई - एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी	DCIE- Single Buyer Exposure Policy	
		डी सी आई ई - बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी	DCIE - Multi Buyer Exposure Policy	
लघु निर्यातक पॉलिसी Small Exporter's Policy	पोतलदानोत्तर ऋण Post-Shipment Credit	डी सी आई बी - व्यक्तिगत पैकिंग ऋण	DCIB - Individual Packing Credit	
		डी सी आई बी - व्यक्तिगत पोतलदानोत्तर	DCIB - Individual Post shipment	
विशिष्ट पॉलिसी Specific Policy	निर्यात निष्पादन गारंटी Export Performance Guarantee			
पण्यावर्त पॉलिसी Turnover Policy	निवेश गारंटी Investment Guarantee			
खरीदारवार पॉलिसी Buyerwise Policy	**फैक्टरिंग / Factoring**			
अंतरण गारंटी Transfer Guarantee	फुल फ्लेज्ड फैक्टरिंग योजना Full - fledged Factoring Scheme			
फ़ैक्टरिंग सेवाएँ Factoring Services				
खरीदारवार जोखिम पॉलिसी Buyerwise Exposure Policy				
परेषण पॉलिसी Consigment Export Policy				
सॉफ्टवेयर परियोजना पॉलिसी Software Project Policy				
सू.प्रौ. समर्थ सेवा पॉलिसी IT - Enabled Services Policy				

* प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, आयबीएनआर तथा प्रीमियम के कमी के लिए प्रावधान 35% पॉलिसी अल्पावधि, 60% ईसीआईबी-अल्पावधि, 2% पॉलिसी दीर्घावधि तथा 3% ईसीआईबी-दीर्घावधि के लिए है जो कि वर्तमान वर्ष के सकल प्रीमियम के अनुपात में हैं। पिछले वर्ष के अनुसार अनुरुपता के आधार पर प्रबंधन अनुमानों के अनुसार आई बी एन आर व प्रीमियम में कमी, पॉलिसी के लिए 30% व ई सी आई बी के लिए 70% का प्रावधान।

* As per management Estimates, Provision for IBNR & Premium Deficiency has been taken as 35% for Policy-ST, 60% for ECIB-ST, 2% for Policy-LT and 3% for ECIB-LT in the ratio of Gross premium Income during the year. Provision for IBNR and Premium Deficiency has been taken as 30% for policy & 70% for ECIB in previous year.

लेखा मानक - 17 क अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(क) / Annexure - 2(a) to Schedule 17

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन **DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**		
1 निगम की परिसम्पत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under.		
क) भारत में a) In India	**9,95,25.00**	9,95,25.00
भारत के बाहर Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
2 बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकडों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
ख) स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए की प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	**207,30,78.53**	207,59,15.71
3 दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुर्नबीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
भारत में In India	**587,12,28.96**	460,28,91.99
भारत के बाहर Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
4 जहाँ भी दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है, किसी भी प्रकार की दावों की देयता नहीं है There are no claim liabilities where claim payment period exceeds four years	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
5 छः महीनों से अधिक के लिए बकाया दावे (कुल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
दावों की संख्या Number of Claims	**13**	91
राशि (₹ हज़ार में) Amount (₹ in thousand)	**84,51,49.78**	533,99,34.90
छः महीनों से कम के लिए बकाया दावे (कुल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
दावों की संख्या Number of Claims	**313**	314
राशि (₹ हज़ार में) Amount (₹ in thousand)	**777,91,95.84**	1033,20,53.62
बकाया दावों की कुल संख्या (कुल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	**326**	405
राशि (₹ हज़ार में) Amount (₹ in thousand)	**862,43,45.62**	1567,19,88.52

वित्तीय विवरण

लेखा मानक - 17 क अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(क) / Annexure - 2(a) to Schedule 17

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
6 कारोबार से लिखित प्रीमियम, पुनर्वीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
भारत में In India	**761,55,98.94**	770,94,50.96
भारत के बाहर Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
7 घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रुप में स्वीकार किया गया है. शुद्ध प्रीमियम के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है. Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	**380,77,99.47**	385,47,25.48
8 निवेशों के संबंध में संविदा के विवरण Details of contracts in relation to investments for,		
क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित हो a) Purchase where deliveries are pending	**21,05.01**	कुछ नहीं Nil
ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हों b) Sales where payments are due	**6,94.07**	कुछ नहीं Nil
9 ऋण बीमा कारोबार संबंधित सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10 घोषित लेखागत नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11 सीमांत पारिश्रमिक की गणनाः निगम को सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम यू /एल 620 के जी एस आर 235,दिनांक 31 जनवरी 1978 के जरिए निगम को इससे छूट प्रदान की गई है. Computation of Managerial Remuneration: The Corporation is exempted vide notification: GSR 235, dated 31st January 1978 u/s 620 of the Companies Act, being a Government Company.		
12 ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार Basis of amortisation of debt securities	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
13 क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है. a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair Value Change A/c	**22,58,74.93**	79,51,37.30
ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ, ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं. b) Pending realisation,credit balance in Fair Value Change a/c not available for distribution.	**22,58,74.93**	79,51,37.30

Financial Statements

लेखा मानक - 17 क अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(क) / Annexure - 2(a) to Schedule 17

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
14 निगम ने रियल ईस्टेट निवेश सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है. The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		
15 क तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे a Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
दावों की कुल संख्या Number of claims	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
राशि Amount	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
ख वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गईं हैं. b All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
ग 1 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं. c Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 100000 हज़ार) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 (Face Value 100000 thousand)	**9,95,25.00**	9,95,25.00
ख) भारत के बाहर b) Outside India	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
2 निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	**3390,43,21.13**	3163,56,15.54
अनर्जक निवेश Non Performing Investments	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil
कुल अंकित मूल्य (अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	**3390,43,21.13**	3163,56,15.54
3 क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत - जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है. Percentage of business sectorwise - As the Corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable		
4 5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है. A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	**अनुबंध 2(ख) के अनुसार As per Annexure 2(b)**	अनुबंध 2(ख) के अनुसार As per Annexure 2(b)

लेखा मानक- 17 क अनुसरण में खंडवार प्रकटन
SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD -17

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(क) / Annexure - 2(a) to Schedule 17

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	वृद्धि % Growth %
5 विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन द्वारा अनुपालित अनुसार)(प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपातों की अनुपस्थिति में,कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है.) (वर्ष के अंत तक, जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management)(In the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given) (year end unless otherwise stated)			
(प्रधिकारी द्वारा विशिष्ट अनुपातों के निर्धारण के अभाव में कुछ महत्वपूर्ण अनुपात ही उल्लिखित किए गए हैं. (वर्ष के अंत तक के, जब तक अन्यथा उद्धरित न किया गया हो .) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
सकल प्रीमियम Gross Premium	**1004,83,31.67**	885,46,69.25	13.48%
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96	-1.22%
शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) Net Retention Ratio (%)	**75.79%**	87.07%	-12.95%
शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	**36.41%**	13.07%	165.19%
शुद्ध सम्पत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Networth (%)	**15.12%**	5.70%	153.68%
शुद्ध सम्पत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit after Tax to Networth (%)	**10.39%**	4.15%	139.76%
सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	**13.19%**	17.90%	-26.31%
कुल रोज़गार पर पी बी डी आई टी (₹ हज़ार में) PBDIT to Total Employment (₹ In thousands)	**58,20.75**	21,24.98	161.03%
शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
असमाप्त जोखिम प्रारक्षण / Unexpired Risks Reserve	**380,77,99.47**	385,47,25.48	-1.22%
बकाया दावे / Outstanding Claims	**2082,33,96.36**	1860,17,37.73	12.79%
कुल तकनीकी प्रारक्षण / Total Technical Reserves	**2463,11,95.83**	2245,64,63.21	10.39%
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96	-1.22%
अनुपात / Ratio	**3.23**	2.91	11.04%

वित्तीय विवरणों के रूप में प्रकटीकरण
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(ख)
Annexure - 2(b) to Schedule 17
(₹ '000 में) / (₹ in '000)

		2011-12	20010-11	2009-10	2008-09	2007-08
	परिचालन परिणाम Operating Results					
1	लिखित सकल प्रीमियम Gross Premium Written	**1004,83,31.67**	885,46,69.25	812,99,64.48	744,67,67.85	668,36,62.08
2	शुद्ध प्रीमियम आय Net Premium Income	**761,55,98.94**	770,94,50.96	578,77,98.05	573,21,00.10	477,32,79.14
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	**353,59,61.90**	280,17,45.66	277,41,09.81	287,18,49.36	277,35,61.94
4	अन्य आय Other Income	**6,31,09.76**	16,68,52.16	16,10,74.93	55,71,60.68	4,01,37.37
5	कुल आय Total Income	**1121,46,70.60**	1067,80,48.79	877,29,82.78	916,11,10.14	758,69,78.45
6	कमीशन Commission	**(57,92,01.69)**	(9,53,21.04)	(31,56,94.54)	(24,76,45.11)	(34,07,99.17)
7	ब्रोकरेज Brokerage	**कुछ नहीं Nil**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
8	परिचालन व्यय Operating Expenses	**129,88,30.30**	154,38,74.08	112,38,41.59	99,41,42.25	104,47,55.53
9	दावे, असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधियों व अन्य बर्हिगमन Claims, Increase in Un-expired Risk Reserve and other outgos	**721,78,03.12**	805,32,32.32	(677,96,08.92)	(403,17,37.22)	52,45,54.48
10	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	**327,72,38.87**	117,62,63.43	65,47,92.00	438,28,75.78	771,74,96.76
11	पूर्व अवधि समायोजन व आस्थगित कर समायोजन Prior Period Adjustments and Deffered tax Adjustment	**(15,68,59.96)**	12,65,17.73	(34,25,55.11)	1,04,35.44	21,05,06.58
12	उपरोक्त समायोजन के पश्चात लाभ / (हानि) Profit / (Loss) after above adjustment.	**343,40,98.83**	104,97,45.69	99,73,47.12	437,24,40.34	750,69,90.18
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	**118,20,00.00**	19,31,00.00	46,00,00.00	153,85,51.16	271,26,84.98
14	कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि) Net Profit / (Loss) after tax	**225,20,98.83**	85,66,45.70	53,73,47.12	283,38,89.18	479,43,05.20
15	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	**900,00,00.00**	900,00,00.00	900,00,00.00	900,00,00.00	900,00,00.00
16	निवल मालियत (वर्ष के अंत तक) Net Worth (End of year)	**2167,74,62.74**	**2062,22,27.75**	**1958,94,26.87**	**1886,21,72.23**	**1813,41,93.05**

वित्तीय विवरणों के रूप में प्रकटीकरण
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(ख)
Annexure - 2(b) to Schedule 17
(₹ '000 में) / (₹ in '000)

		2011-12	20010-11	2009-10	2008-09	2007-08
17	कुल परिसम्पत्तियाँ Total Assets	**2167,74,62.74**	2062,22,27.77	1959,21,45.70	1917,54,73.46	1821,90,29.22
18	कुल निवेशों पर अर्जन (%) Yield on Total Investments (%)	**8.69**	7.78	8.62	9.72	9.83
19	प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share	**25.02**	9.52	5.97	31.49	59.31
20	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) Book Value per share (₹)	**2,40.86**	2,29.14	2,17.66	2,09.58	2,01.49
21	कुल लाभांश (लाभांश कर सहित) Total Dividend (Inclu. Div.Tax)	**62,76,01.50**	30,33,40.73	12,57,33.85	210,59,10.00	192,50,19.00
22	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend per share (₹)	**6.00**	2.90	1.19	20.00	18.00

कंपनी अधिनियम 1956 क भाग (IV) की अनुसूची के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण व कंपनी के सामान्य कारोबार की रुपरेखा

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE AS PER SCHEDULE VI, PART (IV) OF THE COMPANIES ACT, 1956

अनुसूची 17 का अनुबंध 3
Annexure - 3 to Schedule 17
(₹ '000 में) / (₹ in '000)

I. पंजीकरण विवरण
Registration Details

पंजीकरण संख्या Registration Number	1 0 9 1 8
राज्य कोड State Code	1 1
तुलन पत्र Balance Sheet	3 1 0 3 2 0 1 2

II. वर्ष के दौरान वर्धित पूंजी
Capital Raised During the Year

सार्वजनिक निर्गम Public Issue	कुछ नहीं NIL
अधिकार निर्गम Right Issue	कुछ नहीं NIL
बोनस निर्गम Bonus Issue	कुछ नहीं NIL
नीजि तौर पर शेयर आबंटन (भारत सरकार) Private Placement (Govt. of India)	कुछ नहीं NIL

III. निधियों को जुटाने व उनके अभिनियोजन की स्थिति
Position of Mobilisation and Deployment of funds

कुल देयताएँ Total Liabilities	4 9 6 5 1 4 3 3
कुल परिसम्पत्तियाँ Total Assets	4 9 6 5 1 4 3 3
प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	9 0 0 0 0 0 0
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष * Reserves & Surplus	1 2 6 7 7 4 6 3

वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 क भाग (IV) की अनुसूची के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण व कंपनी के सामान्य कारोबार की रुपरेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE AS PER SCHEDULE VI, PART (IV) OF THE COMPANIES ACT, 1956

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

जमानती ऋण Secured Loans	कुछ नहीं / NIL
गैर जमानती ऋण Unsecured Loans	कुछ नहीं / NIL
निधियों का प्रयोग **Application of Funds**	
शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियाँ Net Fixed Assets	1470461
निवेश Investments	33904321
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ Net Current Assets	-13900963
आस्थगित कर परिसम्पत्ति Deferred Tax Asset	203644
ऋण Loans	कुछ नहीं / NIL

IV. **कंपनी का निष्पादन**
Performance of the Company

कुल आय Total Income	11261597
कुल व्यय Total Expenditure	7984358
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	3277239
कर पश्चात लाभ Profit After Tax	2252099
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning per share (₹)	25.02
लाभांश दर (%) Dividend Rate (%)	6.00

Financial Statements

कंपनी अधिनियम 1956 क भाग (IV) की अनुसूची के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण व कंपनी के सामान्य कारोबार की रुपरेखा

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE AS PER SCHEDULE VI, PART (IV) OF THE COMPANIES ACT, 1956

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

V. कंपनी के मुख्य उत्पादों/ सेवाओं के सामान्य नाम
Generic Names of Principal Products/ Service of the Company

वस्तु कोड संख्या Item Code No.	ला	गू	न N	हीं A
उत्पाद विवरण Product Description	ला	गू	न N	हीं A

* उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शामिल
* Includes balance in Fair Value Change A/c

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

(नीरज वर्मा)
कंपनी सचिव
(NEERAJ VERMA)
Company Secretary

समतारीख के हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR M. B. AGRAWAL & COMPANY
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR P. M. DALVI & COMPANY
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

गैर जीवन कंपनियों के लिए अनुपात के संबंध में जानकारी
INFORMATION IN RESPECT OF RATIO FOR NON LIFE COMPANIES

अनुसूची 17 का अनुबंध 4
Annexure - 4 to Schedule 17
(₹ '000 में) / (₹ in '000)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particular	31 मार्च, 2012 31 March, 2012	31 मार्च, 2011 31 March, 2011
1	सकल प्रीमियम वृद्धि दर Gross premium growth Rate		
	कुल सकल प्रीमियम Total Gross Premium	**1004,83,31.67**	885,46,69.25
	वृद्धि Growth	**13.48%**	8.91%
2	शेयरधारकों की निधि की तुलना में सकल प्रीमियम अनुपात Gross Premium to shareholder's funds ratio:		
	सकल प्रीमियम Gross Premium	**1004,83,31.67**	885,46,69.25
	शेयर धारकों की निधि (आरंभिक) Share Holders Funds (Opening)	**2062,22,27.77**	1958,94,26.88
	अनुपात Ratio	**48.73%**	45.20%
3	शेयरधारकों की निधि की वृद्धि दर Growth rate of shareholders funds:		
	वर्ष के आरंभ में शेयरधारक फंड Share Holders Fund at the beginning of the year	**2062,22,27.77**	1958,94,26.88
	वर्ष के अंत तक शेयरधारक फंड Share Holders Funds at the end of the year	**2167,74,62.74**	2062,22,27.77
	अनुपात Ratio	**5.12%**	5.27%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (शुद्ध प्रीमियम भागित सकल प्रीमियम) Net retention ratio (Net premium dividend by gross premium)		
	शुद्ध प्रीमियम Net premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96
	सकल प्रीमियम Gross Premium	**1004,83,31.67**	885,46,69.25
	कुल Total		
	प्रतिधारण अनुपात Retention Ratio	**75.79%**	87.07%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन Net Commission	**(57,92,01.69)**	(9,53,21.04)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96
	अनुपात Ratio	**-7.61%**	-1.24%

Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particular	31 मार्च, 2012 31 March, 2012	31 मार्च, 2011 31 March, 2011
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**132,55,58.60**	158,45,77.64
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1004,83,31.67**	885,46,69.25
	अनुपात Ratio	**13.19%**	17.90%
7	समन्वित अनुपात Combined Ratio		
	उपगत कुल दावे Gross Incurred Claims	**713,03,22.70**	620,52,71.60
	प्रबंधन का व्यय Expenses of Management	**132,55,58.60**	158,45,77.64
	कुल Total	**845,58,81.30**	778,98,49.24
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1004,83,31.67**	885,46,69.25
	अनुपात Ratio	**84.15%**	87.97%
8	तकनीकी प्रारक्षण की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात Technical reserves to Net Premium Ratio		
	बकाया दावों के लिए प्रारक्षण Reserve for Outstanding Claims	**2082,33,96.36**	1860,17,37.72
	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण Reserve for Un-expired Risks	**380,77,99.47**	385,47,25.48
	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षण Reserve for Premium Deficiency	**46,86,08.56**	-
	कुल Total	**2509,98,04.39**	2245,64,63.20
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96
	अनुपात Ratio	**329.58%**	291.28%
9	बीमाकंन शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio		
	बीमाकंन लाभ Underwriting Profit	**17,86,59.99**	(224,51,95.45)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96
	अनुपात Ratio	**2.35%**	-29.12%

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particular	31 मार्च, 2012 31 March, 2012	31 मार्च, 2011 31 March, 2011
10	परिचालन लाभ अनुपात Operating Profit ratio		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	**17,86,59.99**	(224,51,95.45)
	निवेश आय Investment Income	**353,59,61.90**	280,17,45.66
	अन्य Others	**6,31,09.77**	16,68,52.16
	परिचालन लाभ Operating Profit	**377,77,31.66**	72,34,02.37
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96
	अनुपात Ratio	**49.61%**	9.38%
11	चल परिसम्पत्तियों की तुलना में देयता अनुपात (बीमाकृत की चल परिसम्पत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) Liquid assets to liabilities ratio (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities)		
	चल परिसम्पत्तियाँ * Liquid Assets*	**1061,44,96.43**	996,85,20.58
	पॉलिसीधारकों की देयताएँ ** Policy Holder Liabilities**	**2509,98,04.39**	2245,64,63.20
	अनुपात Ratio	**42.29%**	44.39%
12	शुद्ध अर्जन अनुपात Net earning ratio:		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**225,20,98.84**	85,66,45.70
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**761,55,98.94**	770,94,50.96
	अनुपात Ratio	**29.57%**	11.11%
13	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति Return on Net Worth		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**225,20,98.84**	85,66,45.70
	शुद्ध मालियत Net Worth	**2167,74,62.74**	2062,22,27.77
	अनुपात Ratio	**10.39%**	4.15%
14	वास्तविक शोधक्षमता मार्जिन अनुपात की तुलना में वास्तविक शोधक्षमता Actual Solvency to Required Solvency Margin Ratio		
	वास्तविक शोधक्षमता मार्जिन Actual Solvency Margin	**2058,36,20.00**	2056,55,81.40

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particular	31 मार्च, 2012 31 March, 2012	31 मार्च, 2011 31 March, 2011
	आवश्यक शोधक्षमता मार्जिन Required Solvency Margin	203,88,36.30	227,23,16.10
	अनुपात (समयबद्ध) Ratio (Times)	10.1	9.05
15.	अनर्जक खाता अनुपात NPA Ratio		
	अनुपात का विवरण Description of Ratio		
	निवेश **Investment**	0%	0%
	फैक्टरिंग **Factoring**	100%	100.00%

* नकद व बैंक जमा, अल्पावधि ऋण व अल्पावधि निवेश तथा अग्रिम व भारतीय रिजर्व बैंक जमा के अलावा अन्य जमा
Cash & Bank Balance, Short Term loads & ST Investments and advances and deposits except RBI deposits.

** असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षण, वर्तमान दावों के लिए प्रावधान, पुनर्बीमा की ओर देयता व अग्रिम रुप में प्राप्त प्रीमियम
Reserve for un-expired risks, Provision for claims on hand, Liability towards re-insurance & Premium received in advance

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

(नीरज वर्मा)
कंपनी सचिव
(NEERAJ VERMA)
Company Secretary

समतारीख के हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR M. B. AGRAWAL & COMPANY
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR P. M. DALVI & COMPANY
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

दिनांक 31 03 2012 तक अदावी - बीमा धारकों को देय
DUE TO INSURED - UNCLAIMED AS ON 31.03.2012

अनुसूची 17 का अनुबंध 5
Annexure 5 to Schedule 17
(₹ '000 में) / (₹ in '000)

क्र S.N.	विवरण Particulars	कुल राशि Total Amount	AGE-WISE ANALYSIS / अवधिवार विश्लेषण						
			1-6 माह 1-6 Months	7-12 माह 7-12 Months	13-18 माह 13-18 Months	19 - 24 माह 19-24 Months	25 - 30 माह 25-30 Months	31 - 36 माह 31-36 Months	36 माह से अधिक Beyond 36 Months
1	दावों का निपटान किया गया परंतू बीमा/ पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्ही कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/ बीमाधारकों को नहीं किया गया। Claims settled but not paid to the policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य के लिए बीमा/ पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise	97,67.79	15,70.33	14,45.29	14,52,46	14,93.61	14,84.50	15,60.59	26,92.00
3	प्रीमियम/ कर अथवा कोई भी अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटाना है, परंतू अभी तक लौटाया नहीं गया है। Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	69,40.67	3,28.75	5,83.55	3,96.81	13,49.47	10,60.46	1,46.34	12,68.76
4	चेक जारी किए गए परंतू पॉलिसीधारक/ बीमाधारकों द्वारा भुनाएं नहीं गए है। Cheque issued but not encashed by the policyholder/ insured	29,94.45	23,74.36	2,17.15	1,88.36	33.71	21.56	0.61	33.35
	कुल / Total	**1,97,02.91**	**42,73.44**	**22,45.99**	**20,37.63**	**28,76.79**	**25,66.52**	**17,07.54**	**39,95.01**

नोट : उपरोक्त मद संख्या 4 के तहत चेक जारी किए गए है परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तद्नुसार ऐसे चेक की राशि को अदावी रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Cheque issued but not encashed under point no. 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared the management is of the opinion that the policyholder is legally entitled to encash the cheque any time till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति व भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण)
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT / (CASH FLOW STATEMENT) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2012

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27 September, 2002

(₹ '000 में) / (₹ in '000)

विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह A. Cash Flow from Operating Activity		
अग्रिम प्रीमियम सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including Advance Receipts	**1016,74,54.79**	910,91,77.17
अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts	**2,12,49.71**	4,32,18.03
पुनर्बीमाकर्ताओं का प्रीमियम - कमीशन व दावों को घटा कर Payments to Reinsurers net of commission and claims	**(58,57,18.06)**	83,61,69.44
फैक्टरिंग क्रियाकलापों से प्राप्त आय (शुद्ध) Income from Factoring Activity (Net)	**-**	21.85
फैक्टरिंग उधारकर्ताओं को प्रदान की गई राशि Amount given to Factoring Debtors	**-**	(8,52.10)
फैक्टरिंग उधारकर्ताओं से प्राप्त राशि Amount received to Factoring Debtors	**-**	35,73.67
दावों की अदायगी Payments of Claims	**(713,03,22.70)**	(620,52,71.60)
कमीशन व ब्रोकरेज की अदायगी Payments of Commission & Brokerage	**(2,67,28.30)**	(4,07,03.59)
अन्य परिचालन व्ययों की अदायगी Payments of other Operating Expenses	**(133,01,91.03)**	(117,01,74.12)
जमा, अग्रिम व कर्मी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	**1,05,80.12**	2,17,22.68
अदा किया गया सेवा कर Service Tax Paid	**(94,75.66)**	(93,65.10)
अदा किया गया आय कर Income Tax Paid	**(240,13,97.04)**	(50,01,32.93)
आय कर की वापसी Refund of Income Tax	**-**	-
अन्य अदायगियाँ / एकत्रण (शुद्ध) Other Payments / Collection (net)	**(1,65,33.04)**	(86,26.05)
वसूलियाँ Recoveries	**169,63,59.46**	137,05,17.04
परिचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	**39,52,78.25**	344,92,74.39

विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
ख. निवेश क्रिया कलापों से नकद प्रवाह B. Cash Flow from Investing Activities		
स्थिर परिसम्पत्तियों में सम्मिलन (अग्रिम भुगतान सहित) Addition to Fixed Assets (Including Advance payment)	**(10,82,90.49)**	(12,28,06.62)
निवेश से आय Income from Investment	**341,37,84.79**	254,47,99.49
निवेशों की बिक्री Sale of Investment	**1933,98,80.60**	1971,10,76.14
परिसम्पत्तियों की बिक्री Sale of Assets	**4,48.02**	13,88.01
निवेशों की खरीद Purchase of Investment	**(2216,81,10.66)**	(2460,76,37.22)
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	**47,77,12.27**	(247,31,80.21)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह C. Cash Flow from Financial Activities		
शेयर पूंजी जारी किए जाने पर प्राप्ति Receipt on issue of Share Capital	**-**	-
वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण Loans Accepted during the year	**-**	8,46.68
वर्ष के दौरान अदा किए गए ऋण Loans Repaid during the year	**-**	(35,65.50)
अदा किया गया लाभांश Dividend paid	**(53,10,00.00)**	(10,74,69.42)
लाभांश कर Dividend paid	**(8,61,41.48)**	(1,82,64.43)
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financial Activities (C)	**(61,71,41.48)**	(12,84,52.68)
शुद्ध नकद प्रवाह (क+ख+ग) Net Cash Flow (A+B+C)	**25,58,49.04**	84,76,41.50
नकद व नकद समतुल्य Cash and Cash equivalent		
वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year		
तुलन पत्र के अनुसार As per Balance Sheet	**876,86,18.46**	792,09,76.95
कुल (क) Total (A)	**876,86,18.46**	792,09,76.95

विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
वर्ष के अंत में At the end of the year तुलन पत्र के अनुसार As per Balance Sheet	**902,44,67.50**	876,86,18.46
कुल (ख) **Total (B)**	**902,44,67.50**	876,86,18.46
नकदी व नकद समतुल्य में परिवर्तन (क - ख) **Change in cash and cash equivalent (A-B)**	**(25,58,49.04)**	(84,76,41.50)

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

(नीरज वर्मा)
कंपनी सचिव
(NEERAJ VERMA)
Company Secretary

समतारीख के हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

कृते एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR M. B. AGRAWAL & COMPANY
Chartered Accountants

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
(Harshal Agrawal)
Partner

कृते पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
FOR P. M. DALVI & COMPANY
Chartered Accountants

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
(Madhav Nandgaonkar)
Partner

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

कठिन और उथल-पुथल के समय ईसीजीसी विदेशी खरीदारों और देशों पर भुगतान जोखिमों की रक्षा निर्धारीत करके, मानक और कस्टमाईज्ड पॉलिसियों के माध्यम से तथा जब कभी पॉलिसी धारकों को ऋण की हानि हुई हो तो उन्हें मुआवजा देते हुए भारतीय निर्यातकों को आवश्यक सहायता और समाधान उपलब्ध कराया है। वर्ष 2011-12 में पर्याप्त दावों के भुगतान के बावजूद निगम ने अपनी मानक प्रीमियम दरों में बढ़ोत्तरी नहीं किया। ईसीजीसी ने लीबिया, टयूनीशिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन जैसे देशों को किए जाने वाले निर्यात पर बढ़े हुए ऋण जोखिम के साथ रक्षा उपलब्ध कराना जारी रखा। अर्हक एमएसएमई निर्यातकों को भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते से हानि का 5% की अतिरिक्त राशि का दावे के रूप में भुगतान किया गया।

During difficult and turbulent times, ECGC provided necessary help and support to Indian exporters by covering payment risks on overseas buyes/ countries through standard and customized policies and by compensating policyholders wherever they suffered credit losses. Despite substantial claim outflow in 2011-12, the Corporation did not increase its standard premium rates. ECGC continued to provide cover on exports to countries with heightened credit risks like Libya, Tunisia, Portugal, Ireland, Greece and Spain. Additional 5% of the admissible loss was paid as claim out of the National Export Insurance Account (NEIA) of Govt. of India to eligible MSME exporters.

प्रबंधन रिपोर्ट
Management Report

प्रबंधन रिपोर्ट / MANAGEMENT REPORT

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों व बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रस्तुती) विनियमन, 2002 की अनुसूची 'ख' के भाग IV में आवश्यक अनुसार प्रबंधन की रिपोर्ट.

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है. उसे वर्ष 2011-12 के लिए प्रमाण पत्र संख्या 355 दिनांक 28/02/2011 के ज़रिए नवीकृत किया गया है .
2. हम पुष्टि करते है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले सभी देयों की अदायगी / भुगतान किया जा चुका है.
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण का स्वरुप तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरुप है .
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी की गई पॉलिसियों के धारकों की निधियों को भारत के बाहर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से निवेश नहीं किया गया है .
5. हम पुष्टि करते हैं कि हमने शोधन क्षमता सीमा को बनाए रखा है .
6. हम प्रमाणित करते है कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसम्पत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गई है व हमारी उत्तम जानकारी के अनुसार तुलन पत्र में विविध मदों- 'ऋण', 'निवेश', 'विविध लेनदार', ' नकद', व ' वर्तमान परिसम्पत्तियों' के मद में दर्शाए गए विविध मदों के अधीन दर्शाई गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य उनकी पुनः बिक्री अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है .
7. वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के द्वारा निगम का सम्पूर्ण अपावरण ₹78296,87,00 हज़ार से ₹1000,000,000 हजार की अधिकतम देयता तक बढ़ाया है। यह निगम की जोखिम अपावरण इस संबंध में साधारण बीमा कंपनियों के लिए आई आर डी ए द्वारा अनुबद्ध सीमा के भीतर है.
8. हमारे कोई भी विदेशी परिचालन नहीं है .
9. दावों की अवधि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान दावों की औसत निपटान समय की प्रवृत्ति को दर्शाती हैः

वर्ष	दिनों की संख्या
2011-2012	91
2010-2011	70
2009-2010	50
2008-2009	47
2007-2008	42

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION, 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority is valid during the year. The same was renewed for the year 2011-12, vide their certificate no: 355 dated 28/02/2011.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings - 'Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.
7. The overall exposure of the Corporation is ₹78296,87,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Corporation is well within the relevant limits stipulated by IRDA in this regard for general insurance companies.
8. We have no overseas operations.
9. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per details below :

Year	Number of Days
2011-2012	91
2010-2011	70
2009-2010	50
2008-2009	47
2007-2008	42

पिछले 5 वर्षों से बकाया दावों का विवरण निम्नानुसार है :

दिनांक 31.03.2012 को वित्त वर्ष 2011-12 तक लंबित दावे निम्नानुसार है

(₹ '000 में)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि
30 दिन	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 दिनों से 6 माह	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 माह से 1 वर्ष तक	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	178	739,34,17.38	148	123,09,28.24	326	862,43,45.62

दिनांक 31/03/2011 को वित्त वर्ष 2010-11 तक बकाया दावों का विवरण :

(₹ '000 में)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि
30 दिन	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81
30 दिनों से 6 माह	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81
6 माह से 1 वर्ष तक	65	394,56,69.16	0	-	65	394,56,69.16
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	26	139,42,65.73	0	-	26	139,42,65.73
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	249	1489,86,27.45	156	77,33,61.06	405	1567,19,88.51

दिनांक 31/03/2010 वित्त वर्ष 2009-10 तक बकाया दावों का विवरण :

(₹ '000 में)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि
30 दिन	70	144,93,59.43	122	59,20,43.04	192	204,14,02.47
30 दिनों से 6 माह	96	457,39,34.69	70	29,46,87.52	166	486,86,22.21
6 माह से 1 वर्ष तक	-	-	22	89,81,33.51	22	89,81,33.51
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	9	48,48,27.18	9	48,48,27.18
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	166	602,32,94.12	223	226,99,91.25	389	829,29,85.37

दिनांक 31/03/2009 वित्त वर्ष 2008-09 तक बकाया दावों का विवरण:

(₹ '000 में)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि
30 दिन	41	73,91,56.53	135	159,50,92.11	176	233,42,48.63
30 दिनों से 6 माह	78	221,79,36.33	49	49,73,08.94	127	271,52,45.28
6 माह से 1 वर्ष तक	1	12,68,10.00	2	1,60,14.88	3	14,28,24.88
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व अधिक	-	-	1	1,72,82.95	1	1,72,82.95
कुल	120	308,39,02.86	187	212,56,98.88	307	520,96,01.73

Ageing of claims outstanding during the preceding 5 years is as per details below:

Claims pending as on 31/03/2012, FY 2011-12

(₹ in '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No	Amount Involved	No	Amount Involved	No	Amount Involved
30 Days	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 Days to 6 Months	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 Months to 1 Year	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	178	739,34,17.38	148	123,09,28.24	326	862,43,45.62

Claims pending as on 31/03/2011, FY 2010-11

(₹ in '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No	Amount Involved	No	Amount Involved	No	Amount Involved
30 Days	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81
30 Days to 6 Months	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81
6 Months to 1 Year	65	394,56,69.16	0	-	65	394,56,69.16
1 year to 5 years	26	139,42,65.73	0	-	26	139,42,65.73
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	249	1489,86,27.45	156	77,33,61.06	405	1567,19,88.51

Claims pending as on 31/03/2010, FY 2009-10

(₹ in '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No	Amount Involved	No	Amount Involved	No	Amount Involved
30 Days	70	144,93,59.43	122	59,20,43.04	192	204,14,02.47
30 Days to 6 Months	96	457,39,34.69	70	29,46,87.52	166	486,86,22.21
6 Months to 1 Year	-	-	22	89,81,33.51	22	89,81,33.51
1 year to 5 years	-	-	9	48,48,27.18	9	48,48,27.18
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	166	602,32,94.12	223	226,99,91.25	389	829,29,85.37

Claims pending as on 31/03/2009, FY 2008-09

(₹ in '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No	Amount Involved	No	Amount Involved	No	Amount Involved
30 Days	41	73,91,56.53	135	159,50,92.11	176	233,42,48.63
30 Days to 6 Months	78	221,79,36.33	49	49,73,08.94	127	271,52,45.28
6 Months to 1 Year	1	12,68,10.00	2	1,60,14.88	3	14,28,24.88
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	1	1,72,82.95	1	1,72,82.95
Total	120	308,39,02.86	187	212,56,98.88	307	520,96,01.73

दिनांक 31/03/2008 वित्त वर्ष 2007-08 तक बकाया दावों का विवरणः

(₹ '000 में)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि	सं.	शामिल राशि
30 दिन	100	186,31,45.94	88	33,60,63.62	188	219,92,09.56
30 दिनों से 6 माह	45	126,71,11.01	26	9,46,76.97	71	136,17,87.98
6 माह से 1 वर्ष तक	11	21,10,27.77	7	1,97,63.65	18	23,07,91.41
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	1	10,33.14	1	1,57.27	2	11,90.41
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	157	334,23,17.86	122	45,06,61.50	279	379,29,79.37

10. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेशों को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही मूल्यांकित किया गया है।

11. सभी निवेश परिसम्पत्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा हम यह भी पुष्टि करते हैं कि भारतीय रिर्जव बैंक के विवेकयुक्त मानदंडों के अनुसार किसी भी प्रकार की अनर्जक परिसम्पत्तियाँ नहीं है।

12. हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि :

क. वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लेखागत मानकों,सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्रबंधन ने लेखागत नीतियों को अपनाया है तथा आई आर डी ए विनियमों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के अलावा नियमित रुप से उनका अनुपालन किया गया है तथा बुद्धिसम्मत व विवेकशील निर्णय व अनुमान किए गए ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कारोबार व वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा शुद्ध लाभ की स्थिति के संबंध में सही व उचित तथ्य उजागर हो सकें।

ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा तथा अन्य अनियमितताओं को टालने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 के 1) अनुसार लेखागत रिकॉर्डों के पर्याप्त रखरखाव के लिए सही तथा समुचित सावधानी बरती है।

घ. यह कि प्रबंधन ने चालू संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं।

च. यह कि प्रबंधन ने सुनिश्चित किया कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरुप है व वह प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित हो रहा है।

Claims pending as on 31/03/2008, FY 2007-08

(₹ in '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No	Amount Involved	No	Amount Involved	No	Amount Involved
30 Days	100	186,31,45.94	88	33,60,63.62	188	219,92,09.56
30 Days to 6 Months	45	126,71,11.01	26	9,46,76.97	71	136,17,87.98
6 Months to 1 Year	11	21,10,27.77	7	1,97,63.65	18	23,07,91.41
1 year to 5 years	1	10,33.14	1	1,57.27	2	11,90.41
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	157	334,23,17.86	122	45,06,61.50	279	379,29,79.37

10. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory & Development Authority.

11. All Investment assets are reviewed periodically and we confirm that there are no non-performing assets as per Reserve Bank of India Prudential Norms.

12. We hereby confirm:

a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.

b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDA Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938) and Companies Act, 1956(1 of 1956) for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

13. ऐसी किसी भी कंपनी ,व्यक्तिगत फ़र्मों तथा संगठनों को अदायगी नहीं की गई है जिनमें कंपनी के निदेशक की कोई रुचि है सिवाय उन सौदों के जो कि कारोबार के सामान्य प्रक्रिया के दौरान किए गए हों।

कृते भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

13. There are no payments made to individual firms, Companies and organizations in which directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

(एन. शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(N. SHANKAR)
Chairman-cum-Managing Director

(अरविंद मेहता)
निदेशक
(ARVIND MEHTA)
Director

(वी. एस. दास)
निदेशक
(V. S. DAS)
Director

(के. आर. कामत)
निदेशक
(K. R. KAMATH)
Director

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
निदेशक
(T. C. A. RANGANATHAN)
Director

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi

दिनांक : 21 मई, 2012
Dated : 21st May, 2012

वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्यात ऋण की वापसी में निर्यातकों की विफलता के कारण हुई हानि को प्रतिपूर्त करने के लिए बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) योजना के अंतर्गत भारतीय बैंकों को ईसीजीसी ने अब तक का सबसे अधिक ₹626 करोड़ के दावे का भुगतान किया। उच्च जोखिमों के बावजूद ईसीजीसी के कवर के कारण बैंकों द्वारा निर्यातकों को आवश्यक निर्यात ऋण सुविधा देने में सहायता मिली। इसी क्रम में अर्हक एमएसएमई निर्यातकों को हानि का 10 प्रतिशत भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते से बैंकों को अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया गया।

During FY 2011-12, ECGC paid the highest ever claims of ₹626 crores to Indian banks under the Export Credit Insurance for Banks (ECIB) Scheme, to compensate their losses resulting from failure of the exporters in repayment of export credit. ECGC's cover has enabled the banks to continue extending necessary export credit to exporters despite higher risks. A further additional 10% of the admissible losses were paid as claims to banks out of the National Export Insurance Account, for eligible advances granted to MSME exporters.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Auditor's Report

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एम. बी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
204, म्हात्रे पेन बिल्डिंग
सेनापती बापट मार्ग,
दादर (पश्चिम)
मुम्बई 400028

पी. एम. दलवी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
126, पहली मंजिल,
भारत इंडस्ट्रियल इस्टेट,
एशियन पेंट्स के सामने, एल बी एस रोड
'भांडूप (पश्चिम), मुंबई 400 078

**भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड,
मुंबई के सदस्यों के लिए**

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने 31 मार्च, 2012 तक के भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (निगम) के संलग्न तुलन पत्र तथा उसके साथ संलग्न राजस्व खाते,लाभ व हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण (प्राप्ति व भुगतान खाता) की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षक फर्मों द्वारा लेखा परीक्षित उसकी इक्यावन शाखाओं के विवरण भी शामिल हैं। निम्न उल्लिखित के अलावा, तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के बीमा अधिनियम 1938 तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3 सी) के साथ पढ़े जाने वाले बीमा (कंपनियों) विनियम 2002 (विनियम) के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह के सही तसवीर देते है। उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुती से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो सही और सच तसवीर देते है तथा वास्तविक और सत्य कथन से मुक्त होते है, चाहे धोखाधडी से हों या गलती से।

3. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :

हमारी ज़िम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर केवल अपनी राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा भारत के साधारणतया मान्य लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अनुसार आवश्यक है कि हम वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएँ व उनकी लेखा परीक्षा इस प्रकार करें कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे झूठे वर्णनों से मुक्त हों।

AUDITOR'S REPORT

M. B. Agrawal & Co.
Chartered Accountants
204, Mhatre Pen Building,
Senapati Bapat Marg,
Dadar (West),
Mumbai - 400028

P. M. Dalvi & Co.
Chartered Accountants
126, First Floor,
Bharat Industrial Estate,
Opp. Asian Paints, LBS Road,
Bhandup (W), Mumbai 400078

To the Members of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai.

1 Report on the Financial Statements:

We have audited the attached Balance Sheet of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited (the Corporation) as at 31st March, 2012 and the Revenue Account, the Profit & Loss Account and also the Cash Flow Statement (Receipt & Payment Account) for the year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated the returns of fifty one branches audited by other firms of auditors. The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit & Loss Account and Receipts & Payments Account, have been drawn up in accordance with the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority ('IRDA') (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the Regulations') read with Section 211 (3C) of the Companies Act, 1956 ('the Act') *except as stated hereunder*.

2 Management's Responsibility for the Financial Statements:

Management is responsible for preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of Corporation. The responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material mis-statements, whether due to fraud or error.

3 Auditors Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement.

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच राशि के समर्थन में सबूत तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल होता है। वित्तीय विवरणों के वास्तविक असत्य कथन के जोखिम मूल्यांकन सहित चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, चाहे धोखाधडी के कारण हो या गलती के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों के लिए लेखा परीक्षक, निगम के तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन में वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुती पर विचार करते है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों।लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए लेखागत सिद्धांतों व महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन व साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुती का मूल्यांकन भी शामिल किया जाता है।

हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करेगी।

4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

4.1 *प्रीमियम को तब तक आय नहीं माना जाएगा जब तक कि उससे संबंधित आवश्यक प्रलेखन का कार्य पूरा नहीं हो जाता भले ही इसकी तारीख जोखिम / संविदा अवधि (अनुसूची 16 की लेखागत नीति 5.1 व अनुसूची 17 के नोट सं 10 का संदर्भ लें) की तारीख के बाद की हों। वर्ष के लिए लाभ, प्रारक्षित निधियाँ तथा चालू परिसम्पत्तियाँ / चालू देयताओं पर इसका प्रभाव अनिश्चित रहा।*

4.2 *अनुसूची 16 की लेखागत नीति 16.3 तथा अनुसूची 17 के नोट संख्या 12 में उल्लिखित अनुसार मुद्रा विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न लाभ अथवा हानि को 'प्रदत्त दावे (शुद्ध)' तथा 'वर्ष के दौरान वसूल किए गए' शीर्ष के अंतर्गत (अनुसूची 2) में दर्शाया गया है। लेखागत मानक 11' विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों' के अनुसार निगम द्वारा मुद्रा विनिमय अंतरों के कारण लाभ अथवा हानि की राशि का प्रकटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अभिनिश्चयन के वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि पर उसका प्रभाव साफ नज़र आए। निगम इस प्रकार का प्रकटन करने में असमर्थ हैं इस लिए किसी भी प्रकार का प्रकटन नहीं किया गया है।*

5. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि :-

5.1 अनुसूची 17 के नोट संख्या 3 के अनुसार ₹650.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹650.76 हज़ार) की कुल सम्पत्ति है जहाँ उचित प्राधिकारियों के पास पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की गई है व ₹57,511.06 हज़ार (पिछले वर्ष ₹57,511.06 हज़ार) की कुल सम्पत्ति है जहाँ उसके लिए किए गए समझौते लापता हैं/ निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material mis-statement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Corporation's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

4 We report that:

4.1 *Premium is not recognized as income till completion of necessary documentation even though such date may be subsequent to the date of commencement of risk / contract period (Refer accounting policy no. 5.1 to Schedule 16 and note no. 10 to Schedule 17). The impact on the profit for the year, reserves and current assets/current liabilities remains unascertained.*

4.2 *As stated in accounting policy no 16.3 to schedule 16 and note no. 12 to Schedule 17, the gain or loss arising on account of exchange differences is included under the head 'Claims incurred (net)' and is shown against 'recovered during the year'(schedule 2). As per Accounting Standard 11 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates', the Corporation is required to disclose the amount of gain or loss on account of exchange differences in such a manner that it's impact on the net profit or loss for the year can be ascertained. The Corporation is unable to ascertain such difference and hence no disclosures have been made.*

5 We draw attention to:-

5.1 Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties costing ₹650.76 thousands (previous year ₹650.76 thousands) where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties costing ₹57,511.06 thousands (previous year ₹57,511.06 thousands), where agreements are lost/presently not available with the Corporation;

5.2 अनुसूची 17 के नोट संख्या 11 के अनुसार कुछ पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियम की वापसी की गैर स्वीकृति;

5.3 31 मार्च 2012 तक प्रदत्त परंतु रिपोर्ट न किए गए दावों (आई बी एन आर) तथा प्रदत्त परंतु पर्याप्त रुप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन ई आर) के संबंध में देयताओं के बीमांकित मूल्यांकन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वे निगम के परामर्श बीमांकक द्वारा प्रमाणित हैं तथा उनके द्वारा इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए किए गए पूर्वानुमान आई आर डी ए तथा आई आर डी ए की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्था द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों तथा मानदंडों के अनुसार हैं।

5.4 अनुसूची 17 के नोट संख्या 13 जो कि विविद देनदार, विविध लेनदार व जमा, व अन्य देयताएँ, ऋण, अग्रिम तथा वसूली योग्य राशि सहित आस्तियाँ तथा एकल बही खाता, बीमाकृत का शेष, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खाता सहित विविध जमा के अधीन कुछ शेषों का मिलान व तदुपरांत समायोजन लंबित है।

5.5 अनुसूची 17 के नोट संख्या 31.2 के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय व उद्योग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के मामले में कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किया गया है; तथा

5.6 बीमा अधिनियम 1938 के अधीन निर्धारित जमा आवश्यकता संबंधी अनुपालन के लिए निगम ₹99,525 हज़ार (पिछले वर्ष ₹99,525 हज़ार) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया है (अनुसूची 17 के नोट संख्या 5.3 का संदर्भ लें)। इस प्रकार के निवेशों के बकाया शेष को 'अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ' में वर्गीकृत किया गया है।

6. अभिमत :

उपर उल्लिखित पैरा 4.1,तथा 4.2, के हमारी राय तथा हमें दी गई उत्तम जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार यहाँ उपर उल्लिखित तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, तथा प्राप्ति व भुगतान खाता को बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकारण अधिनियम 1999(1999 के 41) तथा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 के 1) के आवश्यकताओं तथा उनके अधीन लागू पद्धति के अनुसार बनाया गया है व ये लेखागत नीतियाँ तथा नोटों के साथ पढ़े जाने वाले वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुरुप सही हैं तथा उचित रुप रेखा प्रस्तुत करते हैं।

i. तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2012 तक के निगम के मामलों को शामिल किया गया है।

5.2 Note no. 11 to Schedule 17 regarding non acceptance of refund of premium by certain policyholders;

5.3 The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at 31st March, 2012 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Corporation and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by him for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDA and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDA.

5.4 Note no. 13 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable, & Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

5.5 Note no. 31.2 to Schedule 17 regarding provision for employee benefits in terms of letter received from Ministry of Commerce and Industry, Government of India; and

5.6 To comply with the deposit requirement stipulated under the Insurance Act, 1938, the Corporation has invested ₹99,525 thousands (previous year ₹99,525 thousands) in the government securities (Refer note no. 5.3 to Schedule 17). The outstanding balance of such Investment is classified under 'Advances and Other Assets'.

6 Opinion:

Subject to Para 4.1 and 4.2 above, in our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and the Companies Act, 1956 (1 of 1956), to the extent applicable and in the manner so required and these financial statements read with the accounting policies and notes thereon give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

i. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2012;

ii. राजस्व खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिशेष को शामिल किया गया है।

iii. लाभ व हानि खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ को शामिल किया गया है तथा ;

iv. प्राप्ति व भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्राप्ति व भुगतान को शामिल किया गया है।

7. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

7.1 अधिनियम के खंड 227 (3) के आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि :

क. हमने हमारे उत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व सभी स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं व उसे संतोषजनक पाया है।

ख. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता अधिनियम की धारा 211 की उपधारा 3 सी के अधीन उल्लिखित लेखागत मानकों के अनुरुप ही हैं सिवाय उपर 4.2 में उल्लिखित खातों के।

ग. हमारी राय में उचित लेखा बहियों का रखरखाव जो कि एक वैधानिक आवश्यकता है, का निगम द्वारा पूरा पालन किया गया है जैसा कि उन बहियों की जाँच से ज्ञात होता है। शाखा के विवरणों की लेखा परीक्षा करने वाले शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को हमें उपलब्ध करवाया गया है तथा उन्हें हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाया गया है।

घ. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा प्राप्ति व भुगतान खाता संबंधी विवरणों को लेखा व विवरणों के बहियों के अनुसार पाया गया ।

च. निगम द्वारा किए गए निवेश बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों तथा विनियमों के अनुसार ही हैं।

छ. कंपनी मामले विभाग ने परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 के ज़रिए सरकारी कंपनियों के निवेशकों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 271(1) (जी) के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यकता से मुक्त कर दिया है।

ज. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, तथा तुलन पत्र पर पैरा 4 में व्यक्त की गई हमारी राय की गणना न की जाए क्यों कि निगम द्वारा उसका निर्धारण नहीं किया गया है।

ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the financial year ended on that date;

iii. In the case of Profit & Loss Account, of the Profit for the financial year ended on that date; and

iv. In the case of Receipts and Payments Account, of the receipts and payment during the financial year ended on that date.

7 Report on other Legal and Regulatory Requirements:

7.1 As required by section 227(3) of the Act, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and found them satisfactory.

b. The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and Receipts and Payments Account referred to in this report comply with the Accounting Standards referred to under sub section 3C of Section 211 of the Act *except as stated in para 4.2 above;*

c. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as appears from our examination of those books. The reports of the branch auditors on the returns of the branches audited by such auditors have been made available to us and so far appears from our examination the same have been found to be adequate for the purpose of our audit.

d. The Balance Sheet, Revenue Account, Profit & Loss Account and Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns received from the branches.

e. The investments made by the Corporation have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 and the Regulations.

f. Vide circular no. 8/2002 dated 22-03-2002 issued by the Department of Company Affairs, the directors of the government companies are exempted from applicability of the provisions of section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956.

g. We further report that the aggregate impact resulting out of our observations in para 4 above on the Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet is not quantifiable by us as the same has not been ascertained by the Corporation.

7.2 बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के विनियमन 3 के अनुसूची ग के अनुसार निपटारा किए जाने वाले मामले (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियमए 2002 की सूचना नहीं दी गई।

क. सिवाय उपर उल्लिखित पैरा 4.1, में उल्लिखित के अलावा निगम द्वारा अपनाई गई सभी लेखागत नीतियाँ उचित हैं तथा वे अधिनियम की धारा 211 की उप धारा 3 सी के अधीन उल्लिखित लेखागत मानकों व आई आर डी ए द्वारा निर्धारित आदेशों / निर्देशों तथा विनियमों द्वारा निर्धारित लेखागत दिशा निर्देशों के अनुरुप हैं;

ख. हमने शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर बने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन के रिपोर्ट की समीक्षा की है व पाया कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की गलती नहीं की गई है न ही वित्तीय विवरणों से संबंधित कोई तथ्यपरक असंगति पाई गई है;

ग. प्रबंधन द्वारा दिए गए उपर उल्लिखित पैरा 6 व 7.2 के स्पष्टीकरण के अलावा निगम ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उपधारा 4 में निर्धारित पंजीकरण के निबंधनों व शर्तों का पूरा अनुपालन किया है;

घ. हमने नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहाँ लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है व नकद शेषों की पुष्टि संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।) तथा ऋणों व निगम द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित प्रतिभूतियों की वास्तविक जाँच करने अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने सिवाय उनके जो बैंकों के पास मौजूद हैं व जिनके विषय में बैंकों से पुष्टि प्राप्त हो गई है, का सत्यापन किया है;

च. हमें दी गई उत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण के तथा निगम द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है;

छ. निगम ने पिछले तुलन पत्र के आधार पर मदों की प्रकृति के अनुसार शेयर धारकों की निधियों व पॉलिसीधारकों की निधियों का वर्गीकरण कर लिया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाता तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत कर लिया है। बीमा अधिनियम की धारा 11(1) बी के अनुसार शेयर धारकों तथा पॉलिसी धारकों के लिए अलग से कोई खाता नहीं बनाया गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, जानकारी की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध रिकॉर्डों से इस प्रकार की निधियों के उपयोग की जानकारी की पुष्टि नहीं की

7.2 Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere.

a. The accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards referred to under sub section 3C of Section 211 of the Act and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDA in this regard except to the extent *stated in para 4.1above;*

b. We have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there is no apparent mistake or material inconsistencies with the financial statements;

c. As per the explanations given by the management, except as stated in para 6 and 7.2 (a) above, the Corporation has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;

d. We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors) and securities relating to the loans and investments made by the Corporation by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

e. To the best of the information and explanations given to us and as per the representation made by the Corporation, the Corporation is not a trustee of any trust;

f. The Corporation has segregated shareholders funds and policyholders funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit & Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable

जा सकती। लेखा बहियों के सत्यापन तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण व उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के अनुसार पॉलिसीधारोकों की निधियों के विनियोग तथा उनके निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत पॉलिसीधारकों की परिसम्पत्तियों का अथवा उनके किसी अंश का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से प्रतिकूल उपयोग नहीं किया जा रहा है।

from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanations given to us and on a review of the available records, we have not come across any part of the assets of the policyholders funds been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

कृते **एम. बी. अग्रवाल एंड कं**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या
100137 डब्ल्यू

(हर्षल अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 109438

कृते **पी. एम. दलवी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या
102065 डब्ल्यू

(माधव नांदगांवकर)
भागीदार
सदस्यता संख्या 017899

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2012

For **M.B. Agrawal & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration
No. 100137W

(Harshal Agrawal)
Partner
Membership No. 109438

For **P. M. Dalvi & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration
No. 102065W

(Madhav Nandgaonkar)
Partner
Membership No. 017899

Place: New Delhi
Date: 21st May, 2012

लेखा परीक्षकों का अभिमत उत्तर
REPLIES TO AUDITOR'S OBSERVATIONS

लेखा परीक्षकों का अभिमत / Auditor's Observations	उत्तर / Replies
4.1 *प्रीमियम को तब तक आय नहीं माना जाता जब तक उससे संबंधित आवश्यक प्रलेखन का कार्य पूरा नहीं हो जाता भले ही उसकी तारीख जोखिम / संविदा अवधि की आरंभ (अनुसूची 16 की पॉलिसी संख्या 5.1 तथा अनुसूची 17 का नोट 11 का संदर्भ लें) की तारीख हो. परिणाम स्वरुप वर्ष के लिए लाभ, प्रारक्षण तथा चालू आस्तियाँ/ वर्तमान देयताएँ अनिर्धारित रह जातीं हैं।*	विगत कई वर्षों से निगम प्रीमियम आय संबंधी कथित लेखागत नीति का पूर्ण अनुपालन कर रहा है। प्रीमियम चार्ज करने से पहले आवश्यक जानकारी जैसे, सकल इन्वॉयस मूल्य / बकाया राशि, भुगतान की शर्तें, गंतव्य देश आदि को ध्यान में रखना होता है, प्रीमियम को तब ही स्वीकृति दी जा सकती है जब उक्त पूरी जानकारी प्राप्त न हो जाए।
Premium is not recognized as income till completion of necessary documentation even though such date may be subsequent to the date of commencement of risk / contract period (Refer accounting policy no. 5.1 to Schedule 16 and note no. 10 to Schedule 17). The impact on the profit for the year, reserves and current assets/current liabilities remains unascertained.	The stated accounting policy for recognition of premium income is being consistently followed by the Corporation over the years. As the necessary information like, gross invoice value, terms of payment, country of destination, average / highest outstanding, etc are required for determining the premium to be charged, recognition of premium is possible only on receipt of such information.
4.2 *अनुसूची 16 की लेखागत नीति 16.3 तथा अनुसूची 17 के नोट संख्या 12 में उल्लिखित अनुसार मुद्रा विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न लाभ अथवा हानि को 'प्रदत्त दावे (शुद्ध)' तथा 'वर्ष के दौरान वसूल किए गए' शीर्ष के अंतर्गत (अनुसूची 2) में दर्शाया गया है. लेखागत मानक 11 'विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों' के अनुसार निगम द्वारा मुद्रा विनिमय अंतरों के कारण लाभ अथवा हानि की राशि का प्रकटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अभिनिश्चयन के वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि पर उसका प्रभाव साफ नज़र आए। निगम इस प्रकार का प्रकटन करने में असमर्थ है इस लिए किसी भी प्रकार का प्रकटन नहीं किया गया है।*	निगम की बीमा योजना के अनुसार निगम भारतीय रुपयों में प्रीमियम चार्ज करता है तथा दावों का निपटान भारतीय रुपयों में करता है व वसूलियाँ भी भारतीय रुपयों में की जाती हैं. कई बार कुछ दावों की वसूली विदेशी मुद्रा में की जाती है तथा मूल दावा भारतीय रुपयों में दर्ज किया जाता है, इस लिए विदेशी मुद्रा अंतर के प्रभाव को न तो विस्तारित किया गया है न ही शामिल किया गया है.
As stated in accounting policy no 16.3 to schedule 16 and note no. 12 to Schedule 17, the gain or loss arising on account of exchange differences is included under the head 'Claims incurred (net)' and is shown against 'recovered during the year'(schedule 2). As per Accounting Standard 11 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates', the Corporation is required to disclose the amount of gain or loss on account of exchange differences in such a manner that its impact on the net profit or loss for the year can be ascertained. The Corporation is unable to ascertain such difference and hence no disclosures have been made.	As per the scheme of Insurance by the Corporation, the Corporation charges premium in Indian Rupees, settles claims in Indian Rupees and effects recoveries in Indian Rupees. The recovery against those claim paid could be at times effected in foreign currency and since the original claim is booked in Indian Rupees, the impact of Forex rate changes may not be gauged and accounted for.

सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - I मुम्बई.

गोपनीय
सं/जी ए / ई सी जी सी/ ए/सी एस / 2011-12/107
4 जुलाई, 2012

प्रति,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड
मुम्बई

विषय : वर्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ.

महोदय,

वर्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ. टिप्पणियों को प्रिंट किए जानेवाले वार्षिक रिपोर्ट में विषय वस्तु में इंगित करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए.

प्रमाणित लेखों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अपनाने के लिए आयोजित वार्षिक साधारण बैठक की कार्यवाही को वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति के तत्काल पश्चात इस कार्यालय को भेजें. प्रिंट किए गए वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियों को भी इस कार्यालय को भेजें.

इस पत्र तथा संलग्नकों की प्राप्ति सूचना से अवगत कराएँ.

भवदीया,

(अलका आर. भारद्वाज)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I मुम्बई.

संलग्न : यथोक्त

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-I MUMBAI

CONFIDENTIAL NO.GA/ECGC/A/CS/2011-12/107
4th July, 2012

To,
The Chairman-cum-Managing Director
Export Credit Guarantee Corporation of India Limited
Mumbai

Sub : Comments of the Comptroller And Auditor General Of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Export Credit Guarantee Corporation Of India Limited for the year ended 31st March, 2012,

Sir,

The comments may be placed next to the Statutory Auditors report with a proper indication in the list of contents in the Printed Annual Report.

A Copy of the proceedings of the Annual General Meeting adopting the certified accounts and Statutory Auditors report and comments of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office immediately after the conclusion of the Annual General Meeting. Five copies of the printed Annual Reports may also be sent to this office.

Receipts of this letter and the enclosures may please be acknowledged.

Yours faithfully.

(ALKA R. BHARDWAJ)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Encl: As above

वर्ष 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2012

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों 2002 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रस्तुती) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढ़ांचे के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की व्यवसायिक इकाई भारतीय सदनी लेखाकारों की संस्था द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा व आश्वासनों के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का है. यह कार्य उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 21 मै 2012 के ज़रिए किया जा चुका है.

मैंने भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है. यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेज़ों का संदर्भ लिए बिना स्वतंत्र रुप से की गई है तथा यह मुख्य रुप से सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी के कार्मिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा कुछ लेखा संबंधी रिकॉर्डों की चयनात्मक आधार पर जाँच तक सीमित है. मेरे लेखा परीक्षा के अनुसार मेरे ध्यान में ऐसा कुछ उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके फलस्वरुप कंपनी अधिनियम 1956

The preparation of financial statements of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2012 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial statements and Auditor's report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21st May, 2012.

I on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March, 2012. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquires of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment

की धारा 619(4) के अधीन कोई टिप्पणी की जाए अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुपूरक प्रस्तुत किया जाए.

कृते भारतीय नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की ओर से

(अलका आर. भारद्वाज)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I मुम्बई

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 4 जुलाई, 2012

upon or supplement to Statutory Auditor's report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(ALKA R. BHARDWAJ)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-Officio member, Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai
Date: 4th July, 2012

ईसीजीसी भारतीय निर्यातक समुदाय को किफायती ऋण बीमा और व्यापार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने मिशन के प्रति वचनबद्ध है और निगम वैश्विक आर्थिक मंदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्योग को आवश्यक सहायता देना जारी रखेगा। भारत सरकार की नीतियों और पहलों के अनुरूप निगम 'संक्रेंद्रित बाजारों' को निर्यात को सहायता देने और प्रोत्साहित करने का भी प्रयत्न करेगा। निगम क्षमता निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन और अपनी नीतियों एवं प्रक्रियाओं के परिष्करण में भी लगा है ताकि ग्राहकों को प्रभावी और कुशल सेवा प्रदान की जा सके।

ECGC is committed to its mission of providing cost effective export credit insurance and trade related services to the Indian exporting community and the Corporation shall continue to extend adequate support to the Industry to enable it to face the challenges of global economic slowdown. The Corporation strives to encourage exports to 'focus markets' in line with the Government of India policies and initiatives. The Corporation is also embarking on capacity building, IT upgradation and streamlining of procedures, so as to extend effective and efficient customer service.

सेवा तंत्र
Service Network

सेवा तंत्र
Service Network

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय **REGISTERED OFFICE** एक्सप्रेस टावर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400021 Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021	(022) 66590500-510	webmaster@ecgc.in
विपणन तथा जनसंपर्क प्रभाग **MARKETING & PR DEPT** दलामल हाऊस, 2री मंजिल, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400021 Dalamal House, 2nd Floor, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai 400021	(022) 66138400 / 8426	marketing@ecgc.in
परियोजना निर्यात शाखा,मुम्बई **PROJECT EXPORT BRANCH, Mumbai** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं सी-26/27, 'ई' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C- 26/27, "E" Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051	(022) 61448111 / 8181	projectexport@ecgc.in
बड़े निर्यातक शाखा, मुम्बई **LARGE EXPORTERS BRANCH, Mumbai** दलामल हाऊस, 2री मंजिल, प्लॉट नं.206, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400021 Dalamal House, 2nd Floor, Plot No. 206, J B Marg, Nariman Point, Mumbai 400021	(022) 66138800-12	leb.mumbai@ecgc.in
बैंक कारोबार शाखा, मुम्बई **BANK BUSINESS BRANCH, Mumbai** दलामल हाऊस, 3री मंजिल, प्लॉट नं.206, जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमनपॉईंट, मुंबई 400021 Dalamal House, 3rd Floor, Plot No. 206, J B Marg, Nariman Point, Mumbai 400021	(022) 66138600-24	bbb.mumbai@ecgc.in
पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION		
दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27,'ई' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, 'E' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051	(022) 61448112 / 154	wro@ecgc.in
बांद्रा (निर्यातक) शाखा **BANDRA EXPORTERS BRANCH** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, 'ई' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, 'E' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051	(022) 61448110 / 114	bandra.mumbai@ecgc.in
बांद्रा (बैंक कारोबार शाखा) **BANDRA (BANK BUSINESS BRANCH)** दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, 'ई' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, 'E' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051	(022) 61448111 / 136	bbb.bandra@ecgc.in
अंधेरी शाखा **ANDHERI BRANCH** 401, टाऊनसेंटर, मित्तलइंड. इस्टेट के आगे, मरोल, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400059 401, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri-Kurla Road, Andheri (E), Mumbai 400059	(022) 28590906 / 970	andheri.mumbai@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
चर्चगेट शाखा **CHURCHGATE BRANCH** 2 री मंजिल, दलामल हाऊस, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400021 2nd Floor, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021	(022) 22822214 / 2265	churchgate.mumbai@ecgc.in
ठाणे **THANE** कुसुमांजली,पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे 400602 Kusumanjali, 1 st Floor, Gokhale Rd., Naupada, Thane 400602	(022) 25376623	thane@ecgc.in
अहमदाबाद **AHMEDABAD** नगीनदास चेम्बर्स, पहली मंजिल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad 380014	(079) 27544499 / 2925	ahmedabad@ecgc.in
पुणे **PUNE** वास्तु चेम्बर्स,पहली मंजिल,1202/39, शिरोले रोड, शिवाजीनगर, एफ. सी. कॉलेज के पास, पुणे 411004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Near F. C. College Pune 411004	(020) 25531998 / 25512871	pune@ecgc.in
इंदौर **INDORE** 408, 4थी मंजिल, सिटी सेंटर, 570 एम जी रोड, इंदौर 452001. 408,4th Floor, City Centre, 570 M G Road, Indore 452001	(0731) 2544215 / 2532129	indore@ecgc.in
राजकोट **RAJKOT** निर्मल- 2री मंजिल, 7, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, कमिश्नर के बंगले के सामने, राजकोट 360001 Nirmal 2nd Floor, 7, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekananad Marg, opp. Commissioner's Bunglow, Rajkot 360001	(0281) 2465162	rajkot@ecgc.in
वडोदरा **VADODARA** 504, कॉनकोर्ड, 6थी मंजिल, आर. सी. दत्तरोड, अलकापुरी, वडोदरा 390007 504, Concord, 6th Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390007	(0265) 2354728 / 2341615	vadodara@ecgc.in
नागपुर **NAGPUR** प्लॉट नं 317(66), 2री मंज़िल, रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग, गुप्ता हाउस के सामने, एम जी हाउस के पास, सिविल लाईन, नागपूर 440001 Plot No.317 (66), 2nd Floor, Ravindra Nath Tagore Marg, Opp. Gupta House, Beside M.G. House, Civil Line, Nagpur 440 001.	(0712) 6558503	nagpur@ecgc.in
सूरत **SURAT** 503, 21 सेंच्युरी बिझिनेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आगे, रिंग रोड, सूरत 395002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat 395002	(0261) 2364074 / 6530488	surat@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
एसी मार्केट कॉम्पलेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 700071 AC Market Complex, 9th Floor, 1 Shakespeare Sarani, Kolkata 700071	(033) 22822239 / 49933298	ero@ecgc.in
कोलकाता निर्यातक शाखा **KOLKATA EXPORTERS BRANCH** एसी मार्केट कॉम्पलेक्स, 9वीं मंजिल, 1शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 700071 AC Market Complex, 9th Floor, 1 Shakespeare Sarani, Kolkata 700071	(033) 22820963-66	kolkata@ecgc.in
कोलकाता (बैंक कारोबार शाखा) **KOLKATA (BANK BUSINESS BRANCH)** एसी मार्केट कॉम्पलेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता 700071 AC Market Complex, 9th Floor, 1 Shakespeare Sarani, Kolkata 700071	(033) 22820963-66	bbb.kolkata@ecgc.in
वाराणसी **VARANASI** पीसीएफ प्लाजा, कमर्शिअल कॉम्पलेक्स, 3री मंजिल, युनिट नं.1 नादेसर, वाराणसी 221002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No. 1, Nadesar, Varanasi 221002	(0542) 2507864 / 2502534	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर **BHUBANESHWAR** 3 री मंजिल, 611, साहीद नगर, भुवनेश्वर 751 007. 611, 3rd Floor, Sahid Nagar, Bhubaneshwar 751007	(0674) 2547772 / 2543592	bhubaneshwar@ecgc.in
गुवाहाटी उप-कार्यालय **GUWAHATI SUB-OFFICE** एच.पी. ब्रम्हचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रेहबारी, गुवाहाटी 781 008 H P Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P 0 Rehabari, Guwahati 781008	(0361) 2635983	guwahati@ecgc.in
दक्षिणी क्षेत्र-I / SOUTHERN REGION-I		
स्पेन्सर टॉवर्स, 7 वीं मंजिल, 770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नै 600 002 Spencer Towers, 7th Floor, 770-A Anna Salai, Chennai 600002	(044) 28491026 / 33	sro1@ecgc.in
चेन्नै निर्यातक शाखा **CHENNAI EXPORTERS BRANCH** स्पेन्सर टॉवर्स, 7 वीं मंजिल, 770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नै 600 002 Spencer Towers, 7th Floor, 770-A Anna Salai, Chennai 600002	(044) 28491026-31	chennai@ecgc.in
चेन्नै (बैंक कारोबार शाखा) **CHENNAI (BANK BUSINESS BRANCH)** 3 री मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, माऊंट रोड, चेन्नै 600 002 3rd Floor, Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai 600002	(044) 42284488-99	bbb.chennai@ecgc.in
पेरियामेट शाखा **PERIAMET BRANCH** लेदर सेंटर, 3री मंजिल, 43/53, राजा मुथिया रोड, पेरियामेट, चेन्नै 600 003 Leather Centre, 3rd Floor, 43/53 Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai 600003	(044) 25615720 / 25615721	periamet.chennai@ecgc.in
कोयंबतूर **COIMBATORE** चेरन प्लाजा, 2री मंजिल 1619 त्रिची रोड, कोयंबतूर 641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1619, Trichy Road, Coimbatore 641018	(0422) 2304775 / 776	coimbatore@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
मदुराई **MADURAI** 1ली मंज़िल, नं. 12, कामराज नगर, दूसरा रास्ता, चिन्ना चोकिक्कुलम, ओ. सी. पी. एम. स्कूल रोड, मदुराई 625 002. 1st Floor, No. 12 Kamaraj Nagar, Second Street, Chinna Chokkikulam, OCPM School Road, Madurai 625002	(0452) 2520340 / 2525521	madurai@ecgc.in
सेलम **SALEM** शांती प्लाजा, 3री मंज़िल, 1/5, मुंदावन रोड, पुन्नस्वामी गौंडर के सामने, तिरूमना मंडपम, फेर ल्याडंस, सेलम 636004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp. Ponnusamy Gounder, Thirumana Mandapam, Fair Lands, Salem 636004	(0427) 2442275 / 2330274	salem@ecgc.in
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा **TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH** 137/2, सी. जी. कॉमप्लेक्स, 2री मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर 641 601 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur 641601	(0421) 2232998 / 2232994	bbb.tirupur@ecgc.in
तिरुपुर निर्यातक कारोबार शाखा **TIRUPUR EXPORTER BUSINESS BRANCH** 137/2, सी. जी. कॉमप्लेक्स, 1ली मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर 641 601 137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur 641601	(0421) 2232998 / 2233444	ebb.tirupur@ecgc.in
तुतीकोरिन **TUTICORIN** 208/4-A, वी. ई. रोड, तुतीकोरिन 628 002 208/4-A, V.E. Road, Tuticorin 628002	(0461) 2324351 / 52	tuticorin@ecgc.in
करूर **KARUR** 3री मंज़िल, केव्हीआर कॉमप्लेक्स, 80 फीट रोड, सेनगुन्थापुरम, करूर 639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur 639002	(04324) 233911 / 231725	karur@ecgc.in
दक्षिणी क्षेत्र-II / SOUTHERN REGION-II		
रहेजा टॉवर्स, 11 वीं मंज़िल, वेस्ट विंग 26, एम.जी. रोड, बेंगलूर 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, West Wing, 26 M G Road, Bangalore 560001	(080) 25596022 / 25591139	sro2@ecgc.in
बेंगलूर निर्यातक शाखा **BANGALORE EXPORTERS BRANCH** वायुदूत चेम्बर्स, 4 थी मंज़िल, 15-16, एम. जी. रोड, बेंगलूर 560 001 Vayudooth Chambers, 4th Floor, 15-16, M G Road, Bangalore 560001	(080) 25589775 / 25591729	bangalore@ecgc.in
बेंगलूर (बैंक कारोबार शाखा) **BANGALORE (BANK BUSINESS BRANCH)** रहेजा टॉवर्स, 11 वीं मंज़िल, ईस्ट विंग 26, एम. जी. रोड, बेंगलूर 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26 M G Road, Bangalore 560001	(080) 25585375 / 82578	bbb,bangalore@ecgc.in
कोची **KOCHI** एच.डी.एफ.सी. हाऊस, 2री मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी.रोड, अर्नाकुलम, कोची 682 015 HDFC House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M G Road, Ernakulam, Kochi 682015	(0484) 2359437 / 457	kochi@ecgc.in
हैदराबाद निर्यातक कारोबार शाखा **HYDERABAD EXPORTER BUSINESS BRANCH** हाका भवन, 2री मंज़िल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad 500004	(040) 23234334 / 40833	ebb.hyderabad@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा **HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH** हाका भवन, 2री मंजिल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad 500004	(040) 23234334 / 40833	bbb.hyderabad@ecgc.in
विशाखापट्टनम **VISAKHAPATNAM** शंकर प्लाझा, 1 ली मंजिल, द्वारका नगर, शंकरमठम के सामने, शंकरमठम रोड, विशाखापट्टनम 530 016 Shankar Plaza, 1st Floor, Dwarka Nagar, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Road, Visakhapatnam 530016	(0891) 2748653	visakhapatnam@ecgc.in
गुंटूर **GUNTUR** कृष्ण प्लाजा, 2री मंजिल, 26-21-22 नागराम पालेम, जी टी रोड, गुंटूर 522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, GT Road, Guntur 522 004	(0863) 2337096 / 2337097	guntur@ecgc.in
मंगलोर **MANGALORE** 14-1-58/31-32 पहली मंजिल, एस्सेल टॉवर्स, बंटस होटेल सर्कल, मेंगलोर 575 003 14-1-58/31-32,1st Floor, Essel Towers, Bunts Hotel Circle, Mangalore 575003	(0824) 2444289 / 88	mangalore@ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, 4थी मंजिल, बारखंबा मार्ग, कॅनाट प्लेस, नई दिल्ली 110 001 World Trade Tower, 4th Floor, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi 110001	(011) 41529919 / 20	nro@ecgc.in
नई दिल्ली (निर्यातक) शाखा **NEW DELHI (EXPORTERS) BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4 थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhisma Pitamah Marg, New Delhi 110003	(011) 49284000 / 4016	metro.newdelhi@ecgc.in
नई दिल्ली (बड़े निर्यातक) शाखा **NEW DELHI (LARGE EXPORTERS) BRANCH** एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4 थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली 110003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhisma Pitamah Marg, New Delhi 110003	(011) 4928491 / 4012	leb.newdelhi@ecgc.in
नई दिल्ली (बैंक कारोबार शाखा) **NEW DELHI (BANK BUSINESS BRANCH)** 2 री मंजिल युनाईटेड इंडिया, लाईफ बिल्डिंग, ऐफ-20 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001 2nd Floor, United India Life Bldg. F-20, Connaught Circus, New Delhi 110001	(011) 45333666 / 45333601	bbb.newdelhi@ecgc.in
नई दिल्ली (पश्चिम) **NEW DELHI (WEST)** 405, बी-08, 4 थी मंजिल, जीडीआयटीएल टावर्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पितमपूरा, नई दिल्ली 110034 405, B-08,4th Floor, GDITL Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi 110034	(011) 45638141-44	west.delhi@ecgc.in
फरिदाबाद **Faridabad** दुसरी मंजिल, एससीओ-149, सेक्टर-21सी, फरिदाबाद 121002 Second Floor, SCO-149, Sector-21C, Faridabad 121002	(0129) 4315113-7	faridabad@ecgc.in
गुड़गाव **GURGAON** तिसरी मंजिल, उद्योग मिनार, वाणिज्य निकुंज, फेज 5, उद्योग विहार, गुड़गांव 122016 Third Floor, "Udyog Minar", Vanijya Nikunj, Phase 5, Udyog Vihar, Gurgaon 122016	(0124) 4300603 / 04	gurgaon@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
लुधियाना **LUDHIANA** 92, सुर्यकिरण कॉम्पलेक्स, 2 री मंजिल, दि मॉल रोड, लुधियाना 141001 92 Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, Ludhiana 141001	(0161) 2403349 / 2441082	ludhiana@ecgc.in
जालंधर **JALANDHAR** 36 जी टी रोड, गोविंद निवास, 2री मंजिल, जालंधर सिटी, जालंधर 144001 36, G T Road, Gobind Niwas, 2nd Floor, Jalandhar City, Jalandhar 144001	(0181) 2226025 / 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर **KANPUR** 14/147, स्क़ाय लार्क, 3री मंजिल, चुन्नीगंज, कानपुर 208001 14/147, Sky Lark, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur 208001	(0512) 2533280 / 2534024	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद **MORADABAD** पं. शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद 244001 Pt. Shanker Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad 244001	(0591) 2435395 / 2415476	moradabad@ecgc.in
जयपुर **JAIPUR** 2 री मंजिल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर 302001 2nd Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur 302001	(0141) 2361172 / 2637292	jaipur@ecgc.in
आगरा **AGRA** दीपक वासन प्लाजा, 2 री मंजिल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा 282002 Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra 282002	(0562) 2524985	agra@ecgc.in
पानीपत **PANIPAT** मलिक प्लाजा, पहली मंजिल, जी टी रोड, पानीपत 132103 Malik Plaza, 1st Floor, GT Road, Panipat 132103	(0180) 2634933 / 2633139 / 150	panipat@ecgc.in
जोधपूर **JODHPUR** 401, प्रकाश भवन, रतनाडा, जोधपूर 342001 401 Prakash Bhawan, Ratanada, Jodhpur 342001	(0291) 2515385 / 2516083	jodhpur@ecgc.in
चंडिगढ़ **CHANDIGARH** पी एच डी चेबंर्स हाऊस, 1 ली मंजिल, सेक्टर-31 ए, चंडिगढ़ 160031 PHD Chambers House, 1st Floor, Sector-31 A, Chandigarh 160031	(0172) 5003627 / 28	chandigrah@ecgc.in
नॉयडा **NOIDA** पी-3 कृष्ण अपरा प्लाजा, रुम नं. 312, सेक्टर 18, नॉयडा 201301 (उ.प्र.) P-3 Krishna Apra Plaza, Room No. 312, Sector 18, Noida 201301 (U.P)	(0120) 4249186 / 182	noida@ecgc.in
श्रीनगर **SRINAGAR** जे.के.एस.एफ.सी. बिल्डींग, 2 री मंजिल, दुर्गानाग, श्रीनगर JKSFC Building, 2nd Floor, Durganag, Srinagar	09839433891	srinagar@ecgc.in

सेवा तंत्र

टिप्पणी / NOTES

टिप्पणी / NOTES

ई सी जी सी ECGC

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: एक्सप्रेस टावर्स, 10वीं मंज़िल, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई 400021.

Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021.

वेबसाईट website: www.ecgc.in